



# राजस्थान का सामाजिक जीवन

लेखक :

जगदीशसिंह गहलोत

एम. आर. ए. एम., एफ. आर. जी. एस. (सन्त)

भूतपूर्व अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग  
बीकानेर व जोधपुर खण्ड, जोधपुर

सम्पादक :

देवेन्द्रसिंह गहलोत एम. ए.

भूमिका लेखक :

सुखवीरसिंह गहलोत

एम. ए., एल. एल. बी.,

यूनिक ट्रेडर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर

प्रकाशक :

हिन्दी साहित्य मन्दिर,  
जोषपुर

सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन है ।

मूल्य :

25 00 रुपये

मुद्रक :

विजय प्रिण्टर्स,  
जोषपुर (राज.)

# राजस्थान का सामाजिक जीवन

## विषय - सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1	सम्पादकीय	क
2	भूमिका	ड
3	सामान्य परिचय	1
4	ऐतिहासिक महत्व	3
5	प्राचीन राजस्थान	6
6	राजस्थान का वर्तमान रूप	8
7	निवासी	9
8	अच्छूत जातिया	21
9	नरेश	25
10	मामन्त	28
11	राज कर्मचारी	32
12	किसान	33
13	धर्म	41
14	शिक्षा	54
15	भाषा	60
16	लिपि	65
17	साहित्य	66
18	कला	70
19	स्थापत्य	70
20	चित्रकारी	71
21	संगीत	71
22	नृत्य	72
23	नाट्य	72
24	हस्तकला	73
25	रीति रिवाज	74
26	खानपान	77

क्र सं.	विषय	पृ. सं.
27.	पोशाक	79
28.	नामकरण सस्कार	80
29.	भेले	82
30.	त्यौहार	82
31.	स्त्रियो की दशा	85
32.	अन्धविश्वास एव जादू टोने	88
33.	पेशे	92
34.	उद्योग	93
35.	व्यापार	94
36.	परिवहन	96
37.	भूमि और पैदावार	98
38.	सिंचाई	99
39.	मालगुजारी व भूमि अधिकार	100
40.	लाग वाग	103
41.	अकाल	108
42.	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा	114
43.	वेगार	116
44.	दास प्रथा	119
45.	उपसहार	121
46.	चित्र	77

## सम्पादकीय निवेदन

मेरे पितामह इतिहासवेत्ता स्वर्गीय श्री जगदीशसिंहजी गहलोत के 'राजस्थान का सामाजिक जीवन' विषय सम्बन्धी लेख सन् 1929 को फरवरी व जुलाई के बीच दिल्ली के 'महारथी' मासिक में छपे थे। इसके बाद उन्होंने 'राजपूताना का इतिहास' के प्रथम भाग के प्रारम्भ में राजस्थान के सामाजिक जीवन पर काफी लिखा। यह ग्रन्थ सन् 1937 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने और भी लेख इस विषय पर लिखे। उन्हीं को आधार बनाकर यथामाध्य सशोधन कर तथा टिप्पणियाँ देकर उन्हें पुस्तक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

इस पुस्तक के सम्पादन और प्रकाशन की प्रेरणा मेरे पिता (श्री सुखवीरसिंहजी गहलोत) को श्री आदर्श किशोरजी मक्सेना आई ए. एस जिलाधीश वाडमेर ने दी। उन्होंने 'महारथी' में छपे उपर्युक्त लेखों को पढ़कर यह मत व्यक्त किया कि स्वतंत्रता पूर्वकाल में जितने निष्पक्ष, साहस व स्पष्ट रूप से तर्कालोक समाज का वर्णन श्री जगदीशसिंहजी ने किया, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। आवश्यकता है कि ये लेख पुस्तकाकार में शीघ्र छपें। मुझे भी यह लगा कि स्वतंत्रतापूर्व राजस्थान के सामाजिक जीवन का मेरे पितामह ने जो वर्णन किया वह राजस्थान की वर्तमान पीढ़ी के लिये ऐतिहासिक सामग्री के रूप में पठनीय है। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान में अभूतपूर्व परिवर्तन आये—यहाँ की 19 रियासतों का विलयन होकर एक सुसंगठित राज्य बना, राजाशाही की समाप्ति हुई, उत्तरदाई लोकतांत्रिक सरकार बनी, जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई, काश्तकारों के हित में कई कानून बने, सामाजिक जागृति हुई और हम समाजवादी समाज के निर्माण हेतु प्रगति करते जा रहे हैं। इस प्रकार के तेजी से होने वाले परिवर्तनों की हवा में हम भूलने लगे कि कुछ ही दशकों पूर्व राजस्थान का समाज कैसा था, किन परिस्थितियों में हमारे पिता व पितामह रहते थे और क्या उनका जीवन सुखद था? आज जब हम समाचार पढ़ते हैं कि कुछ गावों में अछूतों को भ्रष्टों के कुंवों से पाती भर लेने के कारण बुरी तरह से पीटा गया, कुछ गावों में आज भी काश्तकारों से तिहाई हिस्से से आधे हिस्से तक हासिल लिया जाता है, पिछड़ी जाति के लोगों से वेगार ली जाती है, औरतों को सोना के गहने पहनने नहीं दिया जाता है, दुल्हे को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, अमृक कार्य की सफलता हेतु नर बलि दी जाती है आदि आदि, तब शायद काफी नव

युवको को यह पता ही नहीं होगा कि स्वतंत्रतापूर्वक काल में तो ऐसी बातें सामान्य थीं। यही विचारकर मैंने अपने पितामह के लेखों को सम्पादित कर प्रकाशित करने का प्रयास किया है।

मेरे पितामह द्वारा की गई साहित्य तथा इतिहास के प्रति सेवाओं का अभूतपूर्व सम्मान हो चुका है। समकालीन प्रमुख समाचार पत्रों व शोध पत्रिकाओं ने जो कुछ लिखा, वह पाठकों की जानकारी के लिये दानगी के रूप में लिखना पर्याप्त होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह 'उच्च कोटि के विद्वान व इतिहासज्ञ थे' ( दैनिक हिन्दुस्तान, 8 नवम्बर 1936 )। उन्होंने अपने इतिहास को 'यथा सम्भव, सजीव और रोचक बनाने का प्रयत्न किया था (उसमें) सहानुभूति और निष्पक्षता का अचूका मिश्रण था (शासकों के) जीवन की साधारण घटनाओं के अतिरिक्त उनके शासन सम्बन्धी मुद्दारों, प्रजा हित कार्यों तथा धर्म, साहित्य कला का भी यथास्थान उल्लेख किया गया है। विवादग्रस्त विषयों पर प्रामाणिक, ऐतिहासिक साधनों के आधार पर प्रकाश डालने का अचूका प्रयत्न किया था' (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अक्टूबर 1941, पृष्ठ 245) राजस्थान और राजस्थानी के लिये उन्हें अगाध प्रेम था। उन्होंने एकीकृत राजस्थान प्रान्त के लिये मार्ग सन् 1947 में ही की थी (नवभारत टाइम्स, 16-4-1947) और उन्होंने सन् 1925 में ही कहना आरम्भ कर दिया था कि 'राजस्थान की उन्नति जैसी राजस्थानी भाषा के द्वारा की जा सकती है वैसे हिन्दी के द्वारा नहीं हो सकती है' (तत्काल राजस्थान, 21 फरवरी सन् 1925 पृष्ठ 9)। प्रसन्नता की बात है कि अब राजस्थान प्रान्त बन गया है और राजस्थानी को शिक्षा में उचित स्थान दिया जाने लगा है।

श्री जगदीशसिंहजी गहनोत्त के गौरव ग्रंथ 'राजपूताना का इतिहास' की समीक्षा करते डा० पी० के० गोडे ने लिखा था— 'यह कहने में कोई सकोच नहीं है कि ऐसा गहन अध्ययन पूर्ण ग्रंथ जिसमें राजपूतों की अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर नूतन प्रकाश डाला गया है, लखक को स्वतंत्र ही गौरव प्रदान कर देता है। इसको पढ़कर प्रत्येक पाठक अपने में उस राजपूत जाति के पुनरुत्थान की नई उमंग उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकता, जिस पर भावी राजपूताने का गौरव निर्भर है' (न्यू इण्डियन ऐंटोक्वेरी, 7 मई 1940)। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० ईश्वरीप्रसाद ने लिखा था— इस पुस्तक के गहन अध्ययन से राजपूताने की जनता की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन की बहुत सी बातें

ज्ञात होती है। एक साधारण पाठक, जो राजपूताना के लोगों के जीवन के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी रखता है, यह पुस्तक न केवल उसके ज्ञान में वृद्धि करेगी अपितु उस (वीर गाथा काला) के सम्बन्ध में, जिसमें बहुत से वीरतापूर्ण कार्य हुए हैं और जो अनन्त समय तक स्वाभिमान का विषय रहेगा, दिलचस्पी पैदा करती रहेगी, (वाँम्बे कानिकल, 17 दिसम्बर 1940)। अन्तर्राष्ट्रीय स्याति प्राप्त मासिक पत्र 'माडर्न रिव्यू', कलकत्ता ने भी लिखा था—

'भारतीय इतिहास के साधारण विद्यार्थियों तथा हिन्दी भाषा भाषी जनता के लिए राजपूत राज्या के इतिहास की एक पुस्तक की अत्यन्त आवश्यकता थी। यद्यपि म० म० प० गौरीशंकर ओझा का इस सम्बन्ध में, स्मरणीय ग्रन्थ 'राजपूताना का इतिहास' प्रकाशित हो चुका है परन्तु वह साधारण जनता की दृष्टि से अत्यन्त आलोचनात्मक, विद्वत्तापूर्ण एवं वृहत् है। अतः हम श्री जगदीशसिंह गहलोत को राजपूत रियासतों के इतिहास के लेखन कार्य में सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष में बधाई देते हैं।

'श्री जगदीशसिंह को न केवल राजपूतों ही से बल्कि भील, मीणा, मेर, जाट तथा गूजर आदि प्राचीन बहादुर जातियों से भी सहानुभूति है। देशभक्त होते हुए भी, लेखक देश के धीरे हुए समय का सुनहला चित्र ही पाठक को दिखाकर अपने आपको धोखा नहीं देना बल्कि राजपूतों की वर्तमान गिरी हुई दशा तथा उम्र प्रान्त के पशु पालकों और किसानों की गिरी हुई आर्थिक अवस्था को भी सामने लाता है। उस स्थान के जागीरदारों को स्वतः न कमाई हुई आमदनी को व्यर्थ के ऐशोप्राराम, शराब, स्त्रो तथा अफीम में निगल लिया है। उन ही तलवारे ध्याना में पड़ा जग खा रही है या ज्यादा से ज्यादा विशेष अवसरों पर बलिदान के बकरों की गर्दन पर अजमाई जाती है। मध्यकालीन भारत का वीर राजपूत आज अधपतन का एक नमूना और एक दुःख पूर्ण खिलौना है। पंजाब के उन्नति करते हुए किसानों के मुकाबले में राजपूताना के किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा अत्यन्त दुःखपूर्ण है। भूमि रहित मजदूर-किसानों की दयनीय दशा अत्यन्त शोचनीय है। केवल पूजोपति तथा ऊँचे श्रीहृद्देदार ही वहाँ ऐशो-प्राराम करते हैं। अधिकांश में वहाँ के किसान अपनी भूख बचे हुए निकृष्ट धान से बुझाते हैं, जब कि बीहरे लोग गेहूँ का आनन्द लेते हैं। वहाँ कहावत है 'बूड़ों करमा खाय, गेहूँ जीमे बाणिया। सनातनियों की धार्मिकता के नाम पर ब्राह्मण भी गुलछरें उड़ाते हैं।



लेखक का यह साहित्यिक चातुर्य प्रशंसनीय है कि उसने घटनाओं को बहुत सी उपयुक्त एवं प्रसिद्ध कहावतों से सूँथ कर सूचनात्मक, विस्तृत एवं दिलचस्प बनाने में सफलता प्राप्त की है।

लेखक ने साधारण हिन्दी पाठकों के लिये अपनी पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिये काफी परिश्रम किया है और पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायक ग्रंथों की सूची दी है जिनसे उन्होंने सामग्री एकत्रित की है। लेखक की पुस्तक स्वयं ही जनता की जानकारी में आन पर प्रशंसा प्राप्त करेगी। हमें यह आशा है कि गहलोतजी अपने काय को एक देशी राज्य के आपत्तिजनक क्षेत्र में बैठे राजपूताने के प्राचीन इतिहासज्ञों मुहणोत नैणसी और कविराजा श्यामलदास की तरह दूरभंग्यशाली बने बिना जारी रखेंगे। (अनुवादित) फरवरी सन् 1941 पृ 214।

श्री जगदीशसिंहजी के विषय में 'अजमेर के नवज्योति साप्ताहिक' ने भी लिखा था।— (राजपूताना का इतिहास) ग्रंथ में उनके ज्ञान और परिश्रम का अच्छा परिचय मिलता है यह (ग्रंथ) सजीव रोचक और उपयोगी है। इसमें राजवशा और शासक जातियाँ व अलावा जन-साधारण की भाषा, भेष रीतिरिवाज और सामाजिक धार्मिक आदि रीतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। देश प्रेम की भावना का दर्शन जगह जगह होता है। गहलोतजी ने सभी दिशाओं में इस ग्रंथ को ऐसी सामग्री से भर दिया है कि उससे रियासतों को मौजूदा अवस्था वहाँ के निरंकुश शासन राजाओं को किजुलखर्ची प्रजा को कगाला, दास प्रथा आदि बुराइयों पर अच्छा प्रकाश पड़ गया है। जागरूक पाठकों को इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजपूताना को रियासतों के राजा प्रजा से कितना धन लेते हैं और उसका कितना कम हिस्सा प्रजा की भलाई पर खर्च करते हैं। (साप्ताहिक नवज्यानि अजमेर 2 अक्टूबर 1939)। इस प्रकार के अनेक मत मन्तव्य, आलाचना निबन्ध आदि प्रकाशित हो चुके हैं।

ऐसे सिद्धहस्त लेखक एवं शोध पंडित की कृति पुनः प्रकाशित करते हर्ष होता है और यह आशा की जाती है कि यह कृति तत्कालीन राजस्थानी समाज के विषय में जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक सम्पादन का यह मेरा प्रथम प्रयास है। इस कारण इसमें कुछ गलतियाँ रह गई हैं। आगामी संस्करण में इसे कई और सशोधनों एवं टिप्पणियों के साथ प्रकाशित करने की चेष्टा करूँगा।

देवेन्द्रसिंह गहलोत

## भूमिका

मेरे पिता स्व० श्री जगदीशसिंहजी गहलोत ने आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व राजस्थान के सामाजिक जीवन पर जो कुछ लिखा वह बहुत ही तथ्यपूर्ण और रुचिकर है। अप्रैल 1973 में जब श्री आदर्शकिशोर सक्सेना आई ए एस जिलाधीश बाडमेर ने मुझसे ऐसी पुस्तक के बारे में जानकारी चाही जो स्वतन्त्रता-पूर्व के राजस्थानी जनजीवन के बारे में सही जानकारी दे सके तब मैंने उनको अपने पिताश्री द्वारा लिखित वे लेख दे दिये जो "महाराष्ट्री" मासिक में फरवरी 1929 से जुलाई 1929 (अंक 41 से 46) के बीच क्रमशः छपे थे। इन्हें पढ़कर वह गद्गद हो गये और मुझे प्रोत्साहित किया कि उन लेखों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाय। मैं उस समय से निरन्तर आद्यावधि अकाल, अतिवृष्टि बाढ़ आदि के कारण सरकारी कार्य में इतना व्यस्त रहा कि मैं इन लेखों को वापस पढ़ नहीं सका लेकिन मैंने यह कार्य मेरे पुत्र चि० देवेन्द्रसिंह को सौंप दिया। उसने आवश्यक सशोधन तथा टिप्पणियाँ लिखकर व सम्पादन कर मुद्रण हेतु दे दिया। दीपावली के बाद राजकीय कार्यों से कुछ सास लेने के क्षण मिले तब सभी लेखों को मुद्रित होकर पुस्तक रूप में देखा। चि० देवेन्द्रसिंह का यह प्रथम प्रयास था। अतः टिप्पणियों तथा छपाई आदि में कुछ कमी अवश्य रह गई है लेकिन फिर भी उसका प्रयास अच्छा रहा। मेरे पिता श्री के अध्ययन के मुख्य विषय थे— राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का समाज और राजस्थान का लोक साहित्य। मैंने भी राजस्थान के इतिहास तथा राजस्थान के समाज की दिशा में कुछ अध्ययन किया है। चि० देवेन्द्रसिंह का राजस्थान के समाज पर कुछ अध्ययन करना इसमें दृष्टीगोचर होता है, यह मेरे लिये सतोप की बात है।

मैं कई बार सोचता हूँ कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व राजस्थान के लोगों की जमीन दशा थी उसमें अब किन्ना परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन क्यों और कैसे आये? इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएँ और प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी? इनका लेखा जोखा लगाने के लिये काफी शोध और अध्ययन करने की आवश्यकता है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिये, जो रात-दिन सरकारी कार्य में ही व्यस्त रहता है, अभी सम्भव नहीं कि इस विषय पर पूर्ण रूप से लिख सकूँ फिर भी दिशा संकेत करना अनुचित नहीं होगा।

पिछली अर्ध शताब्दी में राजस्थान के सामाजिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का मुख्य कारण है — पिछले 50 वर्षों में न केवल राजस्थान, बल्कि भारतवर्ष में होने वाले राजनैतिक आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति। इन राजनैतिक आन्दोलनों के कारण लोग अपने मूल अधिकारों की मांग करने लगे और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के योग्य बनाने लगे। सन् 1947 में स्वतन्त्र भारत का सूर्य उदय हुआ। राजस्थान के देशी राज्य सरदार पटेल की रक्त विहीन क्रांति की लपेट में आये। मिट्टी की तरह मैकडो वर्षों की मुद्दह सामंती प्राचीरे ढहने लगी। सामन्ती शासन समाप्त हुए और यह सम्पूर्ण भूखण्ड-राजस्थान के नाम से सगठित होकर लोकतन्त्र की सास लेने लगा।

इस प्रकार देशी राज्यों, उनकी सीमाओं, उनके दरबारी तौर तरीकों, जाति-पाति के बन्धनों आदि का सदा के लिये लोप हो गया। जन्मजात वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न विष बेल और उमके कुफलो का नाश होना आरम्भ हुआ। राजस्थान तथा केन्द्रीय शासन ने अनेक नये अधिनियम विधिपूर्वक लागू कर समाज के निम्नस्तरों तथा पिछड़ी जातियों का समान अधिकार दिलाये। कई दशाओं में ऐसे वर्गों को विशेष सुविधायें प्रदान कीं। इसमें ध्येय यही रहा कि एक नये समाज का निर्माण हो जिसका मकल्प भारत के संविधान में किया गया है।

राजस्थान सन् 1949 की मार्च तक एक ही प्रशासन के अन्तर्गत न होकर अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ तब कुल 19 रियासतें थीं। इन रियासतों में सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत था जिसके पूर्वजों की वीरता, साहस और स्वतन्त्रता प्रेम की गाथायें भारत भर में प्रतिष्ठ हैं। इस शताब्दी में जब भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन चले तब मेवाड़ के महाराणा सागा व महाराणा प्रतापसिंह, आदि से ही आन्दोलनकारियों ने प्रेरणा ली थी। मेवाड़ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण रियासतें थीं— मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, कोटा व वृन्दी। यहाँ के वीरों ने कई युद्धों में भाग लिया व भारत के इतिहास का प्रभावित किया। इन 19 रियासतों से घिरा 1, 32, 152 वर्ग मील का क्षेत्र तब राजपूताना कहलाता था। राजपूतों के अत्यधिक प्रभाव के कारण ही यह प्रान्त राजपूताना कहलाता था अन्यथा राजपूतों की यहाँ कोई विशेष सख्या नहीं थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रान्त इंग्लैण्ड, इटली, आस्ट्रिया व हंगरी से भी बड़ा था।

राजस्थान की जनसंख्या 2,57,65,806 है जिनमें 1,22,81,423 स्त्रियाँ हैं। यहाँ के 33,305 गावों में 2,12,045 मनुष्य रहते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ की ज्यादातर जनता (82 प्रतिशत) ग्रामीण है। यहाँ के 157 नगरों व कस्बों में केवल 45,43,761 बसते हैं। एक लाख से ज्यादा जनसंख्या के नगर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अलवर हैं।

राजस्थान में हिन्दुओं का बहुमत है। यहाँ विभिन्न धर्मावलम्बियों की संख्या तथा प्रतिशत इस प्रकार है— हिन्दू 2,30,93,895 (89.63 प्रतिशत) मुसलमान 17,78,275 (6.90 प्रतिशत) जैन 5,13,548 (1.96 प्रतिशत) सिक्ख 3,41,182 (1.33 प्रतिशत) व बौद्ध 3,642 (0.02 प्रतिशत) हैं। सबसे ज्यादा प्रतिशत हिन्दुओं का डूंगरपुर में (95.40) मुसलमानों का जैसलमेर में (24.42) जैनों का जालोर में (5.20) सिक्खों का गगानगर में (19.19) व ईसाइयों का वासवाड़ा में (0.75) है। सबसे कम प्रतिशत हिन्दुओं का जैसलमेर में (74.92) मुसलमानों का सिरोंही में (2.48) जैनों का गगानगर में (2.1) सिक्खों का सीकर, नागौर व बाड़मेर में (0.1) व ईसाइयों का सीकर व जालोर में (0.1) है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 40,75,580 व 31,25,506 है व प्रतिशत क्रमशः 15.82 व 12.13 है। अनुसूचित जातियाँ गगानगर, भरतपुर व जयपुर में ज्यादा हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियाँ उदयपुर, वासवाड़ा व डूंगरपुर में ज्यादा हैं। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये पिछले 25 वर्षों में काफी कानून बने व प्रशासनिक कारवाइयाँ की गईं लेकिन उनकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इनका मुख्य कारण राजनैतिक दलों, मजदूरी कार्यालयों, मन्त्रियों आदि में कई जातिगत बिलक बने होना है। इनका जब तक तोड़ा नहीं जायेगा तब तक इन जातियों का उत्थान होना कठिन है। इन जातियों की आर्थिक स्थिति ठीक करना भी अत्यन्त आवश्यक है। इनका आर्थिक पिछड़ापन ही इन्हें राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ बनाये रखता है।

राजस्थान बनने के पूर्व मन् 1941 में अन्तिमवार जनगणना हुई थी तब द्विजों का प्रतिशत 18, कास्तकारों व पशुपालकों का 27.6 नीकरी

पेशा व कारीगरो का 55 अनुसूचित जातियो का 137 अनुसूचित जन जातियो का 11.2 व मुसलमानों का 57 था। जब जातिवार जनगणना नहीं होती है लेकिन अब काम करने वालो के हिसाब से होती है। ग्रामीण क्षेत्रो व नागरिक क्षेत्र मे व्यवसाय अनुसार प्रतिशत इस प्रकार है—

धन्धे	गावो का प्रतिशत	नगरो का प्रतिशत
काश्तकार	41	4
कृषक मजदूर	22	4
पशुपालन, आखेट, खनिज कार्य आदि	9	5
कुटिर उद्योग	31	25
कुटीर उद्योग के अलावा उद्योग	3	38
निर्माण कार्य	3	18
परिवहन आदि	2	28
व्यापार व वाणिज्य	8	48
अन्य सेवा मे	20	96
काम न करने वाले (बेकार सम्मलित)	49.1	69.8

यहा के लोगो का मुख्य धन्धा कास्त है लेकिन पानी व अच्छी उपजाऊ भूमि की कमी होने कारण कास्तकार भली प्रकार अपनी जीविका नहीं चला सकते है। इसी प्रकार परिवहन तथा संचार व्यवस्था की कमी के कारण यहा उद्योग नहीं लग सके है। यो यहा के उद्योगपति जो अन्य प्रान्तो मे मारवाडी के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान के बाहर उद्योग लगाने मे काफी आगे रहे हैं। भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति—विडला डालमीया, गोयनका, तापडोया पौदार, सिहानीया, वागड, शाहू जैन आदि राजस्थान के ही निवासी है।

शिक्षा क क्षेत्र मे राजस्थान काफी पिछडा हुआ है। स्वतन्त्रता के पूर्व सन् 1941 की जनगणना के समय माक्षरो का प्रतिशत केवल 5.51 था तथा राजस्थान के निर्माण के बाद सन् 1951 की जनगणना व समय प्रतिशत 8.95 तक ही पहुँचा था। अब यह प्रतिशत 19.07 तक पहुँच पाया है। यो पुरूषो का प्रतिशत 26.74 व महिलाओं का केवल 8.46 है। सबसे ज्यादा साक्षर अजमेर जिले मे 30.30 प्रतिशत तथा सबसे कम साक्षर

जालोर जिला मे 10 13 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रति रात केवल 13 85 ही है। वहा साक्षर स्त्रिया केवल 4 03 प्रतिशत है। राजस्थान मे अब 3 विश्वविद्यालय, 137 व्यवसायिक कॉलेज, 75 सामान्य शिक्षा के कॉलेज, 43 विशेष शिक्षा के कॉलेज, 872 उच्च माध्यमिक शालायें, 1858 माध्यमिक शालायें तथा 19,180 प्राथमिक पाठशालायें है। इनमे लगभग बीस लाख लडके व पाच लाख लडकिया पढती है। शिक्षा पर अब लगभग दो करोड रुपये खर्च किये जाते है। स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र मे काफी प्रगति हुई है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है।

राजस्थान राजाशाही का गढ रहा है। इन राजाओ की रियासतो मे वे सब बुराईया मौजूद थी जो एक व्यक्ति के निरकुश शासन मे हो सकती है। हर कोर्ट बटलर के शब्दो मे "यहा वे रियासते हैं जहा पितृतत्र या अर्द्ध सामन्त तत्र का बोलागाला है, जिससे इतिहास के मध्ययुग का रूप आँवो के सामने आ जाता है और वे रियासते भी है जहा सोलह आने प्रशासन कायम है।" यहा राजा का आदेश सर्वोपरी होता था। कानून को कोई जानता ही नहीं था। जोभी राजा ने कह दिया उसका सभी को पालन करना पडता था। जनता की प्रतिनिधि सस्थाओ का यहा नाम भी नहीं था। पिछले 30 वर्षो म कुछ रियासतो— बीकानेर, जयपुर, जोधपुर आदि मे प्रतिनिधि सस्थाओ का निर्माण हुआ लेकिन वे पूर्णतया शक्तिहीन थी। उनको कानून बनाने, कर लगाने या विकास के कार्य करने के कोई अधिकार नहीं थे। राजाओ ने केवल उपरी दिखावे के लिये इनका निर्माण कर दिया था। ढहती दीवारो पर सफेदी पोतने से क्या लाभ होता है? यह स्वतन्त्रता प्राप्त होने ही सबको पता लगगया।

राजस्थान का 60 7 प्रतिशत भाग जागीरदारी प्रथा के अतर्गत था। उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर मे तो यह प्रतिशत और ज्यादा था। जागीरदार भूमि के लगान का कुछ हिस्सा (रेख) ही देते थे। यह हिस्सा (रेख) जागीर देने के समय तय किया जाता था जिसका वास्तविक लगान से कोई संबंध नहीं था। जागीरदार अपनी जागीर के गावो मे मनमाना लगान वसूल करते थे। लगान देते हुए भी वास्तविक सुरक्षित नहीं थे। जागीरदार मन्चाहे जब उन्हें वेदखल कर देते थे। लगान के अलावा वास्तविको को बैठ बेगार भी निवालीनी पडता थी तथा कई लागें देनी पडती थी। आंगें तथा बेगार वास्तविको के अलावा व्यापारियो तथा भूमिहीना को भी देनी पडती थी। इस प्रकार ये जागीरदार अपनी जागीर मे राजाओ से

कम शक्ति नहीं रखते थे । यो जागीरदारो के अधिकारो को कोई कानूनी मान्यता नहीं थी । शासक को अधिकार था कि वह जब चाहे तब जागीर का पुनर्ग्रहण कर सकता था— तथा दूसरे को हस्तान्तरित कर सकता था । जागीरदार को महाराजा द्वारा सैनिक व आर्थिक सहायता मागने पर देनी पड़ती थी तथा कभी कभी व्यक्तिगत सेवा हेतु उपस्थित होना पड़ता था ।

राजस्थान की ज्यादातर जनता कृषि पर निर्भर थी लेकिन काश्तकार के अधिकार नाममात्र थे । काश्तकारो को भूमि पर मालिकाना अधिकार कानून से नहीं दिया हुआ था । जागीरी गावों में तो वह जागीरदार द्वारा मनचाहे जब बेदखल कर दिया जाता था । उसकी भूमि पर लगान भी मनचाहे जब बढ़ा दिया जाता था । लगान के अलावा उसे कई प्रकार की लाग वागों व वेगार देनी पड़ती थी । इनके कारण काश्तकार तग आ गये थे और उन्हें विवश होकर आन्दोलन करने पड़े । इन आन्दोलनों के कारण पिछले वर्षों में काश्तकारो के हित के लिये कुछ कानून बनाये गये लेकिन वे भी उनका ज्यादा भला नहीं कर सके । काश्तकारो में असन्तोष बराबर बना रहा । इन आन्दोलनों का विशेष महत्व है क्योंकि इन्होंने न केवल काश्तकारों व कि अन्य वर्गों के भी सामाजिक जीवन को काफी प्रभावित किया । इनके कारण विभिन्न वर्गों व जातियों के स्त्री-पुरुष एक दूसरे के ज्यादा ही सम्पर्क में आये । उनमें राष्ट्रीय चेतना आई और जनता अपने मूल अधिकारो के प्रति जागरूक हुई । इन राजनैतिक आन्दोलनों के कारण रियासतों को विवश होकर स्कुलो, अस्पतालो, सड़कों, बाधो आदि का निर्माण करना पडा लाग वाग व वेगार बन्द करने को कानून बनाने पड़े व उद्योग धन्ये खोलने पड़े । मेरे पिताश्री ने अपनी लेखमाला के अन्त में यही बातें अप्रत्यक्ष रूप में बतानी चाही थी । उस समय राजनैतिक आन्दोलन आरम्भ ही गये थे लेकिन व तत्कालीन परिस्थितियों (सरकारी सेवामे होने) में केवल इशारा करके ही रह गये । राजस्थानी समाज में तब जो राजनैतिक चेतना आई तथा जो आन्दोलन हुए उनका सक्षेप में विवरण इस कारण अब देना उचित होगा ताकि पाठक तेजी से बदलते सामाजिक जीवन को आक सके ।

राजस्थान में राष्ट्रीय जागृति रूस-जापान युद्ध और वग भग के बाद ही आरम्भ हुई लेकिन रियासती शासन के विरुद्ध अमतोष की ज्वाला प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के वर्ष सन् 1918 में, राजपूताना-मध्यभारत सभा स्थापित हो जाने पर प्रज्वलित हुई । उस समय रियासती

शासन के विरुद्ध आन्दोलन करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरीसिंह बारहठ, राव गोपालसिंह, दामोदरलाल राठी व विजयसिंह पथिक अग्रणीय थे। विजयसिंह पथिक ने विजोलिया का सुप्रसिद्ध किसान आन्दोलन (1913 - 1922) बड़ी कुशलता से चलाया। यह आन्दोलन बेगार, लागव्वाग, अत्याधिक लगान आदि से तग आकर ठिकाने के विरुद्ध चलाया गया था। इस आन्दोलन में पथिक के अलावा रामनारायण चौधरी व माणकलाल वर्मा का भी महत्वपूर्ण भाग रहा। यह आन्दोलन राजस्थान स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कड़ी में बैजू (1921-1922) व बून्दी (1922) के आन्दोलन माने जा सकते हैं। इनके कारण सामन्तशाही को किसानों के सामने झुकना पड़ा। इन आन्दोलनों के कारण देहाती स्त्रियों में भी कुछ जागृति आई। वे भी पुरुषों के साथ सत्याग्रह में सम्मिलित हुईं। पुरुषों में जो राजनैतिक जागृति आई उसके फलस्वरूप विभिन्न रियासतों में नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सेवा समिति, हितकारोणी सभायें, चल पुस्तकालय आदि स्थापित हुए तथा प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छारिता के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। सबसे महत्वपूर्ण संगठन राजस्थान सेवा सघ था जो सन् 1921 में वर्धा में स्थापित हुआ था और जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान की रियासतों में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करना तथा राजाओं और जागीरदारों की दमनकारी नीतियों से सिधो टक्कर लेना था।

जोधपुर में तब ही जयनारायण व्यास का आविर्भाव हुआ। उन्होंने रियासतों के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध काफी सघर्ष किया और इस कारण वह रियासत से निर्वासित कर दिये गये। रियासत के बाहर व्यावर, अजमेर, बम्बई आदि स्थानों में रह कर भी उन्हान राजाशाही के विरुद्ध बराबर आन्दोलन किये। उसी समय पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों के लिये अधिकारों की लड़ाई 'मेराड के गांधी' मोतीलाल तेजावत ने (1922-1929) में लड़ी। उनके नेतृत्व में मारवाड़, सिराही, मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर आदि के भीलों को संगठित होकर रियासतों सरकारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किया। भील तेजावत को अपना मसोहा मानते थे। इस भील आन्दोलन को सरकार ने अपनी सत्ता के लिये चुनौती समझा और इस कारण निर्भय दमन चक्कर चला कर कुचल दिया। भील तब तो शांत हो गये लेकिन अपने अविश्वस के प्रति जागरूक हो गये।

सन् 1925 में अलवर रियासत में भी काष्ठकारों ने बड़े लगानों के विरोध में सर्वोच्च अदालत को अपील कर एक नया नियम को लागू करवाया।



ने आग बबुला होकर किसानों को पाठ पढ़ाने को, उनके गांव नीमूचाणा में सेना भेज दी। सेना ने अन्धाधुन्ध गोली चलाकर लगभग 95 आदमियों को मार डाला तथा गाँव में आग लगा दी जिससे 355 मकान जलकर नष्ट हो गये। इस काण्ड को देशों रियामतो का "जलियावाला बाग" काण्ड कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इस काण्ड पर अपने पत्र में बहुत ही बड़ी टिप्पणी लिखी थी।

सन् 1924 में जयपुर रियासत के सीकर ठिकाने के काश्तकारों पर अत्याधिक लगान लगा दिया गया। इस ठिकाने को वापिक लगान लगभग 95 लाख रुपये मिलता था लेकिन इसमें से 4 लाख जागीरदार अपने निजि खर्चों में लगा देता था। काश्तकारों के हित में कोई विकास कार्य नहीं किया जाता था। काश्तकारों ने जब इस बड़े लगान का विरोध किया तब ठिकाने ने काश्तकारों को क्रूरता से दबाना आरम्भ किया। आन्दोलन और तेज हो गया और इस मामले को केन्द्रीय विधान सभा और ब्रिटिश ससद तक में उठाया गया। आखिर मई, 1925 में जागीरदार व किसानों के बीच समझौता हुआ। जिसके अनुसार किसानों ने फसल के अनुमान से लगान देना स्वीकार किया। जागीरदार ने फिर भी समझौते का पालन ईमानदारी से नहीं किया। इस कारण किसानों में असंतोष चलता ही रहा। सन् 1935 में किसान आन्दोलन की सफलता के लिये एक जाट महायज्ञ आयोजित किया गया जिसमें लगभग 80000 किसानों ने भाग लिया। यह देखकर सरकार ने सैबडो किसानों की जेल में बन्द कर दिया। खूडो और कुन्दा गांव में पुलिस ने गोली भी चलाई जिसमें 10 व्यक्ति उटना स्थल पर ही मर गये और लगभग 100 व्यक्ति घायल हो गये। कई स्त्रियाँ भी घायल हुईं। आन्दोलन दबा दिया गया लेकिन किसानों में प्रपूर्व जागृति आ गई।

वीकानेर में भी महाराजा के निरंकुश प्रशासन के विरुद्ध कुछ लोगो 1 सन् 1932 में आवाज उठाई तो उसने 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा चला दिया। यह मुकदमा वीकानेर पडयत्र काण्ड के नाम से जाता जाता है। एक अभियुक्त के मुखविर हो जाने पर शेष जात अभियुक्तियों को छ माह से लेकर तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दे दी गई। इस निर्णय की भारत भर के समाचार पत्रों ने बड़ी प्रालोचना की। स्पष्ट हो गया कि राजा महाराजा अपने विरुद्ध कुछ भी रहना व सुनना नहीं चाहते है।

जोधपुर में नागरिकों का भाषण देने व लेख लिखने की भी स्वतंत्रता नहीं थी तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार का ज्यादा ही बोलचाल था। इस कारण सन् 1925 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जोधपुर सरकार की निरकुश व्यवस्था के विरुद्ध आन्दोलन किया गया। सन् 1929 में जयनारायण व्यास, आनन्दराज सुराणा भवरलाल सराफ आदि ने सार्वजनिक सभाओं में राज्य सरकार व प्रशासन की कटु आलोचना की। इस कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें तीन से पांच वर्ष तक के कारावास की सजा दे दी गई। इन निर्णय का जन जनता ने विरोध किया तब उनके जलम पर लाठी प्रहार किये गये जिसे कई व्यक्ति घायल हो गये तथा कई गिरफ्तार कर लिये गये।

ये कुछ बड़ी घटनाएँ हैं। अन्यथा कोई भी रियासत, उन लोगों का जायदास्वित्ति को चालू रहने नहीं देना चाहते थे दमन करने में नहीं चुकी। इन दमनकारों नीतियों का सामना करने हेतु कई राजनैतिक व सामाजिक मन्थारों उठ खड़ी हुईं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण हरिजन सेवक सघ तथा बनवासी सेवा सघ थे। हरिजन सेवक सघ घनश्यामदास विडला की अध्यक्षता में संगठित हुआ था तथा यह राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी। राजस्थान में इसकी शाखा के अध्यक्ष हरविलास शाण्डा थे। इस सघ के प्रयत्न से शीघ्र ही प्रायः लगभग 50 हरिजन सेवक समितियाँ बन गईं जिन्होंने लगभग 125 पाठशालाएँ में स्थापित कर दीं। इनमें लगभग 3000 छात्र पढ़ने लगे। सघ के प्रचार के कारण सैकड़ों हरिजनों ने शराब पीना छोड़ दिया और मुर्दा मांस न खाने की प्रतीज्ञा ले ली। हरिजनों के लिये कई जलाशय भी बनवाये गये। एक और संस्था गांधी सेवा सघ थी जिसकी राजस्थान शाखा के प्रधान संगठन मन्त्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। राजस्थान में सेवक मण्डल अलग था जिसके अध्यक्ष रामनारायण चौधरी थे। इसके अन्य प्रमुख कार्यकर्त्ता नयनूराम शर्मा, चन्द्रभानु रामसिंह माणकलाल वर्मा शोभालाल गुप्त आदि थे। यह मण्डल भी हरिजनों के उत्थान का कार्य करता था। इसी के फलस्वरूप सन् 1935 में डूंगरपुर के माणवाडा स्थान पर भोल सेवा आश्रम स्थापित किया गया। इसके द्वारा डूंगरपुर व माणवाडा के भोलों में काफी जाग्रति लाई गई। उनमें काफी सामाजिक सुधार किये गये।

महात्मा गांधी द्वारा सन् 1930 में चलाये नागरिक अवज्ञा आन्दोलन का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा और यहाँ भी विभिन्न राज्यों में प्रजा

मण्डल स्थापित कर जनता ने आन्दोलन आरम्भ कर दिये । ये प्रजा मण्डल अलग अलग रियासतों में अलग अलग वर्षों में स्थापित हुए, यथा सन् 1931 में जयपुर में, सन् 1934 में मारवाड़ (जोधपुर) में, सन् 1935 में सिराहा में, सन् 1938 में उदयपुर, धोलपुर, कोटा, वृन्दी, अलवर व शाहपुरा में, सन् 1939 में भरतपुर में सन् 1940 में रासवाड़ा में सन् 1942 में बीकानेर में, सन् 1945 में डूंगरपुर में और सन् 1948 में किशनगढ़ में । सन् 1937 में जयपुर प्रजा मण्डल का पुनर्गठन हुआ तथा सन् 1938 में मारवाड़ प्रजामण्डल का नाम मारवाड़ लोक परिषद् कर दिया गया । इन प्रजा मण्डलों की स्थापना का सभी रियासतों सरकारों ने विरोध किया तथा इन्हें तत्काल अर्थव्यय घोषित कर दिया । इस कारण रियासतों में आन्दोलन भी चले ।

इन आन्दोलनों के आरम्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोई सहयोग नहीं दिया । कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि वह रियासतों का मामला में उलझे । महात्मा गांधी तक का रियासतों के प्रति रुख पूर्णतया अहस्तक्षेप का था । इस कारण रियासतों के प्रजामण्डलों को अकेले ही आन्दोलन चलाने पड़े । कांग्रेस ने रियासतों के मामले में तब ही हस्तक्षेप करने का सोचा जब भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत रियासतों भारतीय संघ के विधान मण्डल में भाग लेने का विचार करने लगी । सन् 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना यह लक्ष्य बतलाया कि वह रियासतों में भी उसी राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहा है जिसके लिये शेष भारत में, और वह रियासतों को भारत का अविभाज्य अंग समझती है परन्तु उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अभी वह इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं रियासतों जनता को मुक्ति दिला सके । कांग्रेस ने रियासतों जनता को यह सलाह अवश्य दी कि स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष का भार उन्हें स्वयं ही उठाना चाहिये । बाद में महात्मा गांधी ने राजाओं का चेतावनी भी दी कि यदि राजा लोग उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की मांग को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे तो कांग्रेस अहस्तक्षेप की नीति को छोड़ सकती है । उन्होंने राजाओं को सलाह दी कि वे उस मण्डल (कांग्रेस) से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करें जो निकट भविष्य में मंत्रीपूर्ण व्यवस्था द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता का स्थान लेने वाला है ।

महात्मा गांधी व कांग्रेस की नेत्र सलाह को राजाओं ने नहीं माना । वे अपने पुराने ढर्रे पर चलते रहे । यो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, किशनगढ़

भरतपुर, वासवाडा आदि के शासको ने प्रतिनिधि सभाये बनाने की कोशिश की ताकि जनता के कुछ चुने हुए व्यक्ति शासन मे कुछ भाग ले सके लेकिन ये सभायें न तो जनता का वास्तव मे प्रतिनिधित्व करती थी और न इन्हे शासन को प्रभावित करने के कोई अधिकार ही मिले थे । जनता इस कारण सतुष्ट नही हो सकी और उन्हे आदोलन चलाते ही रहना पडा । राजा और प्रजा के बीच खाई बढती ही गई ।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् की घटनाओ और अधिकारिक घोषणाओ से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज शोघ्र ही भारतीयो के हाथो मे सत्ता का हस्तान्तरण करने वाले हैं लेकिन राजाओ ने तब भी यह नही सोचा कि भावी शासन कांग्रेस ही करेगी । अत उन्होने कांग्रेस तथा उसके समर्थित प्रजा मण्डलो व लोक परिषदो को कोई महत्व नही दिया । विभिन्न रियासतो मे आन्दोलन चलते रहे और राजाओ द्वारा उनका दमन किया जाता रहा । इससे राजाओ के प्रति जनता मे ज्यादा ही बटुता आ गई । जब भारत के स्वतन्त्र किये जाने का ब्रिटिश सरकार ने तय कर दिया तब भी कई राजा स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के स्वप्न देखने लगे । ऐसो मे जोधपुर नरेश महाराजा हनुवन्तसिंह मुख्य थे । यो कुछ नरेशो में राष्ट्रीय भावना भी जागृत हुई । ऐसो में बीकानेर नरेश महाराजा शार्दुलसिंह व उदयपुर के महाराजा भूपालसिंह थे । राजाओ के प्रति जनता का पूर्ण विश्वास नही रहा इस कारण भारत के स्वतन्त्र होने के बाद कांग्रेस ने यही उचित समझा कि राजाओ को पेशन देकर उनके सभी अधिकार छीन लिये जावें । प्रजा राजाओ से तग आई हुई थी ही । उन्होने इस कार्य में कांग्रेस को समर्थन दिया ।

सन् 1947 की 15 अगस्त को भारत स्वतन्त्र हुआ । यहा के राजाओ ने समय का अभूतपूर्व परिवर्तन देखकर अपनी रियासतो को भारतीय सघ मे सम्मिलित किये जाने को सहमति दे दी । इन रियासतो को भारतीय सघ में मिलाने में सरदार पटेल को सूझ-बूझ तथा लार्ड माउण्टबैटन को मनाह विशेष रूप से काम आई ।

भारतीय सघ मे अधिमिलन हो जाने के पश्चात् रियासतो के एकीकरण का प्रश्न उठा क्योंकि राजनतिक एकता तथा प्रशासनिक दृढता के लिये यह अशुभक था कि भावी राज्य इतने छोटे नही हो कि वे प्रशासन ठीक प्रकार से नही चला सके । इस कारण यहा को 19 रियासतो

का एकीकरण किये जाने का तय किया गया। यह एकीकरण 5 अक्षय्याओं में पूरा हुआ। पहली अक्षय्या में उत्तरपूर्व की चार रियासतें—मलबर्, भरतपुर, करौली व धोलपुर का मिला कर 'मत्स्य सभ' 17 मार्च, 1948 को बनाया गया। एकीकरण की ओर दूसरा कदम उठाने पर सन् 1948 की 15 मार्च को कोटा, बुन्दी, भोलवाडा, वासवाडा, डुगरपुर, प्रतापगढ, शाहपुरा, विशनगढ व टाक को मिलाकर एक सभ 'सयुक्त राजस्थान' बनाया गया। इस सभ के निर्माण के बाद ही उदयपुर के महाराणा न इसमें शामिल होने की इच्छा प्रकट की। इस कारण अप्रैल 18 को उदयपुर रियासत भी इसमें सम्मिलित हो गई। यह राजस्थान का तीसरा सभ था। तब ही सरदार पटेल ने सुझाव दिया कि जयपुर, जायपुर, बीकानेर व जैमलमेर की रियासतें भी राजस्थान सभ में मिला जावें। राजस्थान में राजप्रमुख के निर्वाचन तथा राजधानी के चुनाव के प्रश्न पर काफी विचार विमर्श कर एक नया बड़ा सभ 'महाराजस्थान' बनाने की सहमति राजाओं ने दे दी। यह सभ 30 मार्च, 1949 को बना। एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने की 15 मई को 'मत्स्य सभ' महाराजस्थान में मिला दिया गया।

सिरोही रियासत राजस्थान व गुजरात की सीमा पर स्थित थी। इसको गुजरात के लोग गुजराती भाषा भाषी व संस्कृति का बतलाते थे। इस कारण सरदार पटेल ने सन् 1948 में इसे गुजरात में मिला दिया था। इसका राजस्थानियों ने विरोध किया। कन्द्रीय सरकार ने यह दिसम्बर 26 जनवरी 1950 को आबूरोड और देलवाडा को तहसीला को बम्बई प्रान्त में व शेष भाग राजस्थान में मिला दिया। राजस्थान के लोग न तब भी आबूरोड व देलवाडा को तहसीला को राजस्थान में मिलाने के प्रयास जारी रखे। राजस्थान के मध्य में अजमेर-मेरवाडा आया हुआ था जो सभी प्रकार से राजस्थान से सम्बन्धित था। अतः जब भारत के प्रान्तों का भाषा के अनुसार नवनिर्माण हुआ तब अजमेर-मेरवाडा तथा सिरोही रियासत की दोनों तहसील-आबूरोड व देलवाडा राजस्थान में मिला दी गई। यह एकीकरण सन् 1956 को पहली नवम्बर को हुआ।

इस प्रकार लगभग 40 वर्षों तक बराबर संघर्ष करने के बाद यहाँ की जनता का एक राज्य के अंतर्गत संगठित होकर स्वतंत्रता के मोठे फल चखने को मिले। अब जनता आश्वस्त हो गई कि वह अपने मूल अधिकारों को निर्वाह भोग सकेगी। इन अधिकारों की प्राप्ति में यहाँ के दो वर्गों-शिक्षित

मध्यम श्रेणी व अनपढ़ काश्तकारो तथा दो जातियो— ब्राह्मणो व जाटो का मुख्य हाथ रहा। शिक्षित मध्यम श्रेणी को सामन्तशाही वातावरण मे जीविका के वे साधन नही मिल पाये जो वे आशा करते थे। साधारण साक्षर सामन्त व धनी व्यापारी राजाओ को छत्रछाया मे मजे करते थे। सामन्त रात दिन शराब, नाचरग आदि मे डूबे रहते थे। वे अपनी जागीरो को अपनी निजि जायदाद मान बैठे थे। व्यापारी राजाओ व सामन्तो की हा मे हा मिलाते रहते थे। सभी प्रकार के मुख उन्हे पैसो के बल पर मिल जाते थे। ये लोग अशिक्षित काश्तकारो को चूसते रहते थे। शिक्षित मध्यम श्रेणी के युवक नोकरियो की तलाश मे व अपनी जीविका चलाने हेतु उद्योग धन्धो क अभाव मे परेशान हो रहे थे। अत उन्होने आधुनिक विचारो का तेजो से अपनाया और राजनैतिक आन्दोलनो मे कूद पडे और अखिर स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ सामन्तशाही समाप्त करके रहे। इन शिक्षित मध्यम श्रेणी के लोगो मे ज्यादातर ब्राह्मण युवक थे। ब्राह्मण होने के कारण इन लोगो को समाज मे बडा आदर था। समाज इनको अपना अग्रगण्य मानता था और इनके द्वारा बतलाये मार्ग पर चलने मे नही हिचकिचाया। काश्तकारो मे जाटो की सख्या बहुत थी। इनका प्रतिशत अन्तिम जातिवार जनगणना के वर्ष (सन् 1941) मे ममस्त आवादा का 10 प्रतिशत था। पिछले महायुद्ध के वर्षो मे इम जाति को जोधपुर के बलदेवराम मिर्धा, बीकानेर के कुम्भाराम आर्य व शेखावटी के हरलालसिंह आदि का नेतृत्व मिल गया। तबसे यह जाति अपने मूल अधिकारो की माग मे सबसे आगे आ गई। सामाजिक भेदभाव दूर करने, लागवाग व अत्याधिक लगान को कम करने के आन्दोलनो मे इस जाति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लिया। इन आन्दोलनो के कारण स्त्रियो मे भी जाग्रति आई। वे भी नारे लगाने लगी "राज किनी, किसाना रो", "जमीन कीनी, किसाना रो" आदि, आदि। किसान वर्ग इस काल मे काफी शिक्षित हुआ और इस कारण वह वर्ग अब सभी क्षेत्रो मे महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। आज विधानसभा सदस्याओ मे भी सबसे ज्यादा प्रतिशत किसान महिलाओ का है। सभी उच्च शिक्षा प्राप्त है। स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता आन्दोलनो के कारण सामाजिक परिवर्तन तेजी से आये। आज का युवक कल्पना ही नही कर सकता है कि लगभग 40 वर्ष पहले गावो मे जातिवाद, छुआछूत, दाम प्रथा, बेगार, लागवागा आदि का अत्यन्त बोलबाला था। लेकिन अब वे तेजी से लुप्त हो रहे है। आज कोई भी व्यक्ति घाटे पर चढकर मनचाहे जहा जा सकता है। भगी का लडका भी मंत्री हो सकता है। चमार की

स्त्री भी सोने के गहने पहन सकती है। सरगरा जाति का व्यक्ति पक्का मकान बनवा सकता है। किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी पेशा अपना सकता है, आदि आदि।

मेरे पिताजी ने लगभग 40 वर्ष पूर्व राजस्थान के सामाजिक जीवन को जैसा देखा उसका वाम्त्विक चित्रण अपने लेखों में किया। उन्हें तत्कालीन समाज का जीवन सुखद नहीं लगा। यह उनके लेखों से स्पष्ट है। तत्कालीन समाज में वह परिवर्तन लाना चाहते थे और इसके लिये उन्होंने राजनैतिक आन्दोलनों को आवश्यक बतलाया। वह स्वयम् मारवाड़ सेवा सघ के मंत्री रह चुके थे और इस कारण उनमें राजनैतिक चेतना काफी थी। ऐसे सिद्धहस्त लेखक को यह पुस्तक वर्तमान पीढ़ी के युवक अत्यन्त उपयोगी पायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

चि देवेन्द्रसिंह ने मोनो टाईप में टिप्पणियाँ देकर पुस्तक को अद्यावधि करने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ कि उसका यह प्रथम प्रयास अच्छा हुआ है।

28 दिसम्बर, 1973

सुखवीरसिंह गहलोत



# ‘इतिहास विभूति’ श्री जगदीशसिंह गहलोत

एम आर. ए एस, एफ आर. जी. एस (लन्दन)

भूतपूर्व अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग,  
बोकानेर व जोधपुर खण्ड, जोधपुर

[ जन्म 14-1-1903 स्वर्गवास 22-9-1958 ]

लेखक का संक्षिप्त परिचय

(राजस्थान इतिहास परिषद् की स्मारिका से साभार)

‘अन्तिम हिन्दू सम्राट हर्ष’ की मृत्यु के बाद से उन्नीसवीं सदी के आरंभ तक राजपूताना एक विस्तृत रणक्षेत्र रहा। यहां का इतिहास शौर्य, साहस, देशभक्ति और आत्मत्याग का इतिहास है लेकिन राजपूताने के सम्पूर्ण इतिहास का हिन्दी में अभाव था। स्व. जगदीशसिंह गहलोत ने “राजपूताना का इतिहास” लिखकर इस अभाव की पूर्ति की। गहलोतजी ने संस्कृत की पुस्तकों, फारसी तबारीखों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों, स्यातो आदि के आधार पर इस इतिहास की रचना की है। राजपूताने की प्रत्येक रियासत का भौगोलिक व ऐतिहासिक वर्णन, प्रजा की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व वित्त संबंधी स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन आपके द्वारा ही किया गया है।



“राजपूताना का इतिहास” श्री गहलोतजी के अथक परिश्रम व अध्यवसाय का ही द्योतक है। जोधपुर के इस यशस्वी इतिहासकार ने इतिहास, पुरातत्व और साहित्य की साधना में अपने जीवन का अमूल्य समय अर्पित कर दिया। पुरुषार्थ ही इनके जीवन का मूल-मंत्र था। पटना और लिपना ही इनका प्रिय कार्य था। जोधपुर-बोकानेर खण्ड के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए भी आप अपनी साहित्य साधना में रुत रहते थे। राजपूताने के इतिहास के अतिरिक्त मारवाड़ राज्य का



इतिहास, इतिहास सहायक पचास, भारतीय नरेश, राजस्थान का सामाजिक जीवन, मारवाड का सशिक्ष वृत्तांत, मारवाड के ग्राम-गीत, राजस्थान की कृषि कहावतें आदि अनेक पुस्तकों की आपने रचना की। आपकी कृतियों का बहुत सम्मान हुआ और देश के मूर्धन्य इतिहासकारों, पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने आपकी प्रशंसा की। उदयपुर के महाराणा ने 2000), डूंगरपुर नरेश ने 1,200) तथा प्रतापगढ़ नरेश ने 500) रुपये के पुरस्कार प्रदान कर आपका सम्मान किया। राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहासकार रायबहादुर डॉ० गीरोगर होराचन्द्र आर्य ने लिखा था 'मारवाड राज्य का ऐसा सुन्दर, सचित्र आच्छासन्न वगण आज तक हिन्दी भाषा में हम दृष्टिगोचर नहीं हुआ। विचार निर्मिता और देगप्रन स्थान स्थान पर झलकता है।' स्व० श्री मदनमोहन मालवीय ने श्री गहलानजी का प्रशंसा करते हुए लिखा था— "जोधपुर राज्य का निये सतोर व गत्र को बात है कि उस राज्य का एन सपून इनको प्रमिद्धि प्राप्त इतिहासवना है।'

श्री गहलान निर्भोज, निडर एवं श्रोजस्वी व्यक्ति थे। आपकी रचनामा म राष्ट्रप्रम तथा समाज कल्याण की भावना व्यक्त हुई है। आप समाज के सशिव कार्यकर्ता होने के नाते आप उसी गतिविधिमा में प्रमुख भाग लेते थे। जोधपुर के सरकारी अज्ञापकघर में राष्ट्र निर्माताओं के तन चित्रा को एन मेनेरो जाडन का श्रव आपका ही है। 'तरण राजस्थान' साप्ताहिक पत्र में आपने राजस्थानी भाषा का प्रबन्ध शब्दा म नमर्षन किया था। ई० सन् 1925 में "मारवाडा मित्र" नामक राजस्थानी मासिक पत्र का सम्पादन भी द्दान किया था। जोधपुर को घरने इन पत्रोंको मरून पर आज भी गर्व है।



# राजस्थान का सामाजिक जीवन

## सामान्य परिचय

✓ राजस्थान भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस प्रान्त में अधिकतर राजपूत राजा राज्य करते हैं। इसलिये इसको राजपूताना कहते हैं।\* इसका यह नाम अंग्रेजों के समय में पड़ा। विस 1857 (सन् 1800 ई.) में पहले पहल मिस्टर जार्ज टॉमस ने ही उस प्रान्त के लिये इस नाम का प्रयोग किया था।<sup>1</sup> यह नाम इस प्रान्त के लिये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार गोडवाना और तिलगाना (क्षेत्रों के नाम) उन प्रान्तों के लिये हैं जिनमें गोड और तेलग लोग बसते हैं। यहाँ राजपूतों की संख्या अन्य जातियों—जाटों आदि को देखते कम है लेकिन राजपूतों के अधिक प्रभावशाली होने से ही यह प्रान्त राजपूताना कहलाया।

प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल टॉड ने विस 1886 (ई सन् 1829) में इस प्रान्त के लिये अपने इतिहास में “राजस्थान” शब्द का प्रयोग किया था।<sup>2</sup> इसके पूर्व यह प्रान्त कभी भी राजस्थान या अन्य ऐसे ही एक नाम से प्रसिद्ध नहीं रहा। इसके भिन्न-भिन्न क्षेत्र भिन्न-भिन्न नामों से पुकारे जाते थे।

इस प्रान्त का आकार एक पतंग के समान चौकोर है। यह 23 अंश 3 कला से 30 अंश 12 कला उत्तर अक्षांश और 69 अंश 30 कला से 78 अंश 17 कला पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल

---

1. विलियम फ्रेकलिन, मिलीट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जार्ज टॉमस, पृष्ठ 347, सन् 1805 ई. (लंदन संस्करण)

2. टॉड, एनाल्स एंड ऐट्रिब्यूटोज ऑफ राजस्थान, भाग I, नूमिका (सन् 1829 ई. का संस्करण)

\* फारसी-में राजपूत का बहुवचन ‘राजपूता’ लिखा जाता है। अतः

1,35,052 वर्ग मील<sup>1</sup> है और इसमें 148 शहर और 34,376 गाँव हैं।<sup>2</sup> अब इस प्रान्त में 1,20,81,880 मनुष्य बसते हैं।<sup>3</sup> इस प्रान्त के उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब, उत्तर-पश्चिम में पंजाब प्रान्त का भावलपुर राज्य, पूर्व में संयुक्तप्रान्त ( यू पी ) और ग्वालियर राज्य, दक्षिण में मध्यभारत और गुजरात के ईडर आदि राज्य हैं तथा पश्चिम में सिन्ध प्रान्त है।<sup>4</sup>

इस प्रान्त में 21 राज्य, 2 खुदमुखियार ठिकानें (जागीर) और बीचो-बीच में एक छोटा-सा हिस्सा अजमेर इलाके का है, जो "अजमेर में वाडा" के नाम से पुकारा जाता है। 21 राज्यों में उदयपुर, डूंगरपुर, वासवाडा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा गहलोती (सिसोदियो) के, वूदी, कोटा और सिरौही चौहानों के, करौली और जैसलमेर यादवों के, जयपुर व अलवर कछवाहों के, जोधपुर, बीकानेर और क्रिशनगढ़ राठौड़ राजवंश के, भालावाड भाला राजपूतों का, दाता परमारों का, भरतपुर और धोलपुर जाट नरेशों के, और टोक तथा पालनपुर मुसलमान राजघराने के अधिकार में हैं।<sup>5</sup> कछवाहों का लावा नामक स्वतन्त्र ठिकाना टोक राज्य में होने पर भी विस 1924 ( ई सन् 1867 ) से अलग गिना जाता है। ऐसे ही राठौड़ों का कुशलगढ़ ठिकाना भी स 1925 ( ई 1868 ) से वासवाडा राज्य से स्वतन्त्र है।

1 सन् 1931 ई की जन गणनानुसार राजस्थान का क्षेत्र-फल 1,29,59 वर्ग मील था परन्तु इसमें अजमेर मेरवाड़े का क्षेत्रफल 2,711 वर्ग मील शामिल नहीं था। सन् 1933 ई में दो राज्य पालनपुर और दाता राजस्थान एजेन्सी में और शामिल किये गये। इनका क्षेत्रफल 2,115 वर्ग मील भी अलग था। इन सबको जोड़ने से अब राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 1,35,052 वर्ग मील होता है और इस प्रकार मनुष्य गणना भी जोड़ने से 1,12,25,712 से अब 1,20,81,880 होती है।

2 इस सहाय्य में पालनपुर राज्य के 520 गाँव तथा 2 शहर और दाता राज्य के 172 गाँव भी शामिल हैं।

\* वर्तमान राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 1,32,147 वर्ग मील है तथा सन् 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2,57,65,806 है जिनमें पुरुष 1,34,84,383 तथा स्त्रियाँ 1,22,81,423 हैं।

‡ राजस्थान के उत्तर में पंजाब का कुछ भाग तथा हरियाणा प्रान्त, उत्तर पूर्व में उत्तरप्रदेश, पूर्व में मध्यप्रदेश दक्षिण में गुजरात और पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान हैं।

† पालनपुर व दाता राज्य अब गुजरात राज्य का भाग हैं। राजपूताना एजेन्सी भारत के स्वतन्त्र होने पर टूट गई और उसने टूटने के साथ ही ये दोनों राज्य पहले बम्बई प्रान्त के और अब गुजरात राज्य के भाग बन गये हैं।

## ऐतिहासिक महत्व

राजस्थान वह वीरभूमि है जिसकी समानता भारतवर्ष का अन्य कोई भी स्थल नहीं कर सकता है और यह भी लिखना अनुचित नहीं होगा कि इस भूमि का सा गौरव सत्सार के अन्य किसी भी स्थान को प्राप्त नहीं हो सका है। यद्यपि सत्सार के इतिहास में अनेक वीरों के देश-प्रेम से भरे कारनामों देखने को मिलते हैं तथापि वे राजस्थान के वीरों और वीरागनाओं के चरित्रों से तुलना करने पर फीके लगते हैं। इसी से यह स्थल भारतवासियों के लिये वास्तविक तीर्थ स्थान सा है। हमारे भारतीय नवयुवकों को भारतीय वीरता, धर्म व प्राचीन आदर्श को जानने के लिए दूर-दूर के देशों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का कोना-कोना वीरता, देशप्रेम, स्वाभिमान, निर्भयता धर्म, आन, मान और शान पर मर मिटने के भावों से गूँज रहा है। यहां के वीरों के कार्यों का मुनकर एक बार तो कायर के हृदय में भी वीरता का संचार होने लगता है। इस वीर-भूमि की प्रशंसा करने में विदेशी विद्वान भी नहीं अघाते हैं। कर्नल टॉड ने ठीक ही लिखा है कि "राजस्थान में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है कि जिसमें (यूरोप की) थर्मोगालो जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहाँ ग्रीक वीर लियोनिडाम के समान मातृ-भूमि पर वलिदान होने वाला वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो।"\*

महाराणा सांगा, जयमल, रावत पत्ता, महाराजा प्रतापसिंह, दुर्गादास राठोड़ आदि अनेक वीरों और पद्मिनी मोगवाई, पन्नाधाय, गौराधाय आदि देवियों को यह जन्म भूमि है। इसे देश के लिए मर मिटने वालों का वलिदान-कुण्ड भी कह सकते हैं। वीरों का आत्म वलिदान और वीर नारियों का 'जीहर' का कठिन अग्निधारा व्रत ही राजस्थान की अमूल्य और अक्षय निधि है। यहाँ के वीरों ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए निर्भय होकर अपने जान और मान कुरवान किये थे और यहां की वीरांगनाओं ने त्रिना हिचकिचाहट के अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी और अपने बाल-बच्चों

1. पुढों में जब राजपूत बचने की कोई आशा नहीं देखते थे तब अपनी स्थितियों को विधिमणों से बचने के लिए अग्नि में समर्पण करने की आज्ञा देते थे इसे 'जीहर' कहते थे।

\* कर्नल जैम्स टॉड-एनल्ल एण्ड एण्टीक्वैटरीज आफ राजस्थान, जिल्द,

की आहुति दे डाली थी । ऐसी भूमि के प्रत्येक स्थल पर यहाँ के रण-वाँकुरो की गौरव गाथा भरी पडी है और यहाँ के पत्थर और मिट्टी तक भी इन वीरो के रक्त से सिंचे होने की गवाही देते है । चित्तौड, कुम्भलगढ, जैसलमेर, मण्डोर, सिवाना, रणथम्भोर, भरतपुर और जालोर के सुदृढ दुर्गो की दीवारो से आज भी क्षत्रियो के प्रवल पराक्रम और वीरागनाओ के जोहर की प्रति-ध्वनि निकल रही है । वास्तव मे उन ललनाओ के साहस की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोडी है, जिन्होने आन के लिए ही अपने पति, पुत्रों और कुटुम्बियो को रणक्षेत्र मे भेजकर उनके पीछे की चिन्ता को दूर करने के लिए अपने हाथ से ही अपने सिर तक काट डाले थे । वीर वाला का, मोह को त्याग कर रणक्षेत्र को विदा करते हुए अपने पति के हाथ मे बड़े उत्साह से रण-ककण बाँधने का दृश्य कवियो और भाट-चारणो के मुख से स्पष्ट हो जाता है —

फंकण बधन रण चढण पुत्र बधाई चाव ।

तीन दिहाड़ा त्याग 'रा काँई रंक काँई राव ॥

ये ही रमणियाँ अपने कुटुम्बियो के केसरिया वस्त्र पहन कर युद्ध मे वीर गति प्राप्त कर लेने पर दहकती हुई चिताओ मे अपने कोमल शरीर की आहुति दे डालती थी । यही नही, बल्कि बहुत-सी देवियो ने समय आने पर रणचण्डी का रूप धारण कर अपने खड्ग से शत्रुदल को घास की तरह काटकर अन्त मे आत्म-बलिदान किया था । इसीसे आज भी यह भूमि उस दृश्य की याद दिलाती है जबकि भीषण युद्ध मे सैनिक अपने शत्रुओ के मुण्डो को गेद की तरह उछाल कर अन्त मे स्वयं भी महानिद्रा मे शयन कर जाते थे । इन्ही ऐतिहासिक घटनाओ को देखने से हल्दीघाटी की भीषण लडाई, राजपूत वीरो की ललकार, महाराणा प्रताप के अद्भुत साहस, राठौड जयमल और सिसोदिया पत्ता के जाति-प्रेम मिर्जा राजा जयसिंह के युद्धकौशल, महाराजा जसवन्तसिंह के अदम्य उत्साह, राठौड दुर्गादास के देश प्रेम और वीर सतियो के जोहर के चित्र मानसिक पटन पर खिंच जाते

। दान देना । राजस्थान मे भाट, चारण और नवकारची (दमासी) लोगो को जो दान विवाह आदि के समय दिया जात है उसे "त्याग" कहते हैं । (देखो कायदा बाबत खर्च शादी व गर्मी व त्याग कीम राजपूत पुत्रध्वजे जनरल कमेटी राजस्थान अजमेर सन् 1888 ई पृष्ठ 1 तथा कानून शादी और गर्मी वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा, राज मारवाड पृष्ठ 8 सन् 1891 ई )

हैं और साथ ही सहमा मुँह से य शब्द निकल पडने हैं कि “राजस्थान ! तू धन्य है, राजपूत जाति तेरी कीर्ति अटल है ! वीर क्षत्राणिया ! तुम्हारा दूध उरज्वल है !”

यहा के सामान्य व्यक्ति भी समय पडने पर मान रक्षा के लिए प्राण देने मे मोह नही करते थे । इसी मे आज दिन तक यहाँ के गाँव-गाँव मे कहा जाता है —

घर जाना धरम पलटता त्रिया पडता ताव ।

अे तोनुहि दिन मरण रा कहा रक कहा राव ॥

अर्थात्, जब कोई अपना घर या धरती छीनने को तैयार हो, जब अपने धर्म पर आपत्ति आवे और जत्र स्त्री जाति का अपमान होता हो तब प्रत्येक गरीब और अमीर को अपने प्राणो की बलि देने मे सकोच नही करना चाहिए ।

जत्र हम इतिहास मे उपरोक्त दोहे के अनुसार, विना जाति पाति के भेद भाव के, सबको एक साथ रणभूमि मे हृष के साथ जाने का वृत्तान्त पडते हैं तब हमारा मस्तिष्क अभिमान से ऊँचा हा जाता है । वह कंसा स्वर्णमि समय था जब मातृभूमि की रक्षाथ यहा ऊँच-नीच का भेद भुला कर क्या राजा और क्या रक एक माय कंधे से कंधा लगाकर शत्रु से रणभूमि मे जूँझते थे । ऐसे जूँझारो के प्राय प्रत्येक ग्राम मे पवित्र स्मृति चिन्ह जहा तहा मिलत है ।

इन्ही सब अनूवें और महत्वपूर्ण घटनाओ के लिए ही राजस्थान भारतवर्ष के इतिहास का चिरस्मणीय घटना-स्थल है । यह भूमि भारत की नाक है । यही भारतवर्ष का प्राण है । यद्यपि राजस्थान का सिंह आज सोया हुआ है और यहाँ की जत्रा अविद्या, अज्ञोम व मदिग रूरी शत्रुओ से घिरी हुई है तथापि इसके पूर्ववर्ती चरित्रो को देखने हुए भारत का कौन ऐसा पुरुष होगा जिसके हृदय मे यहाँ पर हुई घटनाओ का स्मरण कर देशभक्ति व स्वाभिमान का भाव नही पैदा होगा ? इस समय का शाचनीय दशा मे भी यही एक स्थल है जहाँ पर प्राचीन आर्ये सम्प्रता राजनीति और क्षत्रियो की प्राचीन विभूतियो के दशन हो सकते है । इस पवित्र धरती का स्मरण करने से ही श्रद्धा से सिर भुरु जाता है । यहाँ के इतिहास के पाने उलटते ही मुर्दा दिल मे भी जोश आ जाता है और कायर पुरुषो तक की भुजाएँ फटवने लगती है ।

## प्राचीन राजस्थान

जो प्रदेश इस समय राजस्थान कहलाता है वह प्राचीन काल में समुद्र जल से ढका हुआ था। भूगर्भवेत्ता इस बात से सहमत हैं, क्योंकि अब तक यहाँ पर सीप, शंख, काँडी आदि अनेको सामुद्रिक पदार्थ मिलते हैं।\* महाभारत के समय में राजस्थान का उत्तरी भाग (नागौर, बीकानेर आदि) जांगल देश<sup>1</sup> और पूर्वी भाग (जयपुर, अलवर आदि) मत्स्य देश कहलाता था और यही पर पाँडवों ने गुप्त भेष में एक वर्ष व्यतीत किया था।<sup>2</sup> महाभारत के युद्ध से लेकर वि स 264 वर्ष पूर्व (ई सन् पूर्व 321) तक का राजस्थान का इतिहास वित्कुल अन्वकार में है। इसके बाद मौर्य वंश के प्रसिद्ध सम्राट् चन्द्रगुप्त और उसके पौत्र सम्राट् अशोक का राज्य इस प्रदेश पर भी रहा था। जयपुर राज्य के वैराट (विराट)<sup>3</sup> कस्बे में अशोक के दो शिलालेख वि स पूर्व 193 (ई सन् से 250 वर्ष पूर्व) के मिले हैं।<sup>4</sup> ईसा के 200 वर्ष पूर्व के आस पास जत्र यूनानी (ग्रीक) लोग उत्तर-पश्चिम से भारत में आये तब उनका अधिकार भी यहाँ रहा था और उन लोगों ने

1 महाभारत वनपर्व अ 23, श्लोक 5, नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग 2, अंक 3, स 329, स 1978 वि।

2 वही, पृष्ठ 333।

3 वैराट नाम के अनेक स्थान भारतवर्ष में हैं परन्तु वैराट (विराट) जिसका वर्णन महाभारत में आया है वह मत्स्य देश की राजधानी थी और वह वैराट अब राजस्थान में जयपुर राज्य के अन्तर्गत हैं।

4 कनिंघम, कार्पेस् इन्डिफ्रपगन्स इडिकेरम भाग 1 पृष्ठ 96-97

\* आज से लगभग 1,20,000 वर्षों राजस्थान की चम्बल, बनास, गभीरी, बेंडच, बागा, लूणी आदि नदियों के किनारे पर मानव बस्तियाँ बस गयी थी। प्रारम्भ में ये लोग गुफाओं व पेड़ों पर रहते थे तथा जंगली जानवरों को मारकर या जंगली पेड़ों के फल फूल इकट्ठे कर खाते थे। इस युग का इतिहास अभी तक स्पष्ट नहीं है। राजस्थान का क्रमबद्ध इतिहास आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व से आरम्भ होता है। ससार के अन्य राष्ट्रों का क्रमबद्ध इतिहास इसी समय से आरम्भ होता है। गगानगर जिला के कालीबंगा, नोहर, सोयी आदि स्थानों की खुदाई करने पर वहाँ कई बस्तियाँ मिली हैं। इन बस्तियों के लोग काफी सम्य थे। इनकी संस्कृति "सोयी संस्कृति" कहलाती है, तथा हड़प्पा संस्कृति से भी प्राचीन है। इन सोयी संस्कृति के लोगों के बाद हड़प्पा संस्कृति वाले लोग यहाँ आकर बसे। इनका समय लगभग चार हजार वर्ष पूर्व का है।

जो प्रदेश जोते थे, उनमें "नगरी" या माध्यमिका नाम की पुरानी नगरी का वर्णन भी मिलता है।<sup>1</sup> वह नगरी चित्तौड़ के पास थी। अथ उसके खण्डहर चित्तौड़ के किले में 7 मील उत्तर में स्थित है। यूनानी नरेशों में दो राजाआ (एपालोडाटस और मिनेडर) के कई मिकके मेवाड में मिले हैं।<sup>2</sup> ईसा की दूसरी शताब्दी में चौथी शताब्दी तक शक (मिथियन) लोगों का राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम भागों पर अधिकार रहा और शक सन् 72 (वि स 207=ई सन् 150) का गिरनार में मिले लेख से शक नरेश रुद्रदामा का राज्य मरु (मारवाड़) और मावरमती के आस पास तक फैला होना प्रकट होता है।<sup>3</sup> चौथी शताब्दी के अन्तिम भाग में लक्ष्मी शताब्दी तक मगध के गुप्त वंश का राज्य राजस्थान के कई भागों पर रहा था।<sup>4</sup> बाद में हूणों के राजा तोरमाग ने गुप्तों को निकाल दिया।<sup>5</sup> सातवीं शताब्दी के शुरु में हर्षवर्धन ने, जो वैम वंश का क्षत्रिय राजा था, धारणेश्वर और कन्नौज का अपनी राजधानी बनाया और राजस्थान का बहुत सा हिस्सा अपने राज्य में मिला लिया।<sup>6</sup>

सन् 696 ( ई स 639 ) के लगभग जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में भ्रमण करता हुआ राजस्थान में आया तब उसने राजस्थान को चार भागों में बँटा हुआ पाया था। अर्थात् पहला तुर्जर (जिसमें जोधपुर, बीकानेर और शेखावटी का कुछ भाग था), दूसरा वधारि (वागड़) (जिसमें दक्षिण भाग और बीच का कुछ हिस्सा था) तीसरा बैराठ (जिसमें जयपुर, अलवर और टोंक का कुछ हिस्सा था) और चौथा मधुग था (जिसमें आधुनिक भरतपुर, धौलपुर और करौली के वर्तमान राज्य थे)। 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच राजपूत जाति के कई वंश प्रसिद्धि में आये, जिन्होंने अपने वाहुवल से यहाँ के आदि निवासियों व विदेशियों को हटा कर अपने अपने राज्य स्थापित किये। ये गहलोट, पडिहार, चौहान और भाटी (7वीं शताब्दी), परमार, सानवी (10वीं शताब्दी),

1 कनिंगहम, आर्वालाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग 6 पृष्ठ 203।

2 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण भाग 5 पृष्ठ 203।

3 इण्डियन ऐटिक्वेरी भाग 7 पृष्ठ 259।

4 फ्लोट, गुप्त इन्सक्रिप्शन्स पृष्ठ 141।

5 ऐशियाटिका इण्डिका भाग 1 पृष्ठ 239।

6 बोल बुद्धिस्ट रेकडज ऑफ दी वेस्टर्न बल्ड, भाग 1 पृष्ठ 213-219



नाग, जीधेय (जोहिया), तँवर, दहिया, डोडिया, गौड, यादव, कछवाहा और राठीड आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाहरवो शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण के समय इन्हीं राजपूत राजवंशों के राज्य राजस्थान में फैले हुए थे।

### राजस्थान का वर्तमान रूप

राजनैतिक शासन के लिहाज में राजस्थान की देशी रियासतों का सम्बन्ध भारत सरकार के एजेन्ट टू गवर्नर जनरल (ए.जी.जी.) अजमेर के द्वारा है। इन रियासतों के समूह बने हुए हैं जिनमें एक एक अंग्रेज राजदूत (रेजीडेण्ट या पोलिटिकल एजेण्ट) रहता है। मेवाड़ रेजीडेन्सी व दक्षिणी राजस्थान स्टेट एजेन्सी (उदयपुर) के मातहत उदयपुर, डूंगरपुर, वासवाडा और प्रतापगढ़ है। पश्चिमी राजस्थान रेजीडेन्सी (जोधपुर) के अधीन जोधपुर, जैसलमेर, पालनपुर और दाता के राज्य हैं। जयपुर, अटावर, शाहपुरा, टोक और किशनगढ़ का सम्बन्ध जयपुर रेजीडेन्सी, (जयपुर) से है। पूर्वी राजस्थान स्टेट्स एजेन्सी (भरतपुर) के अन्तर्गत भरतपुर, बूंदी, कोटा, भालावाड, करोली और धोलपुर की रियासतें हैं। बीकानेर और सिरौही राज्यों का सम्बन्ध सीधा ए.जी.जी. (रेजीडेण्ट राजस्थान) से है।

इन रेजीडेण्टों या पोलिटिकल एजेण्टों (राजदूतों) के माध्यम से देशी राज्यों और भारत सरकार के बीच लिखा-पढ़ी होती है और आवश्यकतानुसार राज्य के आंतरिक मामलों में भी राजाओं को सलाह दिया करते हैं। राज्यों के शासन प्रबन्ध पर इनकी दृष्टि रहती है। बिना अंग्रेज सरकार की आज्ञा के ये नरेश किसी विदेशी सत्ता से सन्धि नहीं कर सकते हैं। आज कल भारतीय नरेशों की शिक्षा, लालन पालन बहुधा अंग्रेजी रंग-ढंग से और गोरे अध्यापकों द्वारा ही होती हैं। इससे बहुधा नरेश अपने देशी रीति रिवाजों को भूलते चले जा रहे हैं।

किसी समय इन राजाओं के लिए अंग्रेजी भाषा में "किंग" (राजा) शब्द का प्रयोग किया जाता था किन्तु आजकल इनके लिए "चीफ" या "प्रिन्स" शब्द का प्रयोग होता है। यद्यपि ये देशी नरेश अपने को "राज राजेश्वर" और "महाराजधिराज" लिखते हैं।

## निवासी

सन् 1931 की जन गणना के अनुसार राजस्थान की आबादी 1,12,25,712 हैं, जिसमें 13,08,271 लोग कस्बों में और शेष गावों में रहते हैं।\* यहाँ प्रति वर्गमील 76 मनुष्य औसतन निवास करते हैं। 35 मनुष्य प्रति वर्गमील तो पश्चिमी भाग के रेगिस्तान और 79 दक्षिण के उपजाऊ भाग में और 165 प्रति वर्गमील पूर्वी भाग में रहते हैं। सब से घनी आबादी भरतपुर राज्य में है जहाँ प्रति वर्गमील 316 मनुष्य निवास करते हैं और सबसे कम आबादी जैसलमेर में है जहाँ प्रति वर्गमील 4 मनुष्य रहते हैं।<sup>±</sup> कुल आबाद नगरों की संख्या 145 और गावों की 33,688 है।<sup>§</sup> इनमें अनेक जातियाँ निवास करती हैं जो मुख्यतया तीन विभागों में बाँटी जा सकती हैं, अर्थात् हिन्दू,<sup>‡</sup> मुसलमानों और आदिवासी।<sup>§</sup> हिन्दुओं में बहुत सी जातियाँ ब्राह्मण, राजपूत, भाट, महाजन (वैश्य), जाट, माली, गूजर आदि हैं परन्तु विशेष जातियाँ जो राजस्थान के बाहर दूसरे प्रान्तों में नहीं पाई जाती हैं, उनके नाम यह हैं —

(1) जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही राज्यों में मेघवाल (भावी, डेढ, बलाई) रेगर, वावरी<sup>‡</sup> (मोगिया) भील, थोरी, नायक, भोपा,

1 मनुष्य गणना के इन सब आँकड़ों में अजमेर, मेरवाड़ा और पालनपुर तथा बाँता राज्यों के आँकड़ें सम्मिलित नहीं हैं।

2 यह जुर्म पेशा जाति मानी जाती है जो मेवाड़ में मोगिया और जयपुर में बोहरे कहलाती है।

\* राजस्थान में सन् 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2 56, 65,806 है जिनमें 45,63,791 लोग नगरों में रहते हैं। कुल नगरों की संख्या 152 तथा गावों की संख्या 32,241 है।

<sup>±</sup> सन् 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का औसत घनत्व 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक घनत्व भरतपुर जिले में 184 है। द्वितीय स्थान जयपुर जिला का 177 है। सबसे कम घनत्व जैसलमेर का 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

<sup>‡</sup> सन् 1971 की जनगणना के अनुसार हिन्दुओं की संख्या 2,30,93,895 है। इनमें से अज्ञानों की संख्या 40,75,580 है।

<sup>§</sup> सन् 1971 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या 17,78, 275 है।

वीसनोई, गाँछा, कुनवी, मीणा, सीरवी, सरगरा, रेवारी, रायका, वेद, धाणका, वर्गी, डाकोत, (दोशात्री), दरोगा (रावणा), वारी,<sup>1</sup> (रावत) राठ (लोक) गरसिया, घोसी (मुसलमान ग्वाला), घाची, (हिन्दू ग्वाला). डवगर, सासी, सरभगी, साटिया, गवारिया, जागरी,<sup>2</sup> भगत,<sup>3</sup> मोतीसर, चारण, सेवग (भोजक, शाकद्विपी), सालवी और रगड है।

(2) जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि पूर्वी रियासतों में अहीर, खटीक, मेव, मीणा, वारहसैनी (द्वादस श्रेणी), चतुरसैनी, और सैनी।

(3) उदयपुर, डूंगरपुर और दक्षिणी रियासतों में डांगी, घावड, भील, मीणा, हूमड, अजना।

(4) किशनगढ़, अजमेर—मेरवाडा में मेर, चीता, रावत आदि।

प्राचीन काल में भारतवर्ष में केवल चार वर्ण थे जो गुण, व्यवसाय, स्वभाव, संस्कृति आदि के आधार पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र माने जाते थे, केवल जन्म से ही नहीं। अर्थात् ब्राह्मण गुण कर्म आदि से शूद्र बन जाता था और एक शूद्र अपने को ब्राह्मण तक बना सकता था। आपस में खान पान में कोई रोक टोक नहीं थी। शुद्धता का विचार अवश्य रखा जाता था। पुराणों में अनेकों उदाहरण वर्ण परिवर्तन के मिलते हैं। यों सामान्यतः शूद्र वही होते थे जिन्हें आर्य लोग जीत कर अपने समाज में सम्मिलित कर लेते थे। उनका सांस्कृतिक धरातल निम्न कोटि का होता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत भ्रमण के समय ( ई सन् 630-645 ) तक भारत में 4 वर्ण थे। बौद्धकाल ( ई सन् 300 से सन् 500 ई ) में तो जन्म सम्बन्धों जातीय और सामाजिक नियम नहीं थे इसलिये वे त्रिणा जाति और वंश का विचार किये ही वैवाहिक सम्बन्ध करते थे। जोधपुर में मिले वि स 894 चैत्र सुदि 5 ( ई सन् 837 की 15 मार्च, गुरुवार ) और स 918 चैत्र सुदी 2 ( ई सन् 861 की 17 मार्च, सोमवार ) के शिला लेखों से पाया जाता है कि ब्राह्मण

1 यह लोग परतों के दोने और पतल बनाकर बेचते हैं। आगरा, इलाहाबाद व लखनऊ में भी 'वारी' नाम की एक जाति है जो यही पेशा करती है और भूठन भी उठाती है।

2 व 3 हिन्दू वैश्याओं के घाय भाई आदि। जागरी लोगों की बहन बेटियाँ 'पातर' और भक्तों की भक्तए कहलाती हैं यह दोनो जातियाँ अलग अलग हैं।

हरिश्चन्द्र की दो पत्नियों में से एक ब्राह्मण और दूसरी क्षत्रिय जाति की थी। मारवाड़ से जाकर कन्नोज में अपना राज्य स्थापित करने वाले पड़िहार राजा महेन्द्रपाल के गुरु राजशेखर ब्राह्मण की विदुषी पत्नी अच्युत सुन्दरी चौहान वंश की थी। इन जातियों व उपजातियों के कारण देशभेद, धर्मभेद, व्यवसाय भेद एक अविद्या था। जाति के भ्रमों ने यहाँ तक जोर पकड़ा कि 4 वर्णों के स्थान पर अनेकों जातियाँ बन गई और परस्पर विवाह सम्बन्ध की बात तो दूर रही पाने पीने में भी बड़ा भेद हो गया। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ का खाना नहीं खा सकता था और न विवाह कर सकता था। बारहवीं शताब्दी तक ब्राह्मण वर्ग में कोई जातियाँ या उपजातियाँ नहीं बनी थी। गौड़ और पंच द्राविड का भी भेदभाव नहीं था। वि.स. 1200 के बाद सम्भवतः माँसहार और अन्नाहार के कारण यह भेद आरम्भ हुआ और बाद में नगरी क्षेत्रों आदि के नाम से ब्राह्मणों की भिन्न भिन्न जातियाँ बन गईं।<sup>1</sup> इसी प्रकार दूसरे वर्णों की दशा हुई और अब 4 वर्णों के स्थान पर 2,378 जातियाँ बन गई हैं। कई जातियाँ तो ऐसी हैं कि उनकी मर्यादा 15 परिवार में अधिक नहीं है और उन्हीं 15 परिवारों में उनका विवाह सम्बन्ध आदि होता है।

राजस्थान में जातिवाद अन्य प्रांतों की भाँति ही काफी फैला हुआ है। शिक्षित ज्यादा नहीं होने के कारण यहाँ सभी का इसमें विश्वास है। जाति के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति का मान व प्रदर रखा जाता है तथा कथित ऊँची जातियों वालों से अच्छा व्यवहार रखा जाता है लेकिन पिछड़ी जातियों के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं रखा जाता है। इस कारण पिछड़ी जाति के लोग बहुत ही कष्टमय जीवन बीताते हैं। उन्हें सोना व चाँदी के गहने पहनने तक की इजाजत नहीं है। सामान्य लोग तो इतने रूढ़ीवादी हैं कि यदि पिछड़ी जाति की कोई स्त्री गहना पहन लेती है तो उससे गहने उतरवा लेते हैं और उसका समाज में रहना मुश्किल कर देते हैं। अछूतों को पानी पीने के लिये सार्वजनिक कुओं पर जाने नहीं दिया जाता है। जो पानी पशु पीते हैं वही पानी उन्हें लेना दिया जाता है। उच्च जाति वाले तथाकथित पिछड़ी जाति के लोगों के हाथ का न तो खाना खाते हैं और न उठते बैठते हैं। सामान्यतः उच्च जातिवाले तथा पिछड़ी जाति वालों के मोहल्ले एक-दूसरे से अलग-अलग होते हैं। इस प्रकार हिन्दू जाति के लोग

6 चिन्तामणि विनायक शंकर कृष्ण हिन्दू भारत का अन्त (मध्ययुगीन भारत) भाग 3 पृ 578-580 हिस्ट्री ऑफ़ मेडिअल इण्डिया रिस्ड 3 पृ 375 से 381।

हिन्दू होते भी एक नहीं हो पाते हैं। इतर मुसलमानों में भी हिन्दुओं के देखा देखी अपने में मुगल संव्यय श्रेय, पठान आदि जातियाँ और उपजातियाँ-पिजारा, तेली रगरेज, प्रिसाती लोहार, जुनाहा कुँजडा, सिलावट, मीरासी आदि बना डाली। इससे उनमें भी शादी व्यवहार का भेद हो गया है।

राजस्थान के ज्यादातर देशों राज्यों में राजपूत ही शासक हैं। अतः यहाँ पर उनका उल्लेख करना आवश्यक है। यहाँ की 21 रियासत राजपूत जाति की भिन्न भिन्न खाँषा (वंश) के अधीन हैं। सामान्यतः राजपूत सुडोल, कढ़ावर और मजबूत हाते हैं। उनमें दाढ़ी रखने का रिवाज है परन्तु आजकल इसका रिवाज उठ रहा है। ये लोग मान मर्यादा और आनदान के लिए अपना जान हथेली पर रखते आये हैं। अपने राज्य जाति और मान मर्यादा को बचाने के लिए वेसरिया करना और बाल-बच्चा सहित शत्रु के साथ लडकर मर जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी कारण अन्य जाति के लोग इनका आदर करते आये हैं। लेकिन अब समय बदलता जा रहा है। अब केवल शारारिक बल व तलवार के भरोसे पर न रहकर मानसिक स्वस्थ व कलम के धनी व्यक्तियों का जमाना आ रहा है। अब भूमि पर खेती कराने वालों के बदल खेती करने वालों को महत्व दिया जा रहा है। खेती न करने वाले राजपूतों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति गिरती दिखाई दे रही है। अतः राजपूतों का युग के परिवर्तन को ध्यान देकर अपने में भी परिवर्तन लाना चाहिये।

राजस्थान में राजपूत 6 33 830 हैं जिसमें अजमेर-मेरवाड़ा जिला में 17 273 हैं। रजवाड़ों में इनकी खापवार-गणना (सन् 1931 ई की मनुष्य गणनानुसार) इस प्रकार है—

खाँष	पुरुष	स्त्री	कुल जाड
राठीड	90 653	72 481	1,63 134
कछवाहा	60 889	35 459	96 429
चौहान	46 699	41 995	88 694
यादव	33 285	28 564	61 849
गहलोत (सिसोदिया)	30 142	24 596	54 738
पँवार (परमार)	21 111	14 977	36 088
पडिहार	11 406	11,047	22 453
तवर (तोमर)	11,200	9 668	20 868

सोलकी	10,232	8,857	19,089
गौड	3,061	2,246	5,301
भाला	2,753	2,315	5,068
वडगूजर	1,711	1,436	3,147
चन्देल	92	62	154

यद्यपि राजपूत लोग सब एक ही हैं परन्तु इनमें भी एक दूसरे के धन और हैसियत के लिहाज से और कुछ रस्मों के भेदभावों के कारण एक दूसरे से खानपान और व्यवहार का सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। जैसे राजपूतों का एक थोक ऐसा है जिसमें विधवा स्त्री का नाता (करेवा-पुनर्विवाह) होता है। मनुष्य गणना आदि अवसरों पर इन “नातारायत राजपूतों” को गणना शुद्ध राजपूतों में होती है और उसमें “नातारायत” आदि कुछ नहीं लिखा जाता है परन्तु आपस में धन, सम्पत्ति, जमीन-जायदाद वाले इनको अपने बराबर नहीं समझते हैं क्योंकि यह थोक साधारणतया गरीब होता है। ये लोग दूसरे राजपूतों की भूमि बोलते हैं। इनकी कन्याएँ कभी कभी बड़े-बड़े ठाकुरों के यहाँ भी ब्याह दी जाती हैं। कहावत भी है कि “नातारायत की तीजी पीढी गढ चढे है”।

राजपूतों के विवाह सम्बन्धी यह आम रिवाज है कि एक खाँप (कुल) में विवाह नहीं हो सकता है जैसे राठीड खाँप का पुरुष, राठीड वंश और उसकी शाखा या प्रशाखा को कन्या से विवाह नहीं कर सकता है परन्तु राजपूत जाति के अन्य वंशों में कर सकता है अर्थात् इस जाति में एकसो-गेमस यानि विवाह में निज वंश के टालने का रिवाज है। उत्तराधिकारी केवल पुरुष ही होता है। भगनी-सगाई के मीके पर दोनों ओर के लोग अपनी विरादरी के सामने अफीम गलाते हैं और उपस्थित लोगों को पिलाते हैं। इसके बाद सगाई पक्की समझी जाती है।

विवाह के लिये दुल्हा अपनी बरात के साथ दुल्हन के घर जाता है। राजा महाराजाओं की शादी जब कभी उनके आविस्त जागीरदार या कम हैसियत वाले कन्या के साथ होती है तब कन्या वाले की तरफ से डोला पेश होता है अर्थात् उस कन्या को घर के निवासस्थान पर पहुँचा कर वही विवाह की रीति पूरी की जाती है।

1. जोधपुर राज्य की ओर से प्रकाशित “मारवाड़ की कीमों की उत्पत्ति व इतिहास” पृ 44 (सन् 1891 की जनगणना)।

राजपूत जाति में जब किसी मनुष्य का देहान्त हो जाता है तो उसको पलंग से जमीन पर ले लेते हैं और उसके ललाट, बाह और कठ पर चन्दन का तिलक किया जाता है। पश्चात् यदि यह व्यक्ति धनी होता है तो उसकी मृत्यु समय उसे पद्मासन बैठा देते हैं और नहलाकर चादर ओढ़ा देते हैं। साधारण लोगों में मृतक पुरुष को मुला दिया जाता है। धनी लोगों में सिर्फ मृत पुरुषों को ही विमान (बैकुण्ठी)¹ में बिठला कर गाजे बाजे से मरघट ले जाते हैं। शव के आगे प्रायः रुपये पैसे आदि की बखेर² (बौद्धार) ऊट सवारों द्वारा की जाती है। साधारण लोगों को मुला कर और सब अंग मय मुँह के ढक कर दाँवों को रथी (सोड़ी) में बस कर श्मशान में ले जाते हैं। दाह क्रिया के बाद जब कभी मौका मिलता है तब भस्मो (राख) और फूलों (हड्डिया) को आस पास की नदी या हरिद्वार (गंगा नदी) में डाल देते हैं। मृत्यु सूचक शोक में भाई, लड़के व नौकर अपनी दाढी व सिर मुँडवाते हैं तथा सफेद पगड़ी पहनते हैं। यह शोक 12 दिन तक साधारणतया मनाया जाता है, जिसमें आमपास के रिश्तेदार व मित्र सहानुभूति प्रकट करने के लिये आते हैं। बाहरव दिन यथाशक्ति दान पुण्य कर स्वजाति लोगों को भोजन खिलाया जाता है। निकट सम्बन्धी लगभग एक वर्ष तक कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं और शोक सूचक सफेद या पक्के रंग की या आसमानी पगड़ी पहनते हैं। पुरुषों को भाँति ही स्त्रियाँ भी शोक मनाती हैं। स्त्रियाँ मृतक का नाम लेकर ज्यादा ही रोती हैं और कभी कभी तो उनका रोना ढोंग की हद तक पहुँच जाता है। विवाह तथा मृत्यु के ये रिवाज सामान्यतः और जातियों में भी प्रचलित हैं।

अन्य कुछ जातियों का विवरण इस प्रकार है —

ब्राह्मण—राजपूतों के बाद सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जाति ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों में श्रीमाली, दाधीच, पुष्करना, पालीवाल, पारीख, खण्डेलवाल आदि आते हैं। इनका धन्धा पूजा पाठ के अलावा

1 बैकुण्ठी यह एक छत्ररीदार ठाकुरजी (देवमूर्ति) के सिंहासन के जंसा लकड़ी का ढाँचा होता है जो उसी समय तैयार किया जाता है। इसमें मृत पुरुष को पद्मासन में बिठला कर गाजे बाजे से मरघट ले जाते हैं।

2 बखेर (उद्धार) यह राजस्थान की एक प्रथा है। किसी जागीरदार, रईस या धनी की मृत्यु समय पर ऊँट पर रुपये पैसे और कौड़ियों के ढंले भरे जाते हैं और सवार लोग आगे आगे चलनेवाले मेहतर और भिलारियों का घर से लेकर कुछ दूर तक लुटाते रहते हैं।

व्यापार व खेती हैं। ये ज्यादातर वैष्णव धर्मावलम्बी हैं लेकिन शैव व शाक्त भी काफी हैं। इनमें विधवा विवाह व तलाक पूर्णतया वर्जित है।

वैश्य—इनमें ओसवाल, सरावगी, अग्रवाल, महेश्वरी आदि आते हैं। ओसवाल अपने को मूलतः राजपूत बताते हैं तथा अपना मूल स्थान ओसिया (जोधपुर राज्य) बताते हैं। इसमें वैष्णव व जैन धर्मावलम्बी होते हैं। ज्यादातर लोग व्यापार करते हैं लेकिन राजकीय सेवा में भी काफी लोग हैं, इनमें कई गौत्र हैं, यथा मुहणोत, भण्डारी, डागा, राका नाहर पटवा, छाजेड आदि। इनमें विधवा विवाह व तलाक पूर्णतया वर्जित है। वैश्य व्यापार व लेनदेन का कारण सभी जातियों के सम्पर्क में ज्यादा ही आते हैं। इस कारण सभी जातियाँ इनसे डरती हैं। तब भी आदर भी काफी करती हैं। यों इनको सामान्य लोग बर्णित करते हैं। वैश्यों ने व्यापार व उद्योग धन्धों में काफी रियासत व धन अर्जित किया है। राजस्थान के वैश्य भारत के कोने कोने में जा बसे हैं और वहाँ उद्योग धन्धों फैला रखे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण ये लोग सामाजिक कार्यों, मन्दिरों, धर्मशालाओं पाठशाला और अस्पतालों आदि के लिये काफी दान देते रहते हैं।

काश्तकर जातियाँ—यों राजस्थान की प्रत्येक जाति काश्त करती है लेकिन कुछ जातियाँ—जाट, गुजर, माली, कलवी, सिरवी, पीटल, धाकड आदि का मुख्य धन्धा काश्त है। काश्त का धन्धा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक धन्धा नहीं है। लगभग सभी काश्तकार ऋणग्रस्त हैं। भूमि के उपजाऊ न होने, सिंचाई की सुविधाएँ कम होने, अकाल पडने, अनुचित लाग वागों की बसूली, लगान ज्यादा होने, शादी विवाहों व ओसर मोसर पर ज्यादा ही अपव्यय करते रहने के कारण काश्तकार जातियाँ आर्थिक दृष्टि से गरीब मानी जाती हैं।

जाट—भारत में ३६ राजवंशों में जाट जाति भी आती है। यह अपने को यदुवशी बताते हैं। जाटों में पूनिया तथा गोदारा सबसे पुराने हैं। राजस्थान में ये सबसे पहले वीकानेर व जैसलमेर राज्य में आकर बसे थे। वीकानेर के संस्थापक राव वीका को इन्होंने राज्य स्थापित करने में बड़ी सहायता की थी। जाट लोग बाद में राजस्थान के विभिन्न भागों में फैल गये। अहीर—अहीर शब्द संस्कृत के 'आभीर' शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है दूध वाला। अहीर अपने को कृष्ण के पालक-पिता नन्द के वंशज बताते हैं। यह शांति प्रिय काश्तकार जाति हैं। रेवाड़ी के अहीर नन्दराज,



जो श्रीरगजेव का समकालीन था, के बच्चे में कभी 360 गाव थे लेकिन अग्नेजो ने इनसे 315 गाव छीन लिये। ई० सन् 1857 के विद्रोह के वक्त शेष 45 गाव भी जब्त कर लिये। अब ये केवल काश्त पर निर्भर हैं। यह वैष्णव धर्मावलम्बी जाति है।

गुजर—यह एक क्षत्रिय जाति है। जो पहले गुर्ज से लडने में सिद्धहस्त होने के कारण गुर्जर कहलाई। अब भी इस जाति के लोग लकड़ी के नीचे लोहे का ठास पोला 'गुर्ज' लगाते हैं। सातवीं शताब्दी में इनका राज्य पजाव, राजस्थान व गुजरात के काफी भाग पर था। ग्यारहवीं शताब्दी में इनका राज्य अलवर पर भी था। तब इनकी राजधानी राजौर गढ़ थी। ये बत्रोज के राजा महिपाल (क्षितिपाल) के सामन्त थे। कई लेखक इनको सूर्य वंशी क्षत्रिय मानते हैं। राजस्थान के राजाओं में राजकुमारो को दूध पिलाने के लिए गुर्जर महिला को धाय रखा जाता है। इन लोगो का मुख्य पेशा काश्त करना तथा पशु पालन हैं।

माली—मानी जाति विभिन्न नामों-मालाकार, प्रागवान सैनी सैनिक क्षत्रिय आदि नामों से पुकारी जाती हैं। जिस प्रकार राजवंशों में गुर्जर महिला राजकुमारो को दूध पिलाने को रखी जाती है वैसे ही इस जाति की महिलायें भी राजवंशों में धाय रखी जाती हैं जिनके पुत्र धाय भाई कहलाते हैं। ये लोग पहले क्षत्रिय थे लेकिन शहाबुद्दीन गाली के समय से इन्होंने वागवानी का पेशा धारण कर लिया। इस जाति की शाखाएँ राजपूतों जैसी ही हैं, यथा—कछवाहा, पडिहार, सोलकी, गहलोत, साखला, भाटो राठोड, चौहान, तवर, देवडा, परमार दहिया आदि।

चमार—यह जाति चर्म का काम करने के कारण चमार कहलाई। जितनी उपयोगी यह जाति है उतनी शायद ही कोई हो। ये न केवल गाय, भैंस, बैल आदि के मरने पर खाल उतारते हैं बल्कि उसे रगते भी है तथा उसके जूने, चडस आदि बनाते हैं। गाव में ये गोबर इकट्ठा करना, आँगन लीपना, घास, लकड़ी आदि इकट्ठा करना भट्टियाँ खोदना, दूसरे गाव में न्यौता देना, तथा गाव की बैठकेंगार निकालने का काम भी करते रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों की जितनी सेवा यह करते हैं उतनी शायद ही कोई जाति करती हो। इनकी आर्थिक व सामाजिक दशा गिरी हुई है। चमार जाति को मुसलमान होने से रामदेव तवर (रामशाह पीर) ने बचाया था। उसकी यह बड़ी पूजा करते हैं। इस जाति को अछूता में गिना जाता है।

मीणा—ये लोग जयपुर राज्य के, कछवाहा राजपूतो द्वारा अधिपत्य जमाने के पहले, यहां के शासक थे। अभी भी राजपूत समाज में इनका आदर किया जाता है। राजपूत इनके हाथ का खाते पीते हैं। मीणों को दो श्रेणियाँ हैं—काश्तकार व चौकीदार। चौकीदार मीणा अपने को ऊँचा मानकर काश्तकार मीणों में अपनी लडकी नहीं देते हैं। या इन चौकीदार मीणों से सभी घबराते हैं व इनको चौकीदारी की लाग देते रहते हैं। ये समय पड़ने पर दूर दूर तक लूटमार कर आते हैं। मीणा के ३२ गोत्र हैं। सूसावत मीणों का आमेर में पहले राज्य था। मीणों डकैती के लिये बदनाम हैं लेकिन अब इनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है।

भील—भीलों की ज्यादा बस्तियाँ मेवाड़, डुंगरपुर, वासवाड़ा व प्रतापगढ़ राज्यों में हैं। भील एक स्वामीभक्त जाति है। इनका मुख्य धंधा खेतों की डाली व मजदूरी करना है। इनमें बहुविवाह ज्यादा होता है। इनमें नात की भी प्रथा है। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर विधवा अपने देवर का चूड़ा पहन लेती है।

भाट—ब्राह्मणों और राजपूतों की वशावली रखना इनका काम है। यों ये अन्य जातियों की भी वशावली रखते हैं। ब्राह्मणों और राजपूतों के भाट राव भी कहलाते हैं। भाटों में ब्रह्म भाट भी होते हैं जो अपने को गौड ब्राह्मण बतलाते हैं और अन्य भाटों से ऊँचा मानते हैं। कुछ भाट स्त्रियों की भी वशावली रखते हैं जो राणीमगा भाट कहलाते हैं।

चारण—राजपूतों की भाँति चारण अपनी दैवीय उत्पत्ति बतलाते हैं। ये देवी के पूजक हैं और उसके नाम से गले में काला डोरा बाँधते हैं। चारणों की तीन शाखाएँ हैं—मारु, काछेला और तिवारी। मारु चारण राजपूत नरेश की सेवा में रहते हैं और साहित्य सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। इनको काफी जागीर मिली हुई है। इनकी जागीरों की मृत्यु होने पर सभी भाइयों में बराबर बँट जाती है। इस कारण जागीरों का 'चारणिया बँट' प्रसिद्ध है। इनके विपरित राजपूतों की जागीरों में ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है। शेष भाइयों को जीविका में थोड़ी थोड़ी भूमि दे दी जाती है। काछेला चारण व्यापारी होते हैं। इनमें अपनी माता के गीत में विवाह करने का रिवाज है। प्रसिद्ध भी है—'मामा की धी, विचंडी में धी' तिवारी चारण मूलतः श्रीमाली ब्राह्मण थे जो जालोर के बान्हड देव के समय चारण बन गये। मारु और काछेला चारणों का इनके साथ खान-पान नहीं है।

मेर—मेरो का उत्पत्ति स्थल अजमेर मेरवाडा का पहाडी क्षेत्र मेरवाडा है। इस जाति के लोग पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गौड लाखन के वंशज हैं। गौड लाखन ने वृन्दी की एक मीणा स्त्री से विवाह किया था और इस सम्बन्ध से मेरो की उत्पत्ति बतलाई जाती हैं। इनकी कई उपजातिया बरार, चीतार, मेरात आदि हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी के लगभग इनमें से अधिकांश ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। मेर सामान्यतः विश्वास पात्र, सहृदय और उदार होता है। उसका मुख्य पेशा खेती ही रहा है लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ज्यादातर लूट-खसोट पर निर्भर रहने लगे। ये लूटमार में भी ब्राह्मण स्त्री, सन्यासी पर हाथ नहीं उठाते हैं। मेरवाडा क्षेत्र से होकर कई व्यापारिक मार्ग निकलते थे। इस कारण वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु मध्य काल में मेरो को दवाने के कई प्रयत्न जयपुर, उदयपुर तथा जोधपुर राज्या ने किये लेकिन वे असफल रहे। शांति व व्यवस्था उन्नीसवीं शताब्दी में ही अग्रजा द्वारा की जा सकी। अग्रजा द्वारा प्रशासन स्थापित करने के पूर्व यहाँ कन्या हत्या, महिलाओं की विक्री आदि का रिवाज था। बेटा अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर अपनी माता तक को बेच देता था। इनमें दास प्रथा भी थी। दास-दासियों का क्रय विक्रय होता था। अग्रजों ने ये सामाजिक कुरीतियाँ काफी सीमा तक बन्द कराईं।

सहरिया—यह एक वनवासी जाति है जो कोटा राज्य में मुख्यतः रहती है। कर्नल टॉड ने सहरियों को मीणा, भील और गुजरो की भाँति राजस्थान के आदिवासी बतलाया है। इनका रहन-सहन भीलों की भाँति ही है। इनमें कई गोत्र राजपूतों के समान हैं यथा चौहान, देवडा मालकिया, बाघेल आदि। उनमें मासाहारी ज्यादा है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये अधिस्तर भूमिहीन हैं तथा मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते हैं। जंगलों से लकड़ी व घास लाकर व कोयला बना कर भी बेचते हैं।

गरासिया—यह जाति मारवाड़ के दक्षिण पूर्वी भाग व सिरोही राज्य में वास करती है। यों यह अपना मूल स्थान मेवाड़ व अपने को राजपूतों का वंशज बतलाते हैं। इनमें कई गोत्र राजपूतों के समान हैं, यथा चौहान, सोलंकी, परमार आदि। इन लोगों में विधवा विवाह, तलाक, बहु विवाह आदि होता है। लड़के लड़कियों में प्रेम विवाह होते हैं।

डामोर—वासवाडा राज्य में गुजरात की सीमा पर पाई जाने वाली यह वनवासी जाति भी अपनी उत्पत्ति राजपूतों से बतलाती हैं। इनके कई

गोन राजपूतो से मिलते जुलते हैं। ये लोग मामाझागे व भगद के उन्नी हैं। इनका मुख्य पेशा खेती है। इन जाति के पुरुष भी स्त्रियों की तरह गहने पहनने के शौकीन हैं। इनका अन्य वनवास आदि के सम्बन्ध या खान-पान नहीं होता है।

कजर—कजर नाम मम्बूत शब्द 'काननचार' का अर्थ होता है जगलों में विचरण करने वाला। यह जाति चोरी, डकैती व लूट मार में ज्यादा विख्यात है। वे गाने व नाचने में प्रवृत्त हैं। ये गाने व नाचने में सग्या अजमेर, अलवर, उदयपुर, कोटा, वृन्दा, इत्यादि जगहों में ज्यादा है। कजर औरत घाघर के बदन में गहने पहनती हैं। यह रंगीन छापल कपड़े का शौकीन है। स्त्रियों व बच्चों में विवाह में वर वधु का दान २ हजार रुपये तक देने पड़ते हैं। इस जाति में तलाक दोनो पक्षों में से कोई भी देना पड़ता है तो वह वधु का मूल्य वापस नहीं मागता है तो वह वधु का मूल्य पचायत द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। मरते समय व्यक्ति के गले में शराव की

जोगी—यह जाति योग करने के कारण योगी (अमभ्र श जोगी) कहलाये। ये कनफटा साधु भी कहलाते हैं। ये छेद करा कर दात या हड्डी के गान वृन्दा गादी होती है लेकिन अब ये लोग विवाह भी कहलाते हैं। ये गाव में शिव मन्दिर के

बलाई—यह अछूत जाति चमारा जाती है। इनका मुख्य धन्धा कपड़ा बनाने करते हैं या खेतीहर मजदूर हैं।

विष्णोई—मूलत विष्णोई एक जाति है। न केवल हिन्दू बल्कि मुसलमान भी इस जाति के हैं। इस जाति के ज्यादातर लोग हैं लेकिन

का मुख्य प्रवर्तक जाम्भेश्वर (जाभा) था जिसका जन्म सन् १४५१ में पीपासर में हुआ था। इसके पिता का नाम भावर था जो पवार राजपूत था। जाभा विष्णु का अवतार कहा जाता है। उसके द्वारा बतनाये २६ उपदेशों को मानने वाले ही विशनोई (बीस और नौ) कहलाये। विशनोई मृतक को गाढ़ते हैं अन्यथा उनके सभी राति रिवाज हिन्दूओं के समान है।

राजस्थान के 1 12,25 712 लोग में से 15 56 305 व्यक्ति यहां के 145 कस्बों व नगरों में तथा 96 69 407 व्यक्ति यहां के 33 668 गांवों रहते हैं। प्रति वर्गमील औसतन 87 मनुष्य रहते हैं। यहां के लोगों की सरया जातिवार इस प्रकार है — अग्रवाल 1 83,754 बख्तार 23 409 चारण 35 548 छीपा 25,498 डबगर 696 दाहूपन्थी 6 122 डाकात 27, 353 डागी 50 898 दरगा 1 77,104 दर्जी 47,398 धाकड़ 96 158 धानक 30 735 हूमड 10 541 जाट 10 42,153 जोगी 76, 704 काछी 60 510 कहार 15,143 कलाल 42,876 कुम्हार 3 57 751 कुनवी 57 815 लखारा 10 966 लोधा 48 503 लोहार 67 391 महेश्वरी 81 819 माली 3 69 173 मव 1 67 530 मीणा 6 07 369 मिरासी 1 568 नाई 1 66 096 नायक 62 329 आसवाल 1 97 460 पालीवाल 4 362 पटेल 55,867 पोरवाल 29 359 पुरोहित 45 308 रायगर 1 30,104 राजपूत 6 33 830 राणा 10 035 रगड 24,091 रावत 27 804 रेवारी 1 35 820 साद 29 044 साधु 66 597 सरावगी 32 648 सिरवी 53 611 साधिया 34 257 सुनार 73 455 स्नामी 44 937 धोत्री 38 783 भोई 10 340 ढोली 30 862 त्रिसनोई 69 873 ब्राह्मण 8 54 634 गाछा 14 575 गडरीया 77 370 गरुडा 86 99 गुजर 5 26 791 कायस्थ 23 165 खण्डेलवाल 48 435 खातो 2 09 937 कीर 23,980 ओड 7,757 तेनी 49 500 सिलावट 4 744। मुसलमानों में भिन्ती 23 949 विसाती 3 384 बोहरा 15 302 फकीर 54,859 जुमाहा 17 087 बैमणानी 35 686 खानजादा 8 674 मणीहार 7 082 पठान 1 19 803 पीजारा 26 388 रगरेज 16 128 शेव 2,10 499 सिलावट 9,532 सिन्धो 43 588 तेली 30 495 मिरासी 15,483 छीपा 7,553 लखार 2 019 लोहार 13 659 मकराणी 1 320 धोवी 5,049 और ढोली 4,710 है।<sup>1</sup>

1 (से क्षेत्र आरु इण्डिया 1931 जिल्द 27 राजपूताना एजे सी)।

## अछूत जातियाँ

हिन्दुओं की जातियों का वर्गन करने के साथ ही उन जातियों का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा जिन्हे (हरिजन) समझा जाता है। राजस्थान के 1,001,50,251 हिन्दुओं में से 17,57,374 अछूत (हरिजन) समझे जाते हैं।\* अर्थात् हिन्दुओं में से 16 प्रतिशत अछूत है। इन हरिजनों का जातिवारः वरीरा इस प्रकार है —

1 चमार	7,66 643	4 मेहनर (भगी)	92,747
2 मेघवाल <sup>1</sup>	4 24 900	5 खटीक <sup>2</sup>	59,502
3 रंगर <sup>2</sup>	1 30 103	6 ढोली <sup>4</sup> (दमामी)	39,999

1 इनमें से 2,18,857 बलाई और 1 62,863 भाबी है।

2 ये बीकानेर में रगिया और मेवाड़ में बूला कहलाते हैं।

3 ये चमड़ा रंगते हैं और कई शराब और मास भी बेचते हैं। इससे ये हिंदू कसाई भी कहलाते हैं। सिंध में ये लाग अपने को कलाल (कलवार) कहते हैं।

4 ये जोधपुर में नक्कारची व डूम तथा जयपुर में राणा और हाडोती में बारहट कहलाते हैं। (बेलो महाकवि सूर्यमल चारण कृत वश भास्कर तृतीय भाग पृष्ठ 79)।

\* यह जनसंख्या सन् 1931 में थी। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार कुल अछूत 40 75 580 हैं अर्थात् 2 30 93 895 हिन्दुओं में से 17 6 प्रतिशत अछूत मान जाते हैं।

‡ अछूतों को नया नाम 'अनुसूचित जातियों' भारतीय संविधान के अनुसार दिया गया है। संविधान के अन्तर्गत दिये गये संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश 1950 में निम्न जातियाँ अनुसूचित जातियाँ (अछूत) बतलाई गई हैं —

1- अजमेर जिला सिरोही जिले के धाबूरोड ताल्लुका और भालावाड जिले के मुनय टण्णा के सिवाय सारे राज्य में —

- |  |               |                       |             |
|--|---------------|-----------------------|-------------|
| 1- आदि घर्मी   | 2- अहरी       | 3- बादी               | 4- बागरी    |
| 5- बंरवा या बंरवा                                      | 6- बाजगर      | 7- बगई                | 8- बामण्ड   |
| 9- बर्गी, बर्गी बिरगी                                  | 10- बावरिया   | 11- बडिया या बेरिया   |             |
| 12- माड  | 13- भगी       | 14- बिदाकिया          | 15- बोला    |
| 16- चमार भाभी जटाव जगिया, मोची रेदाम रेगर या रामदामिया | 17- चांगन     |                       |             |
| 18- चूडा   | 19- डाबगर     | 20- धानकिया           | 21- डड      |
| 22- डाम  | 23- गडिया     |                       |             |
| 24- गराबा  | मेहनर या घावा | 25- गरो गरुडा या गुडा | 26- गवारिया |

7. धोबी	38,783	13. वागडो <sup>4</sup>	10,597
8. घाण्णका <sup>1</sup> (बर्गी)	32,326	14 गुग्डा <sup>5</sup>	8,699
9. सरगरा	31,300	15 साभी	7,147
10. थोरी <sup>2</sup>	20,388	16 नट	6,416
11 मोची <sup>3</sup>	22,102	17 वावरो	5,945
12 कोरिया (कोलीक)	11,303	18 गाछा (बासफोड)	5,698

1. ये अपने को धनुषधारी साधुओं में से बताते हैं और अपने बतन दिल्ली कहते हैं। स्त्री पुरुष गलियों में झूठन मांगते फिरते हैं। इससे भगी भी इनसे परहेज करते हैं। ( देखो मारवाड की कौमों की उत्पत्ति व इतिहास, तीसरा हिस्सा पृष्ठ 582 तन् 1891 ई. महुंमसुमारो )। जयपुर में ये लोग बर्गी भी कहलाते हैं। 1,563 बर्गी भी इस सख्या में शामिल हैं।

2. ये घ्राहडी तथा नायक भी कहलाते हैं। इस सख्या में 1 204 घ्राहडी भी शामिल हैं।

3 इनमें से 175 ने अपने को जीनगर 45 ने पन्नीनगर और 66 ने जटाध दर्ज कराया है। ये सब एक ही हैं और आपस में ब्याते हैं।

4 तैतों की चौकीदारी करने वाली एक कौम।

5 मेघवाल कौम के गुरु हैं जो उनके विवाह आदि सस्कार कराते हैं और अपने को जोशी ब्राह्मण समझते हैं। सोयल (बोकानेर) के रामस्नेही पथ के आदि गुरु महात्मा हरिरामहास इसी गुरुहत्या जाति के थे। मेघवालों के साधु कामडिया कहलाते हैं। जो भय स्त्री के तंगुरे पर गाते फिरते हैं। ये मेघवाल कौम ही से हैं।

27- गोधी 28- जीनगर 29- कालबेलिया 30- वामड या वामडिया 31- वजर  
32- वापडिया मासी 33- चमार 34- खटीर 35- बोली या बोरी  
36- बूचवन्द 37- कारिया 38- कुजर 39- मदारी या वाजीगर 40- मजहबी  
41- मेघ या मेघवाल 42- मेहर 43- मेहतर 44- नट 45- पासी 46- रावल  
47- सालबी 48- मासी 49- साटिया 50- सरभगी 51- सरगरा 52- मीगी-  
वाला 53- थोरी या नायक 54- तीरगर 55- वाल्मीकी

2- अजमेर जिले में —

1- घहेरी 2- वागरी 3- बलाई 4- भाभी 5- बासफोड 6- वावरी 7- बर्गी  
8- वाजीगर 9- भगी 10- बिदाकिया 11- चमार, जटाध, जटिया, मोची या रेगर  
12- डावगर 13- धानक 14- देड 15 घोडी 16- डोली 17- डोम 18- गरोडा  
19- घाचा 20- कबीरपथी 21- कालबेलिया 22- जानगर 23- खटीक 24- वाली

19. महार	5,362	27 डवगर (ढालगर)	652
20 गवादिया	5 354	28 बाजीगर	372
21 कालवेनिया (मपेरा)	3,740	29 कुचवध	326
22 कजर	3,553	30 सीगीवाला	203
23 खगार	2,925	31 वीदकिया	63
24 साटिया	1,103	32 पासी'	43
25 तीरगर	708	33 मरभगी	23
26. रावल	677		

1 सूअर पालने वाली एक कीम ।

- 25- कोरिया 26- कुचवन्द 27- मेहर 28- मेघवाल 29- नट 30- पासी  
31- रावन 32- सरभगी 33- सरगरा 34- साटिया 35- थोरी 36- तीरगर  
37- कजर 38- सासी ।

3- सिरोही जिले का आबूरोड तालुका —

- 1- घगेर 2- वाकड या वन्ट 3 भावी, भाभी, असादर, असोदी, चमाडिया चमार, चाममार, चामगार, हरगा, हरानी, खालपा, माचिगार, मोचिगार, मादर, मादिग, तेलगू मोची, वामाटी मोची, राणीगर, रोहिदास, रोहित या समगार 4- भगी, मेहतर, भोलगना, फनि, लानवेगी, वाल्मीकी, वीरार या भाडमल्ली 5- चलवादि या चन्नेया 6- चैनदासग या होनेय दासर 7 डोर, कक्कैया या कन्कैया 8 गराडा या गरो 9- हल्लोर 10- हल्लार, हल्लार, हुलस्वार या हलस्वार 11- हालार या वल्लार 12- होलिया या होनेर 13- लिंगाडेर 14- महार, तराल या घेगू मेगू 15 माहयावजी, डेड, वगवर या मन्वगवर 16- माग, मातग या मिणिमादिग 17 मग गाखी 18- मेघवाल या मेघवार 19- मुक्री 20- नाडिया या हाडी 21- पामो 22- जेनवा, चनवा, सडमा या रावत 23- तीरगर या तीरखण्डा 24- तुगे ।

4- भालावाड जिले के मुनेल टप्पा मे —

- 1- वागरी या वागडी 2- बलाई 3- बनचडा 4- वरहार या वमोद 5- वरगुंडा 6- वेडिया 7- भगी या महतर 8 भानुमती 9- चमार, बंगवा, भावी, जटाव, मोधी या गेग 10 चीडर 11- धानुव 12- डड 13- डोम 14- कजर 15- खटीव 16- बोली या बोरी 17- बोनवाल 18 महार 19- माग या माग गारोडी 20 मेघवान 21 नट, कालवेनिया या सरा 22- पारथी 23- पामो 24- मागी 25- भमरत ।



इन हरिजनो की दशा रियासतो मे बडी शोचनीय है। जो सामाजिक अत्याचार इन पर होते है। उनका धर्मान यहा नही बिया जावे तो उचित ही होगा। इतना लिखना जरूरी है कि इतनी बडी सख्या के लोगो को सुधारने का ध्यान किसी भी राज्य को नही हुआ है। जितने अत्याचार इन लोगो पर समाज से होते है, राजकर्मचारियों द्वारा उनसे कम नही होते है। इन लोगो पर अत्याचार तुरन्त ही बन्द हो जाते है जब वे मुसलमान या ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते है। यही कारण है कि धीरे-धीरे हरिजन लोगो की सख्या कम होती जा रही है। आधुनिक जागृति इस धर्म परिवर्तन मे उनको और भी सहायता देगी क्योकि ये लोग अपने ऊपर किये जानेवाले अत्याचारो को समझने लगे है और धर्म परिवर्तन के लाभ जानने लगे है। हरिजनो पर उच्च हिन्दुओ का दुर्व्यवहार और उनकी कुम्भकर्ण की नींद इस परिवर्तन मे गहरी सहायक प्रमाणित हुई है।

जैसी दशा अछूत जातियो की है वैसी दशा बनवामी जातियो (भील, मीणा, मेर, सहरिया, गिरामिया, डामोर आदि) की है।'

घाबूरोड तालुका सन् 1956 के पूर्व महाराष्ट्र मे तथा मुनेल टप्पा मध्यप्रदेश मे मिला हुआ था। अतः सन् 1950 के आदेश मे जो जातिया महाराष्ट्र तथा मध्य-प्रदेश मे अनुसूचित जातिया घोषित की गई वे ही अब भी घोषित रही। इनमे से कई जातिया राजस्थान मे नाममात्र की है।

(1) राजस्थान मे भील भीलमीना, डामोर ( डामरिया ), गरासिया (राजपूत गरासियो को छोड कर) मीणा और सहेरिया (मेरिया) को भारतीय सविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश १९५० जारी कर सरकार ने आदिम जातिया (जन जातिया) माना है। सिरोही जिले का घाबूरोड तालुका सन् १९५६ तक बम्बई प्रांत से तथा भालावाड जिले का मुनेल टप्पा मध्य प्रदेश मे मिले हुए थे अतः सन् १९५० मे उन राज्यों मे घोषित जन जातिया अब राजस्थान मे सम्मिलित हो जाने पर भी यहा की जनजातिया माना गया है। इनमे कई जातिया नाम मात्र की है। आदेश मे वर्णित जनजातिया इस प्रकार है —

1- अजमेर जिले, सिरोही जिले के घाबूरोड तालुका और भालावाड जिले के मुनेल टप्पा के मिवाय सारे राज्य मे —

- 1- भील      2- भील मीना      3- डामोर, डामरिया      4- गरासिया  
(राजपूत गरासिया को छोडकर)      5- मीणा      6- मेरिया या सहेरिया

## नरेश

राज्य में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा व सम्मान नरेश व उसके परिवार को दिया जाता है। वह दैविक सम्पन्न माना जाता है। इन नरेशों में गहलोत, कछवाहा, राठौड़ आदि राजवप के तथा यादव भाटी आदि चन्द्रवश के तथा चौहान ( हाडा व देवडा ) व परमार अग्निवश के माने जाते हैं। जनता इनके दर्शन करने को लालायित रहती है। नरेश के पुत्र जन्म पर जनता प्रसन्न होती है तथा मृत्यु होने पर शोक मनाती है मानी उनके परिवार में ही किसी बड़े बुद्धे की भृत्यु हो गई हो। कई लोग नरेश या उसकी महारानी के स्वर्गवास पर अपना सिर, दाढ़ी आदि तक मु डवाते हैं, लेकिन अब कम ही लोग अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं। इसका कारण है जनता का नरेश में विश्वास रखने व प्रेम में कमी आना है। जनता में अब आर्य समाज के द्वारा सामाजिक जागृति लाने और कांग्रेस द्वारा राजनैतिक चेतना फैलाने के कारण नरेशों में दैविक शक्ति होने का विश्वास घटना है। फिर भी ग्रामीणों में अभी भी नरेशों के प्रति अगाध श्रद्धा है। अभी ग्रामीणों के लिये नरेश उनका "अन्नदाता" है।

### 2- अजमेर जिले में.—

1- भील 2- भील मीना

### 3- सिरौही जिले के आबूरोड तालुका में —

1- बर्डा 2- बावचा या वामचा 3- भीन गरासिया, धौली भील,

दुंगरी भील, दुंगरी गरासिया में वासी मिले रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाल पावरा, वासवा और वसाप सहित भील 4- चौवरा

5- लडवी, तेलरिया और वलवी सहित धारणका 6- धौडिया 7- तला-

विया या हलपति सहित दुबला 8- भावची, पाडवी, वसावा, वसावे और वलवी सहित गामोत या गामिटा या गावीता 9- गाड या राज गोड

10- डौर काथोडी या डौर कातकारी और सोन काथोडी या सोन कातकारी के सहित काथोडी या कातकारी 11- कोकना, कोकनी, कुकना 12- कोली-

डोर टोकरेकोली, कोयचा या कोलधा 13- चोलियाला नायका, कपाडिया नायका मोटा नायका और नाना नायका सहित नायकडा या नायका 14-

अडनोचिचेर और फासे पारधी महिन पारधी 15- पटेलिया 16- पोमला 17- राठवा 18- वारली 19- बीठोलिया, कोठोवालिया या बाराडिया

### 4- झालावाड जिले के मुनेल टप्पा में —

1- गोड 2- कोक्रे 3- सेहरिया

### सामन्त

सामन्तो का अविर्भाव लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ जब नरेश अपने सम्बन्धियों और अधिकारियों को इस कारण भूमि देने लगे ताकि उसके सैनिक अभियान ठीक प्रकार से चल सके। सामन्तो को दी गई भूमि या गावों पर सामन्तो का नियंत्रण रहता था लेकिन शासन प्रबन्ध राजाओं का ही रहता था। इस कारण सामन्तो के गावों के निवासियों पर दोहरा शासन रहता था। इन सामन्तो के गाव जागीर के गाव कहलाते थे। इन सामन्तो को आवश्यकतानुसार राजाओं को सैनिक या आर्थिक सहायता देनी पड़ती थी। राजा की विजय या पराजय पर ही उसके सामन्तो को और भूमि मिल जाती थी या उसकी भूमि से अधिकार हट जाता था। मुसलमानों के राज्य काल में बादशाहों की सेवा में बराबर रहने व उनके लिए सैनिक अभियानों में बग़र जाते रहने के कारण भी राजाओं को सामन्तो की सहायता की ज्यादा ही आवश्यकता पड़ने लगी। अतः मध्यकाल में सामन्तवाद पूर्णतया सुदृढ़ हो गया।

इस प्रकार सामन्तवाद बनने से राजा को एक बड़ा लाभ यह था कि उसे बड़ी सेना नहीं रखनी पड़ती थी। जब भी उसे सेना की आवश्यकता होती थी वह अपने सामन्तो को आदेश भेज देता और वे तत्काल अपनी सेना लेकर इकट्ठे हो जाते थे। राजा को इनसे आर्थिक लाभ भी था। नजराना, हुकमनामा, रेख, चाकरी, खडगवन्दी, मातमी, मतालमा आदि तथा राजकुमार या राजकुमारी के विवाह पर भेट आदि से, जो उस के सामन्त देते थे, राजा को अच्छी आय हो जाती थी। उत्तराधिकारी न होने या कोई सगौन अपराध करने पर सामन्त की जागीर भी नरेश द्वारा जब्त कर ली जाती थी। इस प्रकार राजा का सामन्तो पर न केवल नियंत्रण रहता था बल्कि उनसे आर्थिक लाभ भी मिलता रहता था।

मुगल साम्राज्य के पतन काल में मरहठों से युद्धों आदि के कारण राजस्थान में जो अराजकता फैली उसका लाभ उठाकर ये सामन्त उपद्रवी हो गये। उनकी मनमानी व अराजकता इतनी बढ़ गई कि राजा को चैन से सोना हराम हो गया और किसी सीमा तक उन्हें विवश होकर अंग्रेजों से सन्धिया कर उनके अधीन होना पड़ा। इन सामन्तो ने न केवल राजाओं बल्कि अपनी जनता को भी तग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अधिकांश सामन्त अपनी जागीर में छोटे राजा बन गये। वे अपनी प्रजा पर

मनमानी करने से चूकते नहीं थे । अपनी जागीर का प्रथम व्यक्ति होने से अपनी जनता के मूल अधिकारों को कुचलने में अपनी शान समझने लगे । उनकी कोई दूसरा आदमी उनकी बराबरी में बैठना तक अच्छा नहीं लगने लगा । यहाँ तक कि दूसरे लोगों का घोड़े पर बैठना तक अखरने लगा । इस कारण उनके सामने दूसरे व्यक्ति चारपाई पर बैठ नहीं सकता था और दूल्हा तक घोड़े पर चढ़ नहीं सकता था । स्त्रियाँ जूता पहन कर उनके सामने नहीं निकल सकती थी । जनता में वेगार लेने व लाग-वाग लेने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते थे ।

सामन्तों से बढ़कर अत्याचारी उनके नौकर थे । उनके नौकर ज्यादातर उनके ही दरोगे या गोले होते थे । हीनता के भाव से ग्रसित इन दरोगों का ग्रामीणों के साथ व्यवहार पूर्णतया अपमानजनक होता था । वे ग्रामीणों को तग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे । इन नौकरों की स्त्रियाँ गोलियाँ जागीरदारों पर डोरे डालती रहती थी और वे दरोगे गाव की पिछड़ी जातियों की स्त्रियों की इज्जत लूटने में ही अपनी शान समझते थे ।

जागीरदारों के गावों व उनकी भूमि की देख रेख व जागीरों का श्राय व्यय का लेखा ज्यादातर महाजन लोग देखते थे । ये भी जागीरदार को बेवकूफ बनाये रखने व काश्तकारों को तग करने से चूकते नहीं थे । वे न केवल जागीरदार वल्कि काश्तकारों को खूब लूटते थे । वे जागीरदारों को काश्तकारों को दबाये रखने के तरीके बतलाते रहते थे । जागीरदारों को छोटे नरेश बतलाकर, उनको सुरा और सुन्दरी के चक्कर में डालकर अपने घर भरते रहते थे । उनकी तो यह इच्छा रहती थी कि—

ठाकर वालक होय, हुकम ठकराणिया ।  
गाव दुसाखियो होय, के बसती बाणिया ॥  
घर ही न्याव बताव, घर से तोलगा ।  
इतरा दे किरतार, केर नहीं बोदणा ॥

अर्थात्—ठाकुर छोटा हो और स्त्रियाँ (ठकुरानिया) की आज्ञा चलती हो, गाव (जागीर) में दो शाखें (फसलें) उत्पन्न होती हो और महाजनों की बस्ती हो, अपने घर से ही तोलकर सामान दिया जाता हो और घर पर ही हिसाब-किताब से निर्णय करने का अधिकार हो । यदि इतना हमें ईश्वर दे दे तो फिर किसी बात की चाह शेष न रहे ।

अधिकांश सरदारों की यह दशा देख कर अंग्रेज विद्वान अवेरीघ मैकी ने राजपूत सरदारों का हृदय-द्रावक चित्र इस प्रकार खींचा है.—

“वे ही राजपूत जो चन्द्र और सूर्य के वशवर कहे जाते हैं और जो अग्निकुल से उत्पन्न हुए हैं अब अपनी जाति विषयक उन्माह-पूर्वक हडियाँ भूल गये हैं और मूर्खता तथा विलास-प्रियता के कारण ऐसे अकर्मण्य बन गये हैं कि जब उनके पूर्वजों की हैं और धर्मयुक्त वीरता, उनके युद्धिमत्ता-पूर्ण व्यवहारिक देश-प्रेम, समुचित मस्कृति तथा उदारहृदयता का स्मरण करते हैं तो बड़ा दुःख होता है। आज कल के राजपूत रईस अपनी मातृ भाषा में लिखना पढ़ना कठिन सा समझते हैं, उन्हें अपनी जाति, राज्य तथा राज्योचित कर्तव्य के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं होना और वे अपना व्यक्तिगत जीवन ऐसे घृणास्पद व्यक्तियों की संगति में खो देते हैं जो अपने दुर्गुणों के कारण सेवक शब्द को कलंकित करते हैं। राजपूत सरदार शराब और अफीम के नशे में चूर होकर घृणास्पद ढंग और दरिद्रता की दशा में रहा करता है। उसे अपने काम काज की कुछ भी सुध-बुध नहीं रहती है। वह अपने कामदारों तथा उसके सहायकों पर ही अवलम्बित रहता है। वह ऋण में भी बुरी तरह लदा रहता है किन्तु उसे किसी बात की चिन्ता नहीं रहती है। उसे इस बात की सदैव लालसा रहती है कि जब कभी कहीं वह जावे तो उसके राजपूती कुल के प्रति सम्मान-सूचना के रूप में तोपों की सलामी हो, गलीचे के पावडे डाले जावे, उनके साथ घुड-सवार सैनिक हो और उसको यह भी हार्दिक अभिलाषा रहती है कि उसकी लड़कियाँ बाल्यावस्था में ही अपने से ऊँचे राजकुलों में ब्याही जावें। यही नहीं, दशहरे के दिन वे यह आशा करते हैं कि अमीर व उमराव यथोचित रीति से उनको उपहार देते और अपनी राजभक्ति का परिचय दे।”

राजपूतों में, विशेष कर बड़े जागीरदार व राजाओं में, यह प्रथा चली आती है कि कन्या का सम्बन्ध अपने से ऊँचे या बराबरी के धराने तथा धनी रईस से करें। इस बात की परवाह नहीं की जाती कि वर की शारीरिक व विद्या-सम्बन्धी योग्यता ठीक है या नहीं? यहाँ तक हठ किया जाता है कि कहीं-कहीं कन्याओं को आजन्म, अविवाहिता रहना पड़ता है और यदि सम्बन्ध हुआ भी तो अनमेल, जिससे पासवानों का पासा तेज रहता है।

राजस्थान के इन राजपूतों के रीति-रस्मों को नियम-पूर्वक चलाने और वहाँ की अनेक सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए कर्नल

वाल्टर ( ए जी जी ) ने स० 1945 की चंद्र वदि 13 को अजमेर मे एक सभा स्थापित की थी । दूसरे वार्षिक अधिवेशन पर 15 फरवरी को सन् 1889 ई० को इस सभा का नाम उन्ही के नाम पर "वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा" रक्खा गया । देश मे अनेक राजा महाराजाओं के होते हुए भी, उन्हें अलग रक्खकर राजस्थान के ए जी जी उसके सदा के लिए स्थायी सभापति बनाये गये । इम सभा की शाखाएँ प्रत्येक राज्य मे अब तक प्रचलित है परन्तु उसका असर उतना नही पडा और राजपूत-समाज मे वंसी ही कुरीतियाँ चालू है । इन कुरीतियाँ के कारण ही विवाह आदि मे खर्च करन को पैसा न होन से इस जाति का संकडो बालिवाएँ बवारो है । अनेक कन्याएँ पूरे स्त्रीत्व को पहुँच चुकी है किन्तु उनके विवाह का पता ही नही है । वे एक प्रकार से निराश हो चुकी है । वमेल विवाह के कारण बँकडा युवतियाँ असमय मे ही विधवाएँ बन कर समाज पर भार-स्वरूप हो गई है । संकडो परिवार नष्ट हो गये । इस कारण यदि सभा के अधिकारी नियमो की कडाई का पूरा ध्यान रक्ख तो राजपूत समाज की स्थिति मे बहुत शीघ्र परिवर्तन आ सकता है । क्योकि उनके पास साधनो की कमी नही है केवल मार्ग प्रदर्शन की आवश्यकता है । सामाजिक कुरी-तियो को दूर करना तभी सम्भव है जब स्वयं राजा व प्रजा दृढता से कटिबद्ध हो परन्तु राजस्थान मे तो एक उल्टा ही ढंग देखने मे आता है । यहाँ के अधिकांश जागीरदार अशिक्षित और दुर्व्यसनो मे लिप्त है । वे प्राय स्वच्छाचारी होते है, जिस पर यदि उन्हे राज्य से न्यायालय (जुडीशियल)के अधिकार भी मिन जाय तो करेला और नीम चढा वाली कहावत चरितार्थ होती है और उनके कुशामदी नौकर चाकर उन अधिकारों का मनमाना दुरुपयोग करते है । इससे उनकी प्रजा दुख ही पाती है ।

जागीरदारो ने दीन-दुखी प्रजा से मनमानी कई लागो और बेठ वेगारो के नाम से रुपया लेना अपना धर्म और इम कठोरता से इक्ठ्ठी की गई सम्पति को कुमार्ग मे उडाना अपना कर्म समझ रक्खा है । रियासतो की बेसभाल ने इन जागीरदारो को और भी स्वच्छाचारी कर दिया है और ये निरबु श होकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने मे कभी नही चुरते है । उचित होगा कि रियासत प्रत्येक जागीर मे एक पचायत नियत कर जो आय-व्यय का बजट बनाये और वह बजट उन रियासत मे प्रति वर्ष पाम हो तथा उमके ही अनुसार प्रत्येक जागीर मे कार्य हो तब ही जनता सुखी होगी ।

कही कोई जागीरदार राजकुमार कॉलेज में पढ़ भी गये तो वे मोटर, पोलो, शिकार आदि के शौकिन बन कर निकलते हैं और प्रजारजन की वास्तविक शिक्षा से वंचित ही रहते हैं। क्योंकि कॉलेज में पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते। अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजों की तरह बोलने के सिवाय कदाचित ही कुछ और सिखलाया जाता है। अधिकांश विद्यार्थी वहाँ के शिक्षण से अपने बश की उच्चता और धर्म के महत्व को भी नहीं पहचानते हैं और इस प्रकार प्राचीन हिन्दू आदर्श इनके सामने नहीं रहता है। दस वर्ष के शिक्षण से भी वे यह नहीं सीखते कि अपनी प्रजा के प्रति तथा अपने देश के प्रति उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। प्रत्युत कई तो अनोख दुर्व्यसनो में लिप्त हो जाते हैं जिसका प्रभाव आजीवन बना रहता है। वहाँ की शिक्षा के विषय में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता है कि जिसमें राजस्थान की सास्कृति झलकती हो। कितने राजकुमार लाठी, तलवार आदि चलाना जानते हैं और कितने सदाचार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं? कितने राज रत्नो और भावी मुकुट धारियों ने विदेशी राजकुमारों की भाँति जहाजों पर कोयला भोकर मेहनत मजदूरी द्वारा अपने मुकुमार शरीर को कठोर बनाने का साहस किया है? यदि सब कहा जाय तो वहाँ केवल भक्ति-पूर्ण दरवारी या एपीकूरियन क्लब का मेम्बर होना ही सीख पाते हैं जैसा कि ग्वालियर महाराजा ने सन् 1918-19 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट की आलोचना करते हुए इन जागीरदारों के विषय में लिखा था—

“जागीरदार लोग केवल दरवार के सुन्दर साज हैं। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि जनता योग देकर वे काम में लगे। ऐसा होने में यूरोप में कितने अच्छे परिणाम निकल रहे हैं।”

### राज कर्मचारी

राजस्थान में राज कर्मचारियों की संख्या 3,01,671 है जिनमें से 59,289 सार्वजनिक सैनिक सेवा में (सेना में 29,049 व पुलिस दल में 30,240) व सार्वजनिक प्रशासन में 71,581 और अन्य महकमों में 1,70,801 है। इनमें वकील भी सम्मिलित हैं जिनकी संख्या 1433 है।

वैंगार, लाग वाग आदि से दबी हुई प्रजा के साथ राज्यों में न्याय अच्छा होता ही यह सम्भव नहीं है। जिसका हाथ नरम है उसका काम

निकल जाता है और जो रीते हाथ है वे बरवाद होकर इन्साफ से मुह मोड़ लेते हैं। अधिकांश राज्यों में घू सखोरी, अघेरशाही, पक्षपात आदि का बवदवा है। राजस्थान में लम्बी व काफी परेशानियों के पश्चात् ही कही किसी को सच्चा न्याय और वह भी बड़ी लम्बी मुद्दत के बाद मिलता है। उन्नत कहलाने वाली रियासतों तक में साधारण से मामलों के निर्णय में युग निकल जाते हैं। सैकड़ों मिसलें जेरतजनीज रहती हैं और इस दीर्घ सूत्रता में फरीकेन की एकाध पीढी भी समाप्त हो चुकती हैं। कई राज्यों में न्यायाधीश निरक्षर भट्टाचार्य हैं। गरीब और अमीर के साथ भेद भाव वाला पक्षपातपूर्ण न्याय अधिकांश राज्यों में आवश्यकता से अधिक बदनाम हैं। कई रजवाडों में वहाँ के ऊँचे ऊँचे कर्मचारियों में प्रधानता प्राप्त करने के लिए दल बन्दिया होती है। वहाँ के न्याय और पुलिस विभाग भी इन दलबन्दिया से खाली नहीं रहते। जिस ओहदेदार का जोर होता है वह अपना काम निकलवा नेता है और अपने विरोधी के पक्ष वालों को कष्ट पहुँचा देता है। इसी प्रकार अपने से विरुद्ध पक्ष वालों को गुप्त धमकियाँ दी जाती हैं। भूठे-सच्चे मुकदमें खड़े करके उनका दमन किया जाता है।

## किसान

राजस्थानी किसान के जीवन की ओर दृष्टिपात करने पर भली भाँति ज्ञात होता है कि ये लोग बड़े ही मतोपी, अपने व्यवहार में सच्चे, सादा जीवन जीताने वाले, मितव्ययी और स्वभाव से मेहनती होते हैं। वे केवल चाहते हैं--

नहीं मजू री खाट, के न चूँवे टापगी ।

भेसडलया दो चार, के दूजें वापडी ॥

वाजर हदा रोट, दही में ओलणा ।

डतरा दे करताग, फेर ना बोलणा ॥

अर्थात् नये बानों (मूज की रस्सी) से बनी हुई खाट और वर्षा में न टपकने वाली फूम की भोपडी हो एवं दो चार दूध देने वाली भैंसों हो तथा वाजरे के मोगरे (रोटी) दही के साथ खान के लिये हो। यदि परमात्मा यह सब कुछ देता रहे तो फिर और किसी वस्तु की चाह नहीं है।



देहाती कन्या की इच्छाये भी अधिक नहीं होती है, जैसा कि कवि ने कहा है--

उठे ही पीरो होय उठे ही सासरो ।  
 आशूणो हो खेत, चुबे नहीं आसरो ॥  
 नाडा खेत नजीक, जठे हल खोलणा ।  
 इतरा दे करतार फेर काई बोलणा ।

अर्थात् अपने पिता और श्वसुर का घर भी उसी गाव में ही और खेत पश्चिम में ही (ताकि सुबह घर से राटी लेकर खेत में जाऊँ तब धूप मेरी पूठ (पीठ) की ओर हो और शाम घर को लौटू तब भी धूप मेरी पीठ पर हो। भोपडी में वर्षा काल में पानी न टपकता हो और तालाब खेत के पास हो जहाँ हल और बैल खोल लिये जाव और बैला को पानी पिलाने के लिये दूर न ले जाना पड़े। इतनी बात परमात्मा देवे तो फिर और मागने की जरूरत नहीं है।

रूढिवादिता एवं भाग्यवादिता से ग्रसित उनके प्राचीन दृष्टिकोण ने उन्हें सदा ही दीनता एवं हीनता की असह्य स्थिति में बनाये रक्खा है। इसका स्पष्ट उदाहरण जोधपुर राज्य के मुसाहिब आला (प्रधान मन्त्री) दीवान बहादुर छज्जूराम के कुछ वाक्य हैं जो उन्होंने अपने एक सस्मरण में सन् 1918 ई० (वि० स० 1975) में ग्राम जीवन की वरुणाजनक स्थिति का चित्रण करते हुये लिखे थे --

“किसी भी खालसा गाव में उनके निवासियों का वर्णन बिना बेगार प्रथा का हवाल दिये पूर्ण नहीं हो सकता है। इस बेगार प्रथा ने ग्राम्य जीवन को नीरस बना रखा है। इसके कारण ग्रामीणों को अपना गाव तक छोड़कर पड़ोसी जागीरदार की शर्ग में जाना पड़ना है। जब कोई सरकारी अहलकार गाव में आता है तब गाव वालों को उसके प्रत्येक सिपाही व चपरासी को बेगार देनी पड़ती है। मना करने पर बेगारियों की चपतों व जूतों से पिटाई होती है। उन अहलकारों की सवारी के पशु किसानों की हरी फसल को खा जाते हैं। यही नहीं निर्धन काश्तकार (किसान) के विरोध करने पर उस भूठमूठ दीप लगा सरकारी अहलकार द्वारा बंद कर लिया जाता है और उसे तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि उसका बौहरा (साहूकार) धन लेकर उस छुड़ाने न आवे।’

इस प्रकार राजस्थान के किसान पीटियों से ममृत बेगार, पचासों अजीब लागों (करो) और भारी लगान और मन माने राजनैतिक जुल्मों की चक्की में पिमते आ रहे हैं। यह स्थिति है कि न कोई रियासत का निवासी रियासत के अन्धेरे पोलखानों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का साहस करता है और न कोई बाहर का समाचार पत्र ही छापने को तैयार होता है। मौभाग्य में इसी समय राजस्थान की मशमूरान्ति के दौर में सन् 1914 ई० में भूपसिंह नाम के पत्रकार हुए विजयसिंह पथिक ने सन् 1917 ई० (वि० म० 1974) में राजस्थान की जन जागृति का श्री गणेश किया। अजमेर के बादकरण शारदा जैसे निर्भीक व त्यागशील वकील और 'प्रताप' के सम्पादक श्री गणेशशंकर विद्यार्थी (ग्वालियर) उनके दाहिने हाथ बने। पथिक ने मेवाड़ के जागीरी ठिकाना विजोलिया से ही अपना साहसी कदम किसानों के भगठन हेतु उठाया और सन् 1919 ई० से किसान पचायत ने सत्याग्रह जारी कर दिया जो 5 वर्ष तक जारी रहा तथा उदयपुर राज्य के सत्याग्रही किसानों के आगे झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह की जीत ने आस पास के राज्यों के किसानों पर काफी असर डाला। यह आग विजली की तरह राजस्थान भर में फैल गई। इस प्रकार महात्मा गांधी के सत्याग्रह का भारत में सबसे पहला प्रयोग करने का श्रेय पथिकजी के प्रधानत्व में विजोलिया (मेवाड़) के वीर किसानों को ही है। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने चम्पारन (बिहार) में सत्याग्रह का चमत्कार दिखाया था।

किसान शब्द का सामान्यतः अर्थ हमारे देश में खेती बाड़ी करने वाले गँवार आमीण से लगाया जाता है। परन्तु यूरोप और अमेरिका में बड़े बड़े विद्वान एवं योग्य व्यक्ति अपने को किसान कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। वास्तव में किसान जितना समार का उपकार करता है उतना अन्य किसी व्यवसाय या जाति में नहीं हो सकता है। यह सब कुछ किसान के अथक श्रम का ही प्रतिफल है। तभी तो विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है—“चल उठ। यह क्या गौमुखी में हाथ डाल जप रहा है? यदि ईश्वर का दर्शन करना है तो वहाँ चल जहाँ किसान लोग जेठ की दुपहरी में हँस चला रहे हैं और चाटी का पसीना एड़ी तक बहा रहे हैं।”

महात्मा गांधी ने सन् 1929 की 5 मितम्बर को अपने “नवजीवन” पत्र में लिखा था कि—“सब इतिहासकारों ने गवाही दी है कि जो सम्पत्ता

भारत के किसानों में पाई जाती है, दुनिया के और किसानों में नहीं पाई जाती है।”

किसानों के प्रति अपनी उदासीन नीति रखते हुए भी देशी राजा महाराजा और नवाब इनके गुग गाये बिना नहीं रहते हैं। ग्वालियर के महाराजा भाधवराव सिन्धिया न वि० स० 1976 की माघ सुदी 10 शुक्रवार (30 जनवरी 1920 ई०) का अपने भाषण में किसानों के प्रति यह महिमा सूचक शब्द बहे थे - आप किसान-जमीदार लोगों के साथ मुझे कोई परहेज नहीं है। इसलिये जैसे मैं आपको अपना समझता हूँ वैसे ही आपको मुझे अपना समझना चाहिये। मैंने तो आप सज्जनों को “अन्नदाता” का लकब दिया है। मेरे रिज्व का दारोमदार यात्री मेरे जीवन का हूँ आपके ऊपर है और इसलिए लकब “अन्नदाता” इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल दुरस्त मालूम होता है। ग्राम मेरे अन्नदाता और मैं तुम्हारा तावेदार। कमाऊ पूत तुम्हीं हो। जब तुम कमाई करके दोगे तभी इस बाजीगर का तमाशा चलेगा।”

ऐसे ही भाव बड़ोदा नरेश महाराजा सर मियाजीराव गायकवाड और मैसूर नरेश महाराजा सर कृष्णराज ओडेयर ने अपने भाषणों में कहे थे। वि० स० 1975 के आश्विन (ई० सन् 1918 अक्टूबर) में मैसूर राज्य की अखिल भारतवर्षीय दशहरा कृषि कला कौशल प्रदर्शनी में मैसूर नरेश के भाषण में ऐसे ही शब्द (कृषक के प्रति अन्नदाता) मुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जबकि मैं जोधपुर स्टेट की तरफ से डेलीगेट (प्रतिनिधि) होकर मैसूर गया था। वि० स० 1986 आश्विन वदि 3 शनिवार ई० सन् 1929 ता० 21 मितम्बर) को भोपाल नरेश नवाब हाजी मोहम्मद हमीदुल्ला खा ने अपने राज्य की प्रजा प्रतिनिधि सभा (असेम्बली) के पाचव अधिवेशन में किसानों के विषय में कहा था -

‘मैं अपने सरदारों में तथा नगरों में रहने वाली प्रजा और सभी राज-कर्मचारियों से एक व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह प्रार्थना यह है कि आप सब लोगों को मेरे किसानों से प्रेम करना सिखना चाहिये। वास्तव में किसान ही देश के प्राण हैं। वे अपने रक्त को पसीना बना कर आपके लिये भोजन उत्पन्न करते हैं। अतः आपको उन्हें अपने से किसी भी प्रकार तुच्छ न समझना चाहिये। इस विषय में अपने आचरण के द्वारा मैंने सदा आप लोगों के सामने एक आदर्श उपस्थित किया है। इसलिये

मुझे अधिकार है कि मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूँ कि आप उनके पास जाइये, उनसे मिलिए, उनके सुख और दुख में उनके साथी बनिये और शक्ति भर उनकी सहायता कीजिए। इस प्रकार की सेवा से आपको कोई हानि नहीं हो सकती। उल्टे किसान आपसे इस सेवा के लिए प्रेम करगे। आप लोगों को प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की यह उक्ति सदा याद रखनी चाहिये कि— "किमान की सम्पन्नता ही देश के गौरव का आधार है। एकबार यह आधार जहाँ नष्ट हुआ कि इसे पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता है।"

गुजरात के महाकवि पंडित दलपतराम डाह्याभाई सी आई ई ने भी किसानों का गुणगान अपनी सरस कविता में इस प्रकार किया है और सर्व सुखों का दाता किसान को ही माना है—

सर्वथी प्रथम जेणें मृष्टि मां अनाज बाव्यां ।  
जेना खेत नुं अन्न जुक्तियो हूँ जमूं छूं ॥  
उपजावे शेनडी ने स्वादिष्ट साकर खाड ।  
भोजन करनी हूँ सदैव सुखे भमूं छूं ॥  
करे छें कपास पैदा कापड बने छें जेना ।  
सारो सजी सणगार रग भर रमूं छूं ॥  
करे छे खेती नु काम बहे छे दलपतराम ।  
एवा एक कृपक ने नित्य नित्य नमूं छूं ॥

यह तो हम सभी मानते हैं कि किसान हमारे देश का आधार है परन्तु फिर प्रश्न उठता है कि क्या राजस्थानी किसान अपने को ठीक उसी स्थिति में पाता रहा है जो कि तत्कालीन विद्वानों एवं नरेशों ने बखानी है तथा सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति कर अपने को गौरवशाली अनुभव करता है? उत्तर इसके विपरीत है। सुख समृद्धि तो उसके लिये सुनहरे स्वप्न बने रहे हैं जिसका दायित्व शासकीय वर्ग से कहीं अधिक स्वयं इनके समाज पर पड़ता है। किसान पैसा न होते हुए भी कर्ज लेकर धूतंमुखियों के लल्लो चप्पो में आकार मृतको को स्मृति में जातीयभोज के औसर मौसर (नुकता) आदि करने में अपनी शान समभते आये है। इस विषय में एक राजस्थानी देशभक्त कवि (प० अर्जुनलाल सेठी) की ये पक्तियाँ उपयुक्त उदाहरण हैं—

जेवर बेचे घर को बेचे नुकता करना होता है ।  
 नहीं करे तो जाति भाई का ताना सहना होता है ॥  
 जाति वाले तो इक दिन जीमें घरवाला नित रोता है ।  
 लड्डू बाज सब चैन उडावे वह मुख नीद न सोता है ॥

जब पास में पैसा नहीं रहता तो बोहरा छाती पर खडा रहता है । उस समय इनके खाने को अन्न भी नहीं रहता तब भी इनकी कुरीतियों से विमुखता नहीं होती और कर्ज देने वाले बोहरे (साहूकार) भी इन पर दया नहीं करते हैं । वे अपने खाता (लिखतो) में दूना ड्योडा ब्याज लगा कर ऋण बढ़ाते आये हैं । कर्ज के निरन्तर बढ़ने का मूल कारण सूद की बढ़ती वृद्धि ही है । यदि किसी व्यक्ति को 100) रुपया उधार लेने है तो रुपये देने वाला बोहरा एक आने से तीन आने प्रति रुपया काटे के काट लेगा । मान लिये कि रुपये के पोछे दो आने काट के लगाये गये है तो 100) रु० लेनेवाले का 87)50 दिये जायगे और सग्वारी स्टाम्प (खत) लिखाया जायगा 125) से लेकर 140) रु० तक का । यह भी शर्त लिखाई जावेगी कि कर्ज लेनेवाले को 1), 2), 4), 5), या 10) रु० सैकडा के हिसाब से हर महिने के ब्याज के देन होंगे और यदि 3 मास या छ मास तक बराबर सूद अदा नहीं हुआ तो सूद की दर दुगनी करदी जावेगी । इस प्रकार स्पष्ट है कि आज कल के बोहरे मानवीय भावों से विल्कुल शून्य बन गये हैं ।

जोधपुर नरेश हिजहाईनेस मह राजा सरदारसिंह ने अपनी पुस्तक "भाई पाली टूर" (मेरी पाली यात्रा) के पृष्ठ 14 पर बोहरो अर्थात् साहूकारों के प्रति इस प्रकार लिखा है—

हित में चित में, हाथ में खत में मत में खोट ।  
 दिल में दरसावे दया, पाप लिया सिर पोट ॥

"अर्थात् बोहरे की मित्रता में, मन में व्यवहार में खत (लिखावट) में और उसके उद्देश्या में धोखेबाजी भरी रहती है । वह दयावान होने का बहाना ता कन्ता है लेकिन दरअसल वह होता है पापात्मा ही ।" यदि वह एक बार किसी किसान को अपने जाल में फास लेता है तो फिर उसे नहीं छोड़ता है । इसी से कहा गया है कि—

देणो भलो न वाप को साहेब राखे टेक ।

अर्थात्—कर्म अपने वाप का किया भी भला नहीं, ईश्वर इससे बचावे ।

इस ससार में कर्मदान की दशा कितनी सोचनीय और दया के योग्य है ।

अधिकांश बोहरे लोग कर्म देते और वापस लेते समय दोनों बार किसानों को लूटते हैं । उनको चालाकी का चित्र किमी चारण कवि ने यों खिंचा है—

तोल साटं ताकडी, लकडी डेक लगावे ।

अडवा करं उधार, विणज ववार ज्युं बसावे ॥

देता तो घटतो देवें, नेता बधतो पाव री ।

वागिया शिकार इण विध रमै, बम्ती मांय वावरी ॥

अर्थात् “ताकडी (तराजू) से तोलते समय बोहरे लोग अपनी कलाई से रेड मार कर ग्राहको को धोखा देता है । उनका कर्जा एक धोखे की टट्टी है । उनके व्यवहारों में सब जगह फन्दा है । इस प्रकार साहूकार क्या है, मानो बोहरे के बेश में सचमुच निर्दयी पुरुष है ।” यह लोग मुह में राम बगल में छुरी रखते हुए, आवश्यकता से दवे लोगों से लाभ उठा लेने में नहीं चूकते । इसीलिये इनकी विषय में यह भी कहावत प्रसिद्ध है—

वाण्या थारी बाण, कोई नर जाणं नही ।

पाणी पीवं छाण, लोही अणछाण्यो पिवें ॥

अर्थात्—ऐ साहूकार ! तेरी धूर्तता का भेद कोई नहीं जान सकता । तू पानी तो कपड़े से छाण कर पीता है लेकिन किसान के खून को पी जाता है ।

साधु सयामियों के प्रत्येक वाक्य पर अथवा इनकी प्रत्येक हलचल पर “आदेश बाबाजी” “हुकम महाराज” कहने वाले लेकिन किसानों के रोते बच्चा के मुह में से रुखी-मूखी रोटी का टुकड़ा तक छीन लेनेवाले इन निर्दयी बोहरो की मनोवृत्ति की यह वंसी दुखद टीका है । ये अधिकांश बोहरे कर्म देते और वापस लेते समय दोनों बार किसानों को लूटते हैं । अपने

विषय में ऐसी लोक निन्दा की बातें सुनकर जहाँ इन साहूकारों को शर्म आनी चाहिये और एकक्षण के लिये अपनी लोभवृत्ति के आग लगाकर, जहाँ उनको यह सोचना चाहिये कि उनके कुकर्मों को सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर देख रहा है, जहाँ वे सब बातें भूलकर उल्टे अपनी शेखी बघारते हैं और ऐसी ऐसी गुस्ताखी भरी बातें कहते हैं—

ओछी-ओछी डाडी राखा, लावी लावी कणिया ।

सेर रो तीन पाव तोला तो बगियाणी जणिया ॥

अर्थात् “हम तकड़ी की डाडी तो छोटी छोटी रखते हैं पर डारा लम्बी रखते हैं । हमारा नाम असली बोहरो तभी है जब हम सेर भर के बदले तीन पाव ही तोल कर देव ।”

किसान लोग ऐसे बोहरो को यमदूत समझते हैं । एक कहावत प्रसिद्ध है कि “बौरा को राम-राम जम को सन्देशो है ।” अर्थात् जब कभी कोई बोहरा किसी किसान को रामराम (जैरामजी की) कहता है तो बेचारे किसान के दिल की धडकन तेज हो जाती है और समझता है कि यमराज ने मौत का बुलावा भेजा है ।” यही नहीं बोहरो से वे जहरीले साप से भी अधिक डरते हैं—

साप रो काट्योडो वचै ।

पण वाण्या रो काट्योडो नहिं वचै ॥

## धर्म

सन् 1931 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 90 प्रतिशत हिन्दू, 9 प्रतिशत मुसलमान, 0.05 प्रतिशत ईसाई व नाममात्र के पारसी तथा यहूदी धर्मावलम्बी हैं। हिन्दुओं में जैन धर्मावलम्बी 2.06 प्रतिशत, वनवासी 2.02 प्रतिशत और अज्ञान 15 प्रतिशत है।

धर्मानुसार विभिन्न धर्मावलम्बियों का व्यौरा इस प्रकार है—\*

हिन्दू	1,01,50,251
(क) सनातनी (पौराणिक)	95,67,234
(ख) जैनी	3,00,748
(ग) सिक्ख	41,605
(घ) आर्य समाजी	11,471
(ङ) ब्रह्म समाजी	44
(च) देव समाजी	56
(छ) बौद्ध	1
(ज) वनवासी	2,28,660
(झ) अन्य	432

\* सन् 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में विभिन्न धर्मावलम्बियों की संख्या इस प्रकार है—

(क) हिन्दू	2,30,93,805
(ख) जैनी	5,13,548
(ग) सिक्ख	3,41,182
(घ) बौद्ध	3,642
(ङ) मुसलमान	17,78,275
(च) ईसाई	30,202
(छ) विविध	4,336
(ज) अज्ञात धर्म	723

इस प्रकार हिन्दू 89.93 प्रतिशत, मुसलमान 6.90 प्रतिशत, सिक्ख 1.33 प्रतिशत, जैन 1.99 प्रतिशत, ईसाई 0.12 प्रतिशत है और बौद्ध 0.1 प्रतिशत है बौद्धों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण कई हिन्दू अज्ञान जातियों का बौद्ध धर्म अपना लेना है।



मुसलमान	10,69,325
(क) सुन्नी	10,41,361
(ख) शिया	21,818
(ग) अहलेहदीश (वहाबी)	2,004
(घ) अन्य	4,142
ईसाई	5,778
(क) भारतीय	4,021
(ख) विदेशी	1,757

ईसाईयो मे भी विभिन्न मतों के अनुसार सख्या इस प्रकार है—

(क) एंगलीकन	941
(ख) इण्डियन युनाईटेड चर्च	1,514
(ग) मैथोडिस्ट	893
(घ) प्रोटेस्टेन्ट	334
(ङ) रोमन कैथोलिक	1,465
(च) अन्य	631
पारसी	319
यहूदी	38

जैनियो मे उनके विभिन्न मतों के अनुसार सख्या इस प्रकार है—

कुल जैन—	3,00,748
(क) श्वेताम्बरी	1,34,615
(ख) दिगम्बरी	67,237
(ग) वार्स टोला (डु टिया)	50,228
(घ) तेरह पथी	38 563
(ङ) अन्य	1,165

हिन्दू धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया धर्म नहीं है। और न इसका कोई एक धार्मिक ग्रन्थ ही है। यह अनेक विश्वासों का सभदाय है। आर्यों के समय से लेकर अब तक अनेक धर्मों व सस्कृतियों के मेल से ही यह धर्म बना है। वास्तव मे हिन्दू एक जाति है जिसका नामकरण लगभग 3500 वर्ष पूर्व ईरानी लोगो द्वारा किया गया। ईरानी सिन्धु नदी को

हिन्दु नदी कहते थे अतः सिन्धु नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोग हिन्दू कहलाने लगे। इसी से हिन्दु व उनका देश हिन्दुस्तान शब्द चल निकले। यो अब सामान्यतः हिन्दु धर्मावलम्बियों में पौराणिक (पुराणों में वर्णित धर्म) मत को मानने वाले लोग आते हैं। पौराणिक मत में किसी एक ही देवता की पूजा नहीं की जाती है। पुराणों में अनेक देवी देवताओं का महात्म्य बतलाया गया है। इसी कारण हिन्दु लोग ब्रह्मा विष्णु, शिव, गणेश आदि देवताओं के साथ ही साथ राम, कृष्ण, बुद्ध आदि की भी पूजा करते हैं। इनके अलावा कई वृक्षों (तुलसी, बट पापल आदि) व नदियों (गंगा, यमुना, नर्मदा आदि) का भी पूजते हैं।

आर्यों ने वेदों की रचना लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व काल में की थी। वैदिक आर्य यज्ञ के प्रेमा थे। वे बरुण सविता, ऊषा इन्द्र, सूर्य अग्नि आदि को भी देवता मानते थे। वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में अद्विकाश भाग पहले तीन वेदों के हैं। यज्ञों में प्रत्येक वेद के मंत्र पढ़े जाते थे। इन यज्ञों की विधियाँ बतलाने को ब्राह्मण ग्रन्थ रचे गये। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। वेदों के शुद्ध पठन और गायन के लिये वेदान्तों की रचना की गई। वेदान्तों के साथ ही उपनिषदों की भी रचना हुई। उपनिषदों में वेद के उन स्थलों की व्याख्या है जिनमें यज्ञों से अलग हटकर ऋषियों ने जीवन के गहन तत्वों पर विचार किया था। उपनिषदों से समाज में आत्मविद्या और तपश्चर्या की प्रवृत्ति जागृत हुई। उपनिषद काल (ईसा पूर्व 600) में लोगों का ध्यान यज्ञों की ओर से हटने लगा और वे उपासना की ओर ध्यान देने लगे। मूर्तिपूजा का प्रचलन हो गया। वैदिकियों और सत्यासियों की मन्त्रा बड़ने लगी। ये लोग हठयोग में विश्वास करते थे। हठयोग की क्रिया से वे आत्मा की उपलब्धि प्राप्त करना मानते थे। इस काल में वेदों के दो प्रबल विरोधी—ब्रह्मसूत्र और चार्वाक हुए। इन्होंने वेदों की निन्दा करते हुए कहा—'वेद ठगों, पाखण्डियों, और मासाहारियों की रचना है। वेदों के रचियता यज्ञों हेतु घाड़ों को मारते थे और उनका भास खाते थे।' इनकी यह निन्दा पूर्णतया सत्य नहीं थी। क्योंकि, उस काल के ब्राह्मण ग्रन्थों में स्पष्ट आदेश लिखे मिलते हैं कि, "माहिस्थान् सर्वं भूतानि" (किसी भी जीव को मत मारो)। श्री कृष्ण ने भी बताया था कि, जिस यज्ञ में जीव हत्या नहीं होती है वही सर्वोत्तम यज्ञ होता है। वास्तव में आर्यों के यज्ञ हिंसा रहित होते थे। वैदिक काल में यज्ञ शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कर्म था।

जिसका अर्थ सगति - करणं देव पूजा और दान था। स्मृतियों में पाच प्रकार के यज्ञ माने गये अर्थात् ब्रह्म यज्ञ, (सध्या), देव यज्ञ (हवन), पितृ यज्ञ (माता पिता की सेवा), भूत यज्ञ या बलि विश्वदेव अर्थात् छोटे पशुओं का पालन जैसे कुत्ता, पतित, निस्सहाय, मेहतर (चण्डाल, कौट्टी, कौआ, चीन्टी, इत्यादि को खिलाना और पाचवा अतिथि यज्ञ अर्थात् अतिथि की शुद्ध अन्न जल से सेवा और तृप्ति करना, घरस्मात् घर पर आये हुए पण्डितों (विद्वानों) और सन्यासियों की सेवा करना। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस काल में कुछ ब्राह्मण हिंसा पूरित यज्ञ को ही धार्मिक कृत्य समझने लगे थे और सामान्य जनता को यज्ञों में होने वाली इस अनावश्यक पशु बलि को रोकना उचित समझा। ऐसी परिस्थितियों में कुछ क्षत्रियों ने विशेष कर क्षत्रिय वंशज महावीर व बुद्ध ने निरीह पशुओं की प्राण रक्षा का भार उठाया उन्होंने यज्ञ के पुरोहितों (ब्राह्मणों) की प्रमुखता समाप्त करने व समाज में समता लाने के प्रयत्न किये। इन्होंने वैदिक यज्ञों में होने वाली हिंसा का भी विरोध किया।

महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म की मुख्य बातें हैं— अहिंसा और तप। स्वयम् हिंसा करना, दूसरों से हिंसा करवाना, य अर्थात् किसी किसी प्रकार से हिंसा में योग देना, जैन धर्म में इन सबकी मनाही है। शारीरिक अहिंसा के अलावा बौद्धिक अहिंसा भी जैन धर्म में अनिवार्य है। इसी कारण जैन काष्ठ न कर व्यापार का धन्धा अपनाते रहे हैं ताकि उनसे कोई हिंसा नहीं हो। जैन धर्म में अपरिमित वृष्ट सत्ने की भी प्रवृत्ति है। जैन महात्मा इन्द्रिय मुख के घोर शत्रु है। उपवास और अनशन की जैन धर्म में बड़ी महिमा है।

बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया। बौद्ध मत भी पशु हिंसा का विरोधी रहा। यो बौद्ध धर्म मुख्यतः सन्यासियों का धर्म था। जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म वेदों का विश्वास नहीं करता है। ईसा पूर्व काल में इन दोनों धर्मों का तेजों से भारत भर में प्रचार हो गया और राजस्थान में कई मठ व विहार बन गये जहाँ जैन व बौद्ध साधु रहते थे। लेकिन, बौद्ध धर्म की यहाँ जड़े जम नहीं सकी। यह यहाँ लोकप्रिय नहीं हो सका क्योंकि, बौद्ध दर्शन में चिन्तन पर ज्यादा जोर दिया गया था जो सामान्य बुद्धि की जनता की समझ के बाहर था। बाद के वर्षों में बौद्ध साधु ज्यादा ही सुरा और

रगी में लिप्त हो गये । अतः जनता उन्हें घृणा से देखने लगी । इन लोगों से अब राजस्थान में बौद्ध धर्मावलम्बी नाम के ही हैं । इसके अतिरिक्त जैन धर्म वैदिक धर्म से ज्यादा ही साम्य रखने के कारण यहाँ जन्मा । राजस्थान में अब जैनो की संख्या तीन लाख से ऊपर है । काफी हिन्दू धर्म में भी आ गये क्योंकि उनके आचार विचार, रहन सहन और रीति रिवाज हिन्दुओं जैसे ही थे ।

जैन धर्म की शाखाएँ मुख्यतः चार हैं— श्वेताम्बरी, दिगम्बरी, ईस टोला (डू डिया), और तेरह पन्थी । श्वेताम्बरी मूर्ति पूजते हैं और उनकी मूर्तियों के पोशाक व गहने होते हैं । दिगम्बरी की मूर्तियाँ तथा उनके साधु नग्न ही रहते हैं । ये जैन साधु शहरों में भी नग्न डोलते रहते हैं । दिगम्बरी मानते हैं कि, स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती है परन्तु श्वेताम्बरी मानते हैं कि स्त्रियों की मुक्ति होती है । दिगम्बरी कहते हैं कि जैन धर्मकार मल्लिनाथ पुंश्रुप था परन्तु श्वेताम्बरी जैनों कहते हैं कि मल्लिनाथ एक स्त्री थी ।

डू डिया (स्थानक वासी) सम्प्रदाय के जैनी गुप्ता की पूजा करते हैं । उनके गुरु सफेद वस्त्र पहिनते हैं और मुँह पर मूर्ती पट्टी बांधे रहते हैं । डू डिया मत वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं । तेरह पन्थी मत श्वेताम्बरी सम्प्रदाय की एक शाखा है । यह डू डिया (वाईस टोला) मत से स० 1817 आसाढ सुदी 15 शनिवार (ता० २८ जून, 1760 ई०) को फटा है । इसके लाने वाले स्वामी भोजमजी ओसवाल थे जो स० 1783 आसाढ सुदी 13 को जोधपुर राज्य के गाँव कंटालिया (परगना मोजत) में जन्मे थे । अपनी मंपली का स्वर्गवास हो जाने पर सम्वत् 1808 वि० में वे डू डिया मत के साधु हो गये । गुरुदेव के मतभेद होने पर इन्होंने अपने नये सिद्धान्तों के अनुसार नया पथ चलाया उस समय केवल 13 साधु उनके विचार के समर्थक थे । अतः यह मत 'तेरहपन्थी' कहलाया । इनके 13 नियम हैं जिनमें मुख्य हैं— मूर्ति को नहीं पूजना, सिर्फ अपने पथ के साधुओं का आदर करना, किसी प्राणी को दुःख न देना और कोई सम्पत्ति अपने पास न रखना । इस मत के कुछ मतव्य निराले हैं । जीव दया के धारे में गिरते हैं वे बच्चों को नहीं बचाना, बबूतर को कोई विल्ली खा रही हो तो नहीं डुडाना क्योंकि, बबूतर विल्ली की खुराक है । अग्नि लगजाने से कोई गौ भाँजलती हो तो उसे भी नहीं बचाना, भूखे प्यासे प्राणियों की सहायता नहीं करना इत्यादि क्योंकि इनसे एकान्त पाप लगना मानते हैं ।

यो देखा जावे तो जैन धर्म व बौद्ध धर्म काफी सीमा तक वैदिक धर्म के समान ही थे। दोनों का मूल उपनिषदों के चिन्तन में ही था। यह धर्म तो केवल वैदिक धर्म को सशोधन करने को ही चलाये गये थे। राम कृष्ण की भाँति महावीर व बुद्ध भी अग्रतार थे जिन्होंने पिछले धर्म में सुधार किये। अन्यथा सनातन धर्म तो बराबर चलता ही आ रहा था। वह कभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ। कुछ समय के लिये वह भले ही दब गया हो। गुप्त काल तक ( चौथी शताब्दी ) आते-आते हिन्दू धर्म का पुनर्बिनास हो गया। और हिन्दू यज्ञ वेदी को छोड़कर मूर्तिपूजा करने लगे। अब साकार की उपासना होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गरुड, दुर्गा और दशावतारों की सर्वत्र पूजा होने लगी। वैष्णव, शैव और शाक्त उपासना की विधियाँ प्रचलित हो गयीं। प्रारम्भ में शैव और शाक्त धर्म में कोई विभिन्नता नहीं थी। केवल कालक्रम से ही अलग-अलग हो गये। शैव धर्म का मुख्य ध्येय मुक्ति रहा है और उसकी साधना ज्ञानमयी भक्ति से होती है। शाक्त धर्म ने अपना ध्येय मुक्ति नहीं बल्कि सिद्धी को माना है और उसके साधनों में मुख्यतः मंत्र, तंत्र और योग की साधना शैव धर्म के साथ ही विकसित हुई और उसका लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना ही रहा। लेकिन शाक्त धर्म ने योग को सिद्धियों का प्रमुख साधन के रूप में अपना लिया। योग की क्रियाओं में हठयोग प्रमुख है। इसको शैव व शाक्त दोनों ही प्रमुखता देते हैं लेकिन किसी सीमा तक शाक्तों में शैवों से ज्यादा इसका प्रचलन है।

हिन्दू धर्म का यही रूप बराबर चलता आ रहा है। पिछली शताब्दियों में कई धर्माचार्य आये लेकिन वे हिन्दू धर्म की धूल जाड़कर ही रह गये। हिन्दू धर्म के मूल रूप को कोई नहीं बदल सका। हिन्दू धर्म के प्रमुख सुधारकों में शंकराचार्य का नाम अग्रतार है। ईस्वी सन् 788 में जन्मे शंकराचार्य ने पौराणिक धर्म से प्रसिद्ध हिन्दू धर्म को उपनिषदों की ओर मोड़ा। इससे हिन्दुओं का ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया। शाक्त मन्दिरों में बलि देने को प्रथा का विरोध किया और बौद्ध सभों के अनुसार ही हिन्दू सन्यासियों के मठ स्थापित किये। भारत एक ही राष्ट्र है, यह जतलाने

1 योग द्वारा साधक शरीर को आत्मा से जोड़ लेता है और आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर मुक्ति पा लेता है। योग की क्रिया मनोविज्ञान की क्रिया के समान होती है।

को उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में चार पीठ स्थापित किये। ये पीठ हैं— उत्तर में बद्रोकाश्रम, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में श्रृ गेरी। इनके समय में बौद्ध धर्म मृत प्राय हो गया। शंकर बौद्ध दार्शनिकों की भाँति शून्यवाद में ही विश्वास करते थे। उन्होंने इसे मायावाद कहा। इसी कारण शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। शंकर का ब्रह्म निराकार था। इस कारण जनता इसकी ओर ज्यादा नहीं झुक पाई। और शंकर मत के विरुद्ध निम्बार्क, रामानुज, दत्ताभाचार्य आदि साकार वाद के महात्मा ज्यादा लोकप्रिय हो गये। हिन्दू धर्म के अन्य सुधारकों में कबीर, दादू आदि आते हैं। इन सुधारकों द्वारा चलाये गये पन्थों के कबीर पंथी,<sup>1</sup> दादू पंथी,<sup>2</sup> रामस्नेही,<sup>3</sup> (शाहपुरा व खेडापा) विशनोई,<sup>4</sup>

### (1) कबीर पंथी -

इस पंथ को रामानंद के शिष्य कबीर ने चलाया था। कबीर निराकार ईश्वर का उपासक था। उसके नीति विषयक दोहे हिन्दी साहित्य की अमूल्य देन हैं। कबीर बाली के नाम से इस पंथ के लोग अपने धर्म का मूल ग्रन्थ मानते हैं। कबीर पंथी साधु विवाह नहीं करते हैं और वे किसी भी जाति के व्यक्ति को अपना चेला बना लेते हैं।

### (2) दादू पंथी -

इस सम्प्रदाय के संस्थापक दादू ग्रहमदायाद के नागर आह्वान थे। इनके उपदेश जो लगभग 5000 छन्दों में दादू बाली में सग्रहित हैं। दादू के एक ही बावन शिष्य थे। जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में गादिया स्थापित की। दादू पंथ के लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं। इस पंथ में नागा और तिहग-दो शाखाएँ हैं। इनकी मुख्य गद्दी नरायना में हैं।

### (3) रामस्नेही -

रामस्नेही साधुओं के गुहद्वारे शाहपुरा और खेडापा में हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी सदा राम-नाम का उच्चारण करते रहते हैं। इनका एक गुहद्वारा बीकानेर राज्य के सिवल गाव में हैं।

### (4) विशनोई -

इस पंथ के प्रवर्तक जाम्बाजी को विष्णु का अवतार बताया जाता है। जाम्बाजी पवार राजपूत थे। जाम्बाजी के 29 उपदेशों और 120 शब्दों का सग्रह "जम्ब सागर" में सग्रहित है जो इनका मुख्य धार्मिक ग्रन्थ है। इस धर्म में पहले प्रत्येक जाति का व्यक्ति शामिल हो सकता था लेकिन अब वे एक जाति विशेष बन गई हैं। पहले इस धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जाट ही थे जो जाम्बेश्वरजी के 29 उपदेशों को ही मानते थे।

सिख, <sup>1</sup> ब्रह्म समाजी, <sup>2</sup> आर्य समाजी, <sup>3</sup> देव समाजी, <sup>4</sup> राधा स्वामी, <sup>5</sup> आदि मतों के अनुयायी भी यहाँ पाये जाते हैं ।

### 1) सिख -

इस मत के संस्थापक नानकदेव का जन्म स० 1526 कातिक सुदि 15 ता० 20 अक्टूबर 1469 ई० शुक्रवार) को पंजाब में हुआ था । वे जाति के लखी थे और उनके पिता का नाम फाल्गुराम था । उन्होंने बताया कि मूर्तिपूजा धर्म है । श्वर अवतार नहीं लेता । जात पात व छुआ छूना मानना भी धर्म है, इत्यादि । उनके बाद अमरदास, रामदास और अर्जुनदेव ने गुरु का स्थान ग्रहण किया । अर्जुनदेव मुसलमानों द्वारा दि० स० 1663 में मारे गये । उसके बाद रघोविन्द गुरु ने सिखों को तलवार पकड़ना सिखाया । नवें गुरु तेग बहादुर को आदशाह औरगजेब ने मरवा डाला । गुरु गोविन्दसिंह ने सिख लोगों को हथियार पहना और नाम के साथ धीरता सूचक "मिह" शब्द जोड़ना धर्म बतलाया और उन्हें सैनिक बना दिया । गुरु के दो पुत्रों को औरगजेब ने दोवार में चुनवा दिया । तना होने पर भी सिखों ने मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिये । पांच कवार वस्तुएँ लिये सिख रखता है—कडा, केश, कृणाल, कधा और कच्छ (जाघिया) । समाधुना ये पाप समझते हैं ।

### (2) ब्रह्म समाजी -

ब्रह्म समाज की स्थापना स० 1885 कातिक सुदि 2 रविशर (ई० सन् 1828) में राजा राममोहनराय ने कलकत्ते में की । वह जाति के ब्राह्मण थे । स्त्रियों को जलाया जाना (सती प्रथा), वेदों की विस्मृति आदि बातें उन्हें अच्छी न लगी और उन्होंने इनके विरुद्ध प्रवृत्ति शुरू किया । इस समाज के सिद्धान्तानुसार परमात्मा एक है तथा जोव उससे भिन्न है । मूर्तिपूजा और जाति भेद मिथ्या है । इस समाज का बंगाल में बड़ा प्रचार है । बम्बई प्रदेश में इसका रूपान्तर प्रार्थना समाज है ।

### (3) आर्य समाजी -

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बम्बई में स० 1932 की चैत्र सुदि 5 शनिवार (10 अगस्त 1875 ई०) को आर्य समाज स्थापित कर वैदिक धर्म का धर्मोत्थार स्वरूप हिन्दुओं को समझाया और हिन्दू धर्म को ईसाई तथा मुसलमानों के कटाकों से बचाया । उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म का खोलतापन सिद्ध करने में कोई कसर नहीं रखी । इससे कई ईसाई व मुसलमान उसके घोर शत्रु बन गये । इसके अलावा उन्होंने हिन्दू धर्म को भी बुराईयों को दूर किया और हिन्दुओं के सामाजिक सगठन को दृढ़ किया । उन्होंने बतलाया कि हिन्दुओं के धर्मग्रन्थ वेद ही हैं । अथ शास्त्रों और पुराणों को अलग बन्द कर नहीं मानना चाहिये । उन्हें बुद्धि की कसौटी पर कस

राजस्थान में मुस्लिम धर्मावलम्बियों की संख्या लगभग स्थिर रह ली है। राजस्थान में इस धर्म का प्रचार ग्यारवीं शताब्दी में हो गया था लेकिन पृथ्वीराज चौहान की पराजय (ईस्वी सन् 1192) के बाद से यहाँ इसकी जड़ें जमने लगीं। मुस्लिम धर्मावलम्बियों का इस क्षेत्र में आने का प्रारम्भ में मुख्य कारण राजनैतिक था। उस समय यहाँ के शासक व जनता छोटे-छोटे राज्य में बँटी हुई थी और वे अपने राज्य को ही अपना देश मानते थे। इस कारण मामूली झगड़ों पर वे एक दूसरे राज्य से लड़ते रहते थे और अपनी शक्ति खोते रहते थे। यह देख कर ही मुसलमान आक्रमणकारी इस आरंभ से बड़े और यहाँ के राजाओं को पराजित कर अपना शासन

कर ही समझना चाहिये। वह भूति पूजा, अवतारवाद तीर्थों आदि को भी नहीं मानते थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बौद्धिक धर्म में कोई सार नहीं है। इससे कई सनातनी हिन्दू उनके शत्रु हो गये और उन्हें विष देकर मार डाला।

#### (4) देव समाज -

यह समाज वि० स० 1934 (ई० सन् 1877) में कानपुर निवासी प० शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में स्थापित किया था। बाद में स०वासी (स्वामी सत्यनन्द) बनकर अग्निहोत्री ने देवगुरु भगवान की उपाधि धारण की। ईश्वर को यह समाज नहीं मानता है। समानता के आदर्श पर यह चलाया जाता है। मछलान व माँसाहार को मनाही है। इसके अनुयायी बहुत ही कम हैं।

#### (5) राधास्वामी -

यह सबसे नवीन पथ है। इसके जन्मदाता आगरा के बाबू शिवदयाल सेठ (खत्री) ने जो अपने सम्प्रदाय में "स्वामीजी महाराज" कहलाते थे और सर्व शक्तिमान राधास्वामी के अवतार समझे जाते थे। उनके द्वारा वि० स० 1917 माघ सुदि 5 शुक्रवार (ता० 15 फरवरी 1861 ई०) को इस पथ का शुरु होना कहा जाता है। उनका जन्म 1875 भादो वदि 8 सोमवार (ता० 25 अगस्त 1818) को और देहान्त स० 1935 के आसाठ वदि 1 शनिवार (ता० 15 जून 1878 ई०) को हुआ। उनकी धर्मपत्नि "राधाजी महाराज" के नाम से प्रतिष्ठित है। इस धर्म की विशेषता योगाभ्यास में है जो गुरु से सीखा जाता है। आगरा में सन् 1915 ई० से दयालबाग में इनका प्रधान मठ है। इस पथ में गंगा, जमुना, मन्दिर भूति और जात-पात नहीं मानी जाती है। ये लोग अपने को "सत्संगी" कहते हैं। इस मत में गुरु भक्ति बहुत है और गुरुजी का बचा हुआ महाप्रसाद खाने में आत्मिक सम्बन्ध से भुक्ति मानने हैं। (देखें डाक्टर डी० आर० भंडारकर लिखित "नोट ऑन दी राधास्वामी सेक्ट" सेसस भाष इण्डिया जिल्द 9 सन् 1901 ई० पृ० 74)।



जमा बैठे । मुसलमान शासको ने अपना धर्म फैलाने में भी कोई कसर नहीं रखी । इस्लाम धर्मावलम्बियों में सहनशीलता कतई नहीं थी । हिन्दू दूसरे धर्मों का आदर करते आये हैं लेकिन मुसलमान हिन्दुओं के कट्टर विरोधी थे और वे हिन्दू मूर्तिपूजन को पूर्णतया समाप्त करने पर तुले हुए थे । अतः उन्होंने यहाँ मारकाट कर लोगों का धर्म परिवर्तन कर, हिन्दुओं की जो दुर्गति की उससे हिन्दू और मुसलमानों के बीच जो गहरी खाई खुदी वह आज तक पट नहीं पाई है । उन्होंने हिन्दू अछूतों को लोभलालच देकर, स्वर्णों के अत्याचारों से छटकारा दिलाने का आश्वासन देकर, काफी लोगों को अपने धर्म—इस्लाम में परिवर्तित किया । इस प्रकार राजस्थान में मुसलमानों की ज्यादा संख्या हिन्दू धर्म से परिवर्तित लोगों की है । ये धर्म परिवर्तित मुसलमान अपने रहनसहन रीतिरिवाज, आदि कम ही छोड़ पाये हैं । इस कारण अभी भी हिन्दुओं के कई रीतिरिवाजों का ही पालन करते हैं । हिन्दुओं द्वारा मूर्तियों की पूजा की जाती है तो यह मुसलमान भी कब्रों की पूजा करते हैं, मिन्नते मांगते हैं, और चढ़ावा चढ़ाते हैं । देहेज, श्राद्ध आदि का भी इनमें प्रचलन हो गया है । जाति प्रथा भी इनमें फैल गयी है । मुसलमानों में मजहब में ७२ सम्प्रदाय (फिरके) हैं जिनमें सुन्नी, शिया, वहाबी (अहले हदीस) मुख्य हैं । इनके सिवाय नौ मुस्लिमों को भी कुछ जातियाँ हैं जो अब तक हिन्दू धर्म का कई बात मानती हैं । हिन्दू व मुसलमान या आपस में मिल से ही रहते थे, लेकिन विछली शताब्दी से जब अंग्रेज शासको ने फूट डाली और शासनभेद डालकर करो की नीति अपनाई है तब से ब्रिटीश भारत के देखादेखी देशों राज्यों के मुसलमान भी वही कही मस्जिद के सामने बाजा न बजाने का सवाल उठाने लगें हैं और हिन्दू मुस्लिम झगड़े होना लग गये हैं ।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेजों से यहाँ के राजाओं की संबंधिता हा जाने पर काफी अंग्रेज यहाँ रहने लगे । उनके कारण यहाँ भी उनके धर्म—ईसाई धर्म का प्रचार होना लगा । राजस्थान में पहला ईसाई मिशनरियारा में मार्च 1860 में स्थापित हुआ और अगस्त, 1861 में ईसाई धर्म का सार्वजनिक रूप से प्रचार आरम्भ हो गया । व्यावरिक के बाजार में सप्ताह में दो बार अंग्रेज पादरी धार्मिक सभाय करने लगे । इन सभाओं में हिन्दू ब्राह्मण, मुसलमान मुल्ला आदि भाग लेने लगे । इनके प्रयत्नों से 22 मार्च, 1863 को पहला व्यक्ति भाक गाव का मेर (रावत) उमरावासिंह ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ । अंग्रेजी सरकार द्वारा काफी

प्रोटेस्टान्ट धर्म परिवर्तन हेतु दिया जाने लगा । फिर भी यहाँ ईसाई धर्म ज्यादा नहीं फैल सका । इसका मुख्य कारण उनका पश्चिमी संस्कृति में ज्यादा रग होना था । जो भी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता वह शराब पीना, गाय और सुअर का मांस खाने से परहेज नहीं करता था तथा टोप पहन कर या टाई लगाकर अपने को काला अग्रेज समझता था । मानो वह या उसके पूर्वज इंग्लैंड से ही आये हों । ऐसे लोग ज्यादातर वनवासी या अछूत जातियों के थे । यों यहाँ के लोगों में धार्मिक संस्कार इतने मुटुड थे कि ईसाई धर्म की बाहरी चमक उन्हें प्रभावित नहीं कर सकी । अतः ईसाई धर्म यहाँ लोकप्रिय नहीं हो सका । अच्छे खानदानों के तो नाम मात्र के लोग ही ईसाई बने । ज्यादातर लोग अनाथ हो जाने, अकाल, आर्थिक स्थिति खराब हो जाने या लोभ लालच में आ जाने से ही ईसाई बनते थे । कुछ सीमा तक अंग्रेजी शिक्षा ने भी नवशिक्षितों को ईसाई धर्म की ओर धकेल दिया ।

राजस्थान के बाहर भारत के अन्य प्रान्तों में भी ईसाई धर्म का इसी प्रकार प्रचार उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ । यह देखकर राम मोहनराय, केशवचन्द्र सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण, विवेकानन्द आदि ने हिन्दू धर्म का वास्तविक स्वरूप जनता के सामने रखा और उन्हें बतलाया कि ईसाई धर्म वास्तव में इतना विकृत नहीं है जितना हिन्दू धर्म । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने न केवल ईसाई धर्म बल्कि मुस्लिम धर्म के भी इतने दोष बतलाये जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ईसाई व इस्लाम धर्म हिन्दू धर्म से कतई अच्छे नहीं हैं । इससे हिन्दू अपने धर्म के मूल रूप की ओर काफी आकृष्ट हुए और ईसाई धर्म का प्रचार काफी सीमा तक रुक गया ।

ईसाईयों के मुख्य फिरोके पांच हैं— कैथोलिक (मूर्ति पूजक) प्रोटेस्टेण्ट (मूर्ति विरोधी), मेथोडिस्ट, चर्च ऑफ इंग्लैंड और फ्री चर्च ऑफ स्काटलैंड । प्रोटेस्टेण्ट (मूर्ति निषेधक) नागपुर के पादरी के मातहत और कैथोलिक (मूर्ति पूजक) आगरा के पादरी के नीचे हैं । इन लोगों का मिशन अकाल पीड़ित और रोगियों की सेवा अच्छी करता है ।

पारसी धर्म' और आर्य धर्म एक ही मूल धर्म से निकला है। पारसी मूलतः ईरान के वासी हैं जो भारत में ई० सन् 936 में आये। आर्यों की भाँति ये लोग अग्नि पूजक थे और इसका अभी तक निर्वाह करते हैं। इनके भी आर्यों की भाँति चार वर्ण थे— ब्राह्मण (ब्राह्मण), रथंस्तार (क्षत्रिय), वास्त्र्योप (वंश्य) और हुतीश (शूद्र) इन धर्माविलम्बियों का धार्मिक ग्रन्थ अवेस्ता है जिसका रचयिता जयुष्त्र है। भाषा व भाव ऋग्वेद के मन्त्रों के समान ही है। ईरानी लोग सातवीं शताब्दी तक काफी सुसंस्कृत व उन्नतिशील थे लेकिन सन् 651 में अरबों ने ईरान पर हमला कर ईरानियों को काफी संख्या में मुसलमान बना दिया। नवीं शताब्दी तक ईरान की ज्यादातर जनता मुसलमान बन गई लेकिन तब वे अरबों पर ऐसे छा गये कि ईरानी भाषा जो फारसी भाषा भी कहलाने लगी इस्लाम की भाषा बन गयी और ईरानी संस्कृति ही इस्लाम की संस्कृति का पर्याय मानी जाने लगी। जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर सके वे भारत में चले आये। वे अपने माथ जयुष्त्र को ईश्वर द्वारा दी गई अग्नि ले आये और बम्बई में मन्दिर बनवा कर वहाँ प्रज्वलित रखी जो आज

### (1) पारसी -

पारसी मत के संस्थापक महात्मा जयुष्त्र का जन्म तेहरान के पास रहे नामक गाँव में ईसा मसीह से 1527 वर्ष पूर्व हुआ था। डाक्टर हाग के मतानुसार जयुष्त्र ने पंजाब और काश्मीर के ब्राह्मणों से वेद पढ़े और उनका अनुवाद अपने देश की भाषा में किया। यह भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। इस ग्रन्थ का नाम महर्षि जयुष्त्र ने अपनी भाषा में अवेस्ता रखा।

प्राचीन काल में भारतवर्ष को छोड़कर सम्पूर्ण एशिया, पूर्व दक्षिणी यूरोप और मिथ्र में भी यह मत फैला हुआ था। अब इस मत के लोग पारस देश में और कुछ बम्बई प्रान्त में ही पाये जाते हैं। वे अपने को आर्य कहते हैं लेकिन दूसरे मतवाले उनको पारसी या अग्नि पूजक कहते हैं। ईसा की नवीं सदी में जब मुसलमानों ने ईरान (पर्सिया) पर चढ़ाई की और पारसी लोगों को मुसलमान होने के लिये तग किया, तब उनमें से कितने ही लोग अपने धर्म की रक्षा के लिये भारतवर्ष में चले आये। इस समय के पारसी उन्हीं धर्मवीरों के वंशज हैं। ये लोग लगभग सारे व्यवहारों में हिन्दू ही होते हैं। इनका सिद्धान्त यह है— परमेश्वर अनादि, अनन्त और निर्विकार है। मूर्तिपूजा व जातपात व्यर्थ है। हवन, दया, गार्हो की रक्षा और शिला मंत्र का धारण करना, सफाई से रहना, यही उपदेश इन्हें दिया जाता है। भारत में यह लोग करीब एक लाख हैं।

तक जल रही है। इस धर्म के लोग राजस्थान में कम ही हैं। ज्यादातर पारसी व्यापार करने हैं। कुछ लोग राजकीय सेवाओं में भी हैं। शिक्षा व वैभव में ये अन्य धर्मावलम्बियों से काफी आगे हैं।

सिक्ख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। गुरु नानक निराकर वादी थे और जात पात, तीर्थों, और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वे ईश्वर को सर्व व्यापी मानते थे। सिक्ख धर्म में नानक के बाद, अगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, हरगोविन्द, हरराम, हरकृष्णराय, तेजबहादुर, और गोविन्दसिंह गुरु हुए। गोविन्दसिंह ने अपने धार्मिक ग्रन्थ "ग्रन्थ साहिब" को ही पथ का गुरु घोषित कर दिया। इस कारण उनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। ग्रन्थ साहिब में सभी गुरुओं के वचन और पद संग्रहित हैं। सिक्ख धर्म, प्रारम्भ में शांति प्रिय एवम् भावुक भक्तों का सम्प्रदाय था लेकिन बादशाह जहांगीर तथा औरंगजेब के अत्याचारों के कारण इनमें सामरिकता आ गयी। इस्लाम के अल्लाहो अकबर की भांति ही सिक्ख धर्म का नारा हो गया "सत श्री अकाल"। धर्म के नाम पर जितने वलिदान सिक्खों ने दिये उतने कम ही और धर्म वालों ने दिये हैं। जो हिन्दू धर्म व सिक्ख धर्म एक ही धर्म हैं। हिन्दुओं की भांति सिक्ख धर्म में भी जात पात, छुआछूत आदि हैं। हिन्दुओं और सिक्खों बीच वैवाहिक सम्बन्ध भी होते हैं लेकिन जाति के अनुसार। सिक्खों की ज्यादा सख्या बीकानेर राज्य में हैं।

इस प्रकार राजस्थान का प्रमुख धर्म हिन्दू है। हिन्दू धर्मावलम्बियों के अनुपात में मुस्लिम धर्मावलम्बी काफी कम हैं। इतना होते हुए भी यहाँ हिन्दू और मुसलमान काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। अलवर राज्य में कुछ साम्प्रदायिक दगे अवश्य होते रहते हैं लेकिन इसका जहर फैलाने वाले राजस्थान के बाहर के असांभाजिक तत्व हैं। अन्यथा सभी राज्यों में हिन्दू और मुसलमान मिल कर रहते हैं। यह अवश्य है कि खान पान, विवाह सम्बन्धों व रीति रिवाजों के पालन में कोई एकता नहीं है। यही बात ईसाईयों के सम्बन्ध में है। हिन्दुओं के लिये ईसाई व मुसलमान अछूत ही हैं और जब तक इन तीनों धर्मावलम्बियों में छुआछूत चलेगी तब तक इनमें एकता नहीं हो सकेगी।

पारसी धर्म<sup>1</sup> और आर्य धर्म एक ही मूल धर्म से निकला है। पारसी मूलतः ईरान के वासी है जो भारत में ई० सन् 936 में आये। आर्यों की भाँति ये लोग अग्नि पूजक थे और इसका अभी तक निर्वाह करते हैं। इनके भी आर्यों की भाँति चार वर्ग थे— आश्रवण (ब्राह्मण), रथेस्तार (क्षत्रिय), वास्त्रयोप (वंश्य) और हुतीक्ष (शूद्र) इन धर्माविलम्बियों का धार्मिक ग्रन्थ अवेस्ता है जिसका रचियता जथुष्त्र है। भाषा व भाव ऋग्वेद के मन्त्रों के समान ही है। ईरानी लोग सातवीं शताब्दी तक काफी सुसंस्कृत व उन्नतिशील थे लेकिन सन् 651 में अरबों ने ईरान पर हमला कर ईरानियों का काफी मस्या में मुसलमान बना दिया। नवीं शताब्दी तक ईरान की ज्यादातर जनता मुसलमान बन गई लेकिन तब वे अरबों पर ऐसे छा गये कि ईरानी भाषा जो फारसी भाषा भी कहलाने लगी इस्लाम की भाषा बन गयी और ईरानी संस्कृति ही इस्लाम की संस्कृति का पर्याय मानी जाने लगी। जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर सके वे भारत में चले आये। वे अपने साथ जथुष्त्र को ईश्वर द्वारा दी गई अग्नि ले आये और बम्बई में मन्दिर बनवा कर वहाँ प्रज्वलित रखी जो आज

### (1) पारसी -

पारसी मत के स्थापक महात्मा जथुष्त्र का जन्म तेहरान के पास रहे नामक गाँव में ईसा मसीह से 1527 वर्ष पूर्व हुआ था। डाक्टर हाग के मतानुसार जथुष्त्र ने पंजाब और फारमोर के ब्राह्मणों से वेद पढ़े और उनका अनुवाद अपने देश की भाषा में किया। यह भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। इस ग्रन्थ का नाम महर्षि जथुष्त्र ने अपनी भाषा में अवेस्ता रक्खा।

प्राचीन काल में भारतवर्ष को छोड़कर सम्पूर्ण एशिया, पूर्व अफ्रीका यूरोप और मिथ में भी यह मत फैला हुआ था। अब इस मत के लोग पारस देश में और कुछ बम्बई प्रान्त में ही पाये जाते हैं। वे अपने को आर्य कहते हैं लेकिन दूसरे मतवाले उनको पारसी या अग्नि पूजक कहते हैं। ईसा की नवीं सदी में जब मुसलमानों ने ईरान (पर्सिया) पर चढ़ाई की और पारसी लोगों को मुसलमान होने के लिये तग किया, तब उनमें से कितने ही लोग अपने धर्म की रक्षा के लिये भारत-वर्ष में चले आये। इस समय के पारसी उन्हीं धर्मवीरों के वंशज हैं। ये लोग लगभग सारे व्यवहारों में हिन्दू ही होते हैं। इनका सिद्धान्त यह है— परमेश्वर अनादि, अनन्त और निर्विकार है। मूर्तिपूजा व जातपात व्यर्थ है। हवन, दया, गायों की रक्षा और शिलासूत्र का धारण करना, सफाई से रहना यही उपदेश इन्हें दिया जाता है। भारत में यह लोग करीब एक लाख हैं।

तक जल रही है। इस धर्म के लोग राजस्थान में कम ही हैं। ज्यादातर पारसी व्यापार करते हैं। कुछ लोग राजकीय सेवाओं में भी हैं। शिक्षा व वैभव में ये अन्य धर्मावलम्बियों से काफी आगे हैं।

सिक्ख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। गुरु नानक निराकरवादी थे और जातपात, तीर्थों, और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वे ईश्वर को सर्वव्यापी मानते थे। सिक्ख धर्म में नानक के बाद, अगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, हरगोविन्द, हरराम, हरकृष्णराय, तेजबहादुर, और गोविन्दसिंह गुरु हुए। गोविन्दसिंह ने अपने धार्मिक ग्रन्थ "ग्रन्थ साहिब" को ही पथ का गुरु घोषित कर दिया। इस कारण उनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। ग्रन्थ साहिब में सभी गुरुओं के वचन और पद संग्रहित हैं। सिक्ख धर्म, प्रारम्भ में शांति प्रिय एवम् भावुक भक्तों का सम्प्रदाय था लेकिन बादशाह जहांगीर तथा औरंगजेब के अत्याचारों के कारण इनमें सामरिकता आ गयी। इस्लाम के अलाहो अकबर की भाँति ही सिक्ख धर्म का नारा हो गया "सत श्री अकाल"। धर्म के नाम पर जितने वलिदान सिक्खों ने दिये उतने कम ही और धर्मवालों ने दिये हैं। यो हिन्दू धर्म व सिक्ख धर्म एक ही धर्म है। हिन्दुओं की भाँति सिक्ख धर्म में भी जातपात, छुआछूत आदि हैं। हिन्दुओं और सिक्खों बीच वैवाहिक सम्बन्ध भी होते हैं लेकिन जाति के अनुसार। सिक्खों की ज्यादा सत्या वीरानेर राज्य में हैं।

इस प्रकार राजस्थान का प्रमुख धर्म हिन्दू है। हिन्दू धर्मावलम्बियों के अनुपात में मुस्लिम धर्मावलम्बी काफी कम हैं। इतना होते हुए भी यहाँ हिन्दू और मुसलमान काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। अलवर राज्य में कुछ साम्प्रदायिक दगे अवश्य होते रहते हैं लेकिन इसका जहर फैलाने वाले राजस्थान के बाहर के असामाजिक तत्व हैं। अन्यथा सभी राज्यों में हिन्दू और मुसलमान मिलकर रहते हैं। यह अवश्य है कि स्नानपान, विवाह सम्बन्धों व रीतिरिवाजों के पालन में कोई एकता नहीं है। यही बात ईसाईयों के सम्बन्ध में है। हिन्दुओं के लिये ईसाई व मुसलमान अछूत ही हैं और जब तक इन तीनों धर्मावलम्बियों में छुआछूत चलेगी तब तक इनमें एकता नहीं हो सकेगी।

## शिक्षा

मुसलमानों के आने के पूर्व यहाँ की शिक्षा पुराने ढंग से संस्कृत व प्राकृत भाषा में हुआ करती थी। उस समय शिक्षा बिना किसी शुल्क के दी जाती थी और गरीब विद्यार्थियों को भोजन व वस्त्र भी गुरु या पाठशाला की ओर से दिये जाते थे। मुसलमानों के आने के बाद मुसलमानों की ज्यादा हलचलो से लोगों में शिक्षा का रंग बिगड़ गया। इसका यह परिणाम हुआ कि लोग निरक्षर होकर अविद्या के ग्रन्थकार में फँस गये। अंग्रेजों के आने तक यही हाल रहा। लोग पाठशाला या मकतब में जाकर साधारण लिखना पढ़ना या काम चलाऊ हिसाब सीख लेते थे। ठाकुर या जागीरदार और धनवानों ने तो यह समझ रखा था कि पढ़ना लिखना ब्राह्मणों का ही काम है। इधर ब्राह्मण स्वयं भी पचाग-टीपणा देखकर बार तिथि बतलाना, भागवत की कथा करना या एकादशी महात्म्य पढ़कर मुना देने में ही अपनी विद्या का पूर्ण होना समझ बैठे थे। वैश्यों का यह हाल था कि बिना कानामात्रा के केवल अक्षर लिखना सीख लेना और चिट्ठी पत्री लिखना, वही खाता रखना, अपनी शिक्षा की इतिथि समझते थे। शुद्रों का तो कहना ही क्या? उनका लिखने पढ़ने का अधिकार ही नहीं समझा जाता था।

सन् 1818 में अंग्रेजों से सन्धिया हो जाने के बाद राजस्थान में अंग्रेजों की शिक्षा का प्रचार आरम्भ हो गया। अजमेर में सन् 1819 से अंग्रेज पादरी जावेज को शिक्षा अधीक्षक नियुक्त किया गया और अजमेर तथा पुष्कर में स्कूल खोली गई। सन् 1822 में भिनाय और केनडी में भी स्कूल खोली गई। इन स्कूलों में कम ही लड़के पढ़ने आते थे। इन स्कूलों में ईसाई धर्म के प्रचार पर ज्यादा ही जोर दिया जाता था। अतः जनता में ये स्कूल लोकप्रिय नहीं हो सकी। इस कारण ये स्कूल शीघ्र ही बन्द हो गई। बाद में मेकारो की नई शिक्षा नीति के अनुसार अजमेर में एक स्कूल मई 1836 में पुनः खोली गई। यह स्कूल भी वित्तीय स्थिति कमजोर होने, बार बार अकाल पड़ने व लड़कों द्वारा पढ़ाई में रुचि न लेने के कारण सन् 1843 में बन्द कर दिया गया। जब जनता में अंग्रेजी शिक्षा के प्रतिबुद्ध रुचि जागृत हुई तब सन् 1851 में यहाँ स्कूल पुनः खोला गया और इसमें 230 छात्र भर्ती किये गये। इस स्कूल के छात्रों ने हाई स्कूल की परीक्षा पहली बार सन् 1861 में दी और तब यह हाई स्कूल कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गया। यही हाई स्कूल सन् 1868 में इण्टर कॉलेज बना दिया गया।

राज्यो में पहला सरकारी स्कूल सन् 1842 में अलवर में खोला गया। इसमें अंग्रेजी शिक्षा सन् 1858 से दी जाने लगी। जयपुर में भी सन् 1844 में स्कूल खोली गई जिसमें सन् 1873 तक 800 छात्र हो गये। सन् 1873 में यह स्कूल इण्टर कॉलेज बना दिया गया। जयपुर में सन् 1869 में तथा पाली में सन् 1873 में एंग्लो वर्ना क्यूंटर स्कूल खोले गये। हाँ के महाराजा जमवन्तसिंह ने अपने नाम से सन् 1893 में एंव इण्टर-मिडियेट कॉलेज खोला जो सन् 1898 में डिग्री कॉलेज बन गया।

अन्य राज्यों में भी अंग्रेजी शिक्षा हेतु स्कूले खोली गईं। भालावाड में सन् 1863 में खोली गई। प्रीकानर राज्य में सन् 1872 में स्कूल खोली गई लेकिन वहाँ अंग्रेजी शिक्षा सन् 1885 में आरम्भ की गई। उदयपुर में स्कूल सन् 1863 में खोली गई लेकिन अंग्रेजी शिक्षा सन् 1865 में आरम्भ की गई।

सन् 1869 की मार्च माह में ईसाई पादरियों ने अपना पहला मिशन ड्यावर में स्थापित किया और तब ही एक स्कूल वहाँ खोला गया। यह स्कूल बहुत अच्छी तरह चलता रहा लेकिन जब कुछ मेहतर लडको को इस स्कूल में भर्ती किया गया तब 69 में से दो तिहाई लडको ने स्कूल छोड़ दिया। सन् 1862 में अजमेर में भी एक मिशन स्कूल खोला गया। तब भी कुछ मेहतर लडको का भर्ती किये जाने पर 103 लडको में से केवल 11 लडके— 7 मुसलमान व 4 हिन्दू रह गये। नसीराबाद टॉडगड, देवली व जयपुर में भी क्रमशः 1862, 1864, 1871 व 1872 में मिशन स्कूल खोले गये। मिशन ने लडकियों की शिक्षा के लिये सन् 1862 में नसीराबाद में और सन् 1863 में अजमेर में स्कूल खोले।

स्कूलों के साथ ही साथ मिशन ने मूद्रणालय भी स्थापित किये। सन् 1867 में ड्यावर में लियो प्रेस गोला गया। इसमें पढाई की पुस्तकों के अलावा धार्मिक पुस्तकें भी छपती थी। या जयपुर में भी महाराजा रामसिंह ने सन् 1862 में ही एक लियो प्रेस स्थापित कर दिया था। सन् 1869 में ड्यावर के लियो प्रेस में सरकारी 'राजपूताना गजट' (साप्ताहिक) छपने लगा।

ई० सन् 1863 तक विभिन्न राज्यों में केवल 13 राजकीय स्कूल तथा 569 निजी स्कूल थे जिनमें क्रमशः 2222 तथा 12 495 छात्र थे



छात्राग्री पढती थी । राज्यों मे केवल जयपुर, भरतपुर व उदयपुर में ही कन्या पाठशाये थी जिनमे 102 छात्रायें पढती थी । अजमेर मेरवाडा मे अलग स्कूल थे । सन् 1872 की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 62 स्कूल थे जिनमे 2142 लडके व 290 लडकिये पढती थी ।

ई० सन् 1870 मे राजकुमारो की शिक्षा के लिये अजमेर मे मैयो कॉलेज खोला गया । इससे भाती नरेशो को अग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी और उन्हे अग्रेजी सस्कृति मे रगा जाने लगा । इस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त नरेश भी अपने राज्यों मे शिक्षा का ज्यादा प्रसार नही कर सके । उन्नीसवी शताब्दी के अत तक नाम मान के लडके शिक्षित हो सके । केवल 33,450 लडके ही स्कूल मे शिक्षा पाते थे । विभिन्न राज्य शिक्षा के लिये बहुत कम रकम खर्च करते थे । जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा आदि रियासतें केवल 1.4 प्रतिशत तथा जोधपुर रियासत केवल 89 प्रतिशत रकम खर्च करती थी । अन्य छोटी रियासतो ने तो इस मद के अतर्गत कुछ भी खर्च करने का विचार ही नही किया । न केवल रियासतो के नरेश वल्कि उनके अधीन जागीरदार भी फिजुल खर्चो मे रुपया पानी की तरह बहाते है, परन्तु ऐमे काम के लिए पूर्णतया उदामीन है । रियासतो की सरकारी सालाना रिपोर्ट और बजट देखने से स्पष्ट जाना जा सकता है कि शिक्षा पर कितना रुपया खर्च किया जाता है और राजकुटुम्ब पर कितना व्यय होता है । उदाहरण के लिये नीचे लिखे राज्यों के खर्च के आकडे देखिये—

राज्य	राजकुटुम्ब पर व्यय	शिक्षा पर व्यय
बीकानेर	11 प्रतिशत	1.4 प्रतिशत
जोधपुर	16 प्रतिशत	0.89 प्रतिशत
अलवर	20 प्रतिशत	1.00 प्रतिशत

प्रारम्भिक शिक्षा की यह दशा है कि 7011 मनुष्यो या 31 वर्ग मील अथवा 17 ग्रामो के पीछे अलवर राज्य मे, 12,116 आदमियो या 230 वर्ग मील अथवा 33 ग्रामा के पीछे बीकानेर मे एक सरकारी स्कूल है । इसपर भी खास बात यह है कि कई राज्यों मे प्राईवेट (गैर सरकारी) शिक्षा को प्रोत्साहन नही दिया जाता है । अलवर, जयपुर और जोधपुर आदि राज्यों मे स्वतन्त्र शिक्षण सस्थाये राज्य की आज्ञा बिना नही खोली जा सकती है ।

उधर बहुत से जागीरदारों को यह आशंका है कि प्रजा में शिक्षाका प्रचार बढ़ा तो वे लोग अपने कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों की माग अधिक पेश करेंगे। इसी भाव को लेकर जागीरदारों की जागीरों में विद्या का प्रचार है ही नहीं। मारवाड़ दरबार की सन् 1923-1924 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 62 का अवलोकन करने से पता चलता है कि—

‘दुर्भाग्यवश स्वयं अशिक्षित होने के कारण वे (जागीरदार) अपनी प्रजा की शिक्षा के प्रति कम ही उत्साह रखते हैं। वास्तव में उनमें से कुछ को यह गलत फहमी है कि शिक्षा पा जाने से उनकी प्रजा अपने कर्तव्यों के बदले अधिकारों के विषयों में ज्यादा सोचने लगेगी। ऐसी परिस्थितियों में जागीरी क्षेत्रों में शिक्षा की कोई प्रगति नहीं हुई है और जबतक इस समस्या का हल नहीं निकाला जाता, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य पिछड़ा ही रहेगा।’

हम यहाँ भालावाड़ नरेश की प्रणता क्रिये विना नहीं रह सकते, जहाँ शिक्षा के लिये आमदनी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही खर्च किया जाता है।

राजस्थान की जनता की शिक्षा पिछड़ी हुई है तो है ही परन्तु यही दशा यहाँ के जागीरदारों, रईसों आदि की भी है। वे पढ़ने लिखने में बिलकुल रुचि नहीं रखते हैं। वे अधिक से अधिक अपना नाम लिख देना यथेष्ट समझते हैं जिससे उनको बहुधा काफी हानि पहुँचती है। एक ठाकुर से पूछा गया कि “ठाकुरा कितना पढ़िया” (ठाकुर साहब आप कितने पढ़े हैं?)। उत्तर मिला—“हाथमु करम फोडा जीता” अर्थात् हाथ से अपनी बरवादी कर सके उतना। तात्पर्य यह है कि वे वोहरों के लिखे कागजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अशिक्षित होने से इनके विचार भी समयानुकूल नहीं होते हैं। उनके लिये निम्न इच्छाएँ पूर्ण हो जाना ही सब कुछ है—

चाकर गोली होय, जमी बहे वारणो ।

मदबो महलो माय, प्यारी रे कारणो ॥-

कामेतियो करे काम, ढोली नित गावणा ।

इतरा दे किरतार, फेर वाई चावणा ॥

अर्थात् चाकरी के लिए दास और दासिया हो, भूमि अपने अधिकार में हो, महल में प्रेयमी के साथ विलास के लिए मदिरा हो, काम काज समालाने को कामदार हो और गाना सुनाने के लिए ढोली हो, फिर किसी वस्तु की इच्छा नहीं है।

राजस्थान में पढ़े लिखे स्त्री पुरुषों की संख्या केवल 4 प्रतिशत है। इसमें स्त्री शिक्षा तो नाम मात्र की है। जो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हैं वे केवल साधारण पत्र पढ़ लिख सकती हैं। उनमें इन्हीं गिनी स्त्रियाँ ही ऐसी मिलेंगी जो हिन्दी की साधारण पुस्तक को समझ सकें या कोई समाचार पत्र पढ़ सकें। राजस्थान में स्त्रियों के लिये एक भी कॉलेज नहीं है और न कोई हाई स्कूल ही है (जयपुर के मिवाय)। एक हजार में केवल दो स्त्रियाँ ही लिखना पढ़ना जानती हैं। पाठको को यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान की 48 लाख स्त्रियों में से अब तक (सन् 1929) केवल दो महिलाओं ने मैट्रिक पास किया है। कुछ रियासतों में जो दस-पाँच लड़कियाँ प्रति वर्ष हिन्दी मिडिल पास करती हैं, उनमें से अधिकांश बाहर से आये हुए हाकिमों की और अन्य राजवर्माचारियों की पुत्रियाँ होती हैं। स्त्री शिक्षा के अभाव के कारण है—पर्दा, बालविवाह और पाठशालाओं की कमी तथा इस प्रान्त की निधनता। कई राज्यों की अधिकांश आय फिजुल खर्चों में निकल जाती है और विद्या प्रचार जैसे जन हितकर कार्य वैसे ही रह जाते हैं।

राजस्थान में कॉलेजों की संख्या 9 है और हाई स्कूल 52 हैं। इनमें अजमेर मेरवाड़ा जिले के 12 हाई स्कूल और दो कॉलेज भी शामिल हैं। इनमें से कई ईसाई पादरियों के द्वारा और कई राज्यों की आर्थिक सहायता से भिन्न-भिन्न जातियों की ओर से चल रहे हैं। जितना खर्च शिक्षा पर होना चाहिये वह रियासतों द्वारा नहीं किया जाता है। इस विषय में सराहने योग्य भालावाड़ राज्य है जिसमें आमदनी के लिहाज से शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया जाता है। शिल्प कला सीखने के लिये केवल एक स्कूल जयपुर में है जो स० 1925 (ई० सन् 1868) में स्थापित हुई थी। यूरोपियन व एंग्लो इण्डियन (अधगोरो) की पढाई के लिये 'लारेन्स स्कूल' आवूर पहाड़ पर है जिसमें केवल उन्हीं के बालक पढ़ते हैं। वहाँ मिडिल स्कूल भी है जिसे भारत सरकार से सहायता मिलती है। रेलवे की तरफ से एक हाई स्कूल रेन्वे स्टेशन आवूररोड पर है।

छोटे-छोटे जागरदारों की पढाई के लिए अलग अलग राज्यों में नोबल्स स्कूल स्थापित हो गये हैं परन्तु जैसी शिक्षा इन सरदारों व राजकुमारों को इन स्कूलों में मिलती है वैसी सब साधारण स्कूलों से दूर रह कर उन्हें नहीं मिल सकती है क्योंकि विद्यार्थियों में ऊँच-नीच अमीर-गरीब का भेदभाव बना रहने से शासक व प्रजा में सहानुभूति नहीं रह पाती है।

दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा राजस्थान में शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है। लेकिन जो कुछ शिक्षा अंग्रेजी ढंग से मिलती है वह विद्या नहीं कही जा सकती है। वह केवल अंग्रेजी सिखा कर राजकर्मचारी बलक बनाने वाली तथा खरबीली है। यहाँ तक कि उपयोगी होने की बात तो दूर नहीं राष्ट्रीय भावना व स्वतन्त्रता की भावना भी इस पढाई में नहीं होती है। इसी में अपनी रोटी कमाने का साधन भी इस शिक्षा से होना कठिन हो रहा है। इसमें केवल भाषा ज्ञान व पुस्तक ज्ञान से ही विद्यार्थियों का समय चला जाता है। व्यवहारिक कला - कौशल व रोजी का साधन उन्हें मालूम नहीं होने पाता है। इसका कारण यह भी है कि शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा नहीं होता है। अब इस ओर विद्वानों का ध्यान गया है और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात चल रही है।<sup>2</sup>

1 सन् 1931 की जनगणना के समय कुल पढ़े लिखे 4,07,136 थे जिनमें महिलाएँ 25,534 थीं। अंग्रेजी जानने वाले 29,895 थे जिनमें महिलाएँ 1686 थीं (राजस्थान जनगणना रिपोर्ट 1931) सन् 1941 में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भालावाड़ में 8 और बीकानेर में व किशनगढ़ में 7 प्रतिशत थे। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में पढ़े लिखों का प्रतिशत क्रमशः 2.8 व 3 था जो सबसे कम था (राजस्थान जनगणना रिपोर्ट 1941) अब सन् 1971 की जनगणना के अनुसार शिक्षितों का प्रतिशत 18.79 है जिनमें पुरुषों का 28.42 प्रतिशत व स्त्रियों का 8.26 प्रतिशत है। जिला वार सबसे ज्यादा शिक्षित अजमेर में 30.19 प्रतिशत तथा सबसे कम शिक्षित बाड़मेर में 10.02 प्रतिशत है (राजस्थान जनगणना रिपोर्ट 1971)।

2 राजस्थानी भाषा का राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन में पढाये जाने के विषय में लेखक ने 1925 से ही प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे। उन्होंने 21 फरवरी 1925 का 'तदण राजस्थान' में एक वक्तव्य दिया था कि राजस्थान की भाषा राजस्थानी है। उन्होंने बतलाया कि राजस्थान को उपरति जैसी राजस्थानी भाषा के द्वारा ही जा सकती है वैसे ही हिन्दी के द्वारा नहीं की जा सकती है। अतः जो प्र ही राजस्थानी स हिन्द सन्मेलन (प्रकाशनी) की स्थापना होनी चाहिए। (तदण राजस्थान 21 फरवरी 1925 पृष्ठ 9)। यह प्रसन्नता की बात है कि भी जगदीशसिंहजी गहलोत के इस वक्तव्य के लगभग 50 वर्ष बाद अब केन्द्रीय साहित्य प्रकाशनी ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दे दी है और भारतीय सचिवालय की आठवीं सूची में राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय स्तर की भाषा रूप में सम्मिलित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा आर्ट्स ने हायर सेकेंडरी में राजस्थानी को एक ऐच्छिक विषय बना दिया है। राजस्थान के विरय विद्यालयों में भी एम. ए. तक में राजस्थानी पढाई जाने लगी है। राजस्थानी भाषा की स्वतन्त्र प्रकाशनी की स्थापना करने की राह की जा रही है। इस प्रकार स्वर्गीय भी गहलोतजी का स्वप्न साकार होता दिखाई दे रहा है।

## भाषा

राजस्थान की भाषा को "राजस्थानी" कहते हैं। इसके मुख्य 7 विभाग हैं— मारवाडी, डूँडाडी, हाडोती, मेवाती, वागडी, मेवाडी और ब्रजभाषा। वैसे तो उप-शाखाएँ स्थान भेद से 100 से अधिक हैं परन्तु इन्हीं 7 उपभाषाओं में उनका समावेश हो जाता है।

मारवाड, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही राज्यों में मारवाडी, वूँदी, कोटा, शाहपुरा, झालावाड में हाडोती, जयपुर राज्य में डूँडाडी; अलवर में मेवाती, मेवाड में मेवाडी, भरतपुर, धौलपुर व करोली में ब्रज-भाषा और सिरोही, बाँसवाडा, डूँगरपुर व प्रतापगढ़ में वागडी भाषा बोली जाती है। यह वागडी बोली गुजराती से मिलती जुलती भीली को बोली है। राजस्थानी भाषा के इन विभिन्न रूपों में विशेष अन्तर नहीं है।

सन् 1931 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 77 प्रतिशत व्यक्तियों की मातृभाषा राजस्थानी, 15 प्रतिशत की पश्चिमी हिन्दी व 6 प्रतिशत की भीली भाषा थी। जार्ज ग्रियसन के अनुसार राजस्थान की 4 भाषाएँ—मारवाडी, मध्यपूर्वी, राजस्थानी व उत्तरपूर्वी राजस्थानी व मालवी हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार मारवाडी भाषा भाषी 50 प्रतिशत, मध्यपूर्वी राजस्थानी भाषा भाषी 19 प्रतिशत, उत्तर-पूर्वी राजस्थानी भाषा भाषी 4 प्रतिशत और मालवी भाषा भाषी 3 प्रतिशत हैं। जनगणना अनुसार इनकी संख्या इस प्रकार है—

मारवाडी	56,18,885
मध्यपूर्वी राजस्थानी	21,57,974
उत्तर पूर्वी राजस्थानी	4,78,941
मालवी	3,50,856
पश्चिमी हिन्दी	17 21,186
भीली	7,19,640
कुल	1,10,47,482

सामान्यतः स्कूलों में शिक्षा हिन्दी या उर्दू में होती है अतः पढ़े लिखे लोग अपनी मातृभाषा हिन्दी बतला देते हैं अन्यथा इन लगभग सत्तरह लाख लोगों की मातृभाषा राजस्थानी ही है। मारवाडी की 19 बोलीया हैं जो

रवाड, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड, सिरोही, शाहपुरा और जयपुर के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में बोली जाती है। मध्यवर्ती राजस्थानी जयपुर के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में तथा वृन्दी, कोटा, टोक व अजमेर में बोली जाती है। उत्तरपूर्वी राजस्थानों अजमेर, उत्तरी भरतपुर व जयपुर के उत्तर पूर्व के भागों में बोली जाती है। मालवी कोटा के कुछ भागों भालावाड, प्रतापगढ़ व टोक (निम्बेहडा व छावडा तहसीलों) में बोली जाती है। पश्चिमी हिन्दी जयपुर, करौली, अजमेर, भरतपुर के कुछ भागों व धौलपुर में बोली जाती है। भीली वासवाडा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, मेवाड, प्रतापगढ़ व सिरोही राज्यों के भीली क्षेत्रों में बोली जाती है।

राजस्थान के कुछ भागों में गुजराती व लहन्दा (पश्चिमी पंजाबी) भी बोली जाती है। गुजराती बोलने वालों की संख्या केवल 20,064 है और इसके बोलने वाले डूंगरपुर, मेवाड, वासवाडा व सिरोही में ही हैं। लहन्दा बोलने वाले बीकानेर व जैसलमेर में ही हैं। इनकी संख्या 12,840 है।

यहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत थी। सर्व साधारण की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत के बाद यहाँ "अपभ्रंश" का प्रचार हुआ। जैन विद्वानों ने अपभ्रंश में काफी साहित्य छठी से लेकर तेरहवीं शताब्दी के बीच रचा। अपभ्रंश राजस्थान की साहित्यिक भाषा बन गई। इसी के लोक प्रचलित रूप राजस्थानी की आज से लगभग 1,000 वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई। इसका विशेष सम्बन्ध पंजाब व सिन्ध की भाषा से रहा। राजस्थानी की एक शैली डिंगल नाम से प्रसिद्ध है। इस डिंगल भाषा में भाट, चारण, राव, मोतीसर, डाढी आदि जातियों के कवियों का प्राचीन साहित्य 10वीं शताब्दी में मिलता है। इसके सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ 'ढोलामारु रा दूहा' और 'वेलि त्रिसन खलमणी री' तथा गद्य ग्रंथ 'नैणसी गी रयात' हैं। डिंगल साहित्य प्रधानतया वीर रसात्मक है। डिंगल शब्द 'डिंग' और 'गल' शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ ऊँची बोली का है क्योंकि इस भाषा के कवि उच्च स्वर से अपनी कविता का पाठ करते हैं। इसके विपरीत ब्रजभाषा की कविता में ध्वनि उच्च नहीं होती और उसमें मधुरता विशेष होती है। इसलिये ब्रजभाषा से प्रभावित शैली की कविताओं को राजस्थान में पिंगल अर्थात् पागली (लगड़ी-बूली) कविता कहते हैं। पिंगु का अर्थ लगड़ी और गल का मायना बात या बोली है। इसका मुख्य क्षेत्र पूर्वी राजस्थान रहा। इसमें कई सन्तों ने अपनी रचनाएँ कीं। कविराजा मुरारदान ने 'डिंगल'

शब्द का अर्थ अनघड पत्थर या मिट्टी का डगला (ढैला) किया है क्योंकि इसमें गुजराती, मराठी, मागधी, सिन्धी, ब्रजभाषा, संस्कृत, फारसी, अरबी आदि कई भाषाओं के अपभ्रंश शब्द पाये जाते हैं। अपभ्रंश भी साधारण नहीं है। वह इतना ज्यादा है कि उसका असली रूप जान लेना भी कठिन हो जाता है जैसे—

संस्कृत में—

मुक्तापत्र  
युधिष्ठिर  
ध्रुवभट  
श्रीहर्ष  
हस्तबल  
आलभट

डिगल भाषा में—

मोताहळ  
जुजठळ  
धुहड  
सीहा या सीहड  
हापल  
अलट

इस भाषा में ट, ठ, ड, ढ, ण और ळ आदि अक्षरों की प्रधानता होती है और 'स' का प्रयोग प्राय 'ह' होता है। इस भाषा में ऋ, ॠ, लृ, ए, ऐ, औ— स्वर नहीं होते हैं और तालवी (श) और मूर्धनी (प) के स्थान पर भी दन्ती मकार (स) ही लिखा व बोला जाता है। ऐसे ही 'ख' 'प' लिखा जाता है।

यह भाषा बोलने में व सुनने में मीठी लगती है और उससे सम्प्रता व शिष्टता झलकती है। इस भाषा की कुछ कहावतें नीचे दी जाती हैं जिनसे पता लगेगा कि वे संक्षेप में होने पर भी कितनी मीठी और उपदेश भरी हुई हैं—

1 अनी चुका बीसा हो— अवसर चूकने से पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बनता।

2 ठगाया मूँ ठाकर वाजे है— एकवार धोखा खाने से आदमी दूसरी बार चतुर हो जाता है।

3 कलमुँ होवे जो बलमुँ नहीं होवे— जो काम चतुराई से होता है वह पाशविक बल लगाने से कभी नहीं हो सकता है।

4 रोयाँ बिना तो माँ ही वोवो कोयनी दे— बिना आन्दोलन किए इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है ।

5 पूत रा पग पालरो पछाणीजे है— होनहार व्यक्ति के लक्षण भूने में भूलने ही के समय में प्रकट हो जाते हैं ।

6 हप रूडो गुण वायरो रोईडे रा फूल— रोईडे का फूल रूप में सुन्दर होते हुए भी गुणहीन होता है ।

7 बस्ता रा बाया मोती नीपजे है— समय पर सब बातें बनती हैं ।

8 कथो एक दिसावर घणा— आदमी तो एक उसके करने को काम अनेक ।

9 पईसे री डोकरी टक्को सिर मूँडाई रो— एक पैसे की चीज पर दो पैसे खर्च करना ।

10 घर मे ऊँधरा चिड्याँ करे— घर मे खाने को अनाज नहीं है ।

11 घर फूटा ने कारी कोयनी— अपने ही घर का कोई व्यक्ति शत्रु पक्ष से मिल जाय तब हार निश्चय है ।

12. मूँछा रो चावल राखणो— घर मे चाहे कुछ भी न हो तो भी रहना इज्जत से ही ।

13 ऊँट खोडावे गधो डोभीजे— किसी का अपराध, कोई दण्ड पावे ।

14 मन वायरा पावणाँ घी घालू के तेल— बेमन कोई कार्य करना रुखा रहता है (बिना बुलाये मेहमानों का आदर नहीं होता है) ।

15 अबकल शरीराँ उपजे दिया लागे डाँम— दूसरे के समझाने से समझ नहीं आती है जब तक खुद में समझ न हो ।

16 आप व्यासजी बँगण खावे, दूजे ने परमोद बतावे— आप बुरा कर्म करे लेकिन दूसरो को उसके न करने का उपदेश दें ।



17. एक न नो सौ दुःख टाले मौन— व्रत धारण करने से मनुष्य बहुत सी बुराईयो से बच जाता है।

18 उखल में माथो दिए पड़े घमकाँ री कई गिनती— कार्य क्षेत्र में कूद पडने पर दु ख-कष्ट से नहीं घबराना चाहिए।

19 मूँज बल गई पर बट कोयनी बलियो— वैभव नष्ट हो गया लेकिन अभिमान नहीं मिटा।

20 आँधे रो तँदुरो रामदेवजी बजावे— निर्बल का सहायक परमात्मा होता है।

21 कोठे होवे जीके होठा आय रेवे— जो मन में होता है वही मनुष्य वचन से प्रकट करता है।

22 गूरियाँ रा गोठिया ने खाया ने उठिया— मनुष्य के स्वार्थी मित्र सुख में ही साथ देते हैं, विपत्ति में नहीं।

नगरो में खडी बोली का भी प्रयोग होता है। न्यायालयो में फारसी शब्दो की भर-मार ज्यादा है। मुगल समय में यहाँ फारसी का जोर था और राजभाषा होने से राज्य के काम में आने के कारण इसका काफी महत्व था। अभी भी किसी सीमा तक इसी का प्रचलन है, जैसा कि किसी ने कहा है—

अगर मगर के सोले आने इकडम तिकडम बारा।

अटे कटे के अठ हिज आने, सु सा पईसा चारा ॥

अर्थात् फारसी का मूल्य 16 आने है, मराठी का 12 आने, मारवाडो का 8 आने और गुजराती के 4 पैसा है। अब कई रियासतो के कार्यालयो में हिन्दी को भी स्थान दिया गया है।

## लिपि

राजस्थान के प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी। उसके बाद गुप्त लिपि का प्रचार हुआ। फिर कुटिल लिपि बनी और इस लिपि में दसवीं शताब्दी के लगभग वर्तमान देवनागरी लिपि बनी है। राजस्थान में इस समय नागरी लिपि का प्रचार है। मारवाड़ी की लेखन शैली विचित्र है। उमम मात्राओं का रयाल प्रायः नहीं किया जाता है और एक ही पुंन्य का लिखा हुआ कभी उससे भी नहीं पढ़ा जाता है और कभी कुछ का कुछ अर्थ हो जाता है। महाजनी मुडिया अक्षरों का तो हाल ही बेहाल है। कहा भी है—

बनक पुत्र बागज लिखे, बाना मात न देत ।

होग मिरच जीरो भले, हग मर जर कर देत ॥

इसका एक रोचक दृष्टान्त है कि किसी ने लिखा— 'कक अजमर गया है न कक कटे है।' अर्थात् काका अजमेर गए है और काकी (चाची) कोटा में है मगर पढ़ने वाले ने इस तरह पढ़ लिया कि काका आज मर गया है और काकी कटे है। इस प्रकार मारवाड़ी लिखावट साफ लिखी ही नहीं जाती है। इसलिये एक कहावत चली आती है कि 'आला बचे न आपसूँ सूखा बचे न वापसूँ।' अर्थात् गीले अक्षर लेखक स्वयं नहीं पढ़ सकता और सूख जाने पर, यानी कुछ समय बाद तो (वे अक्षर) उसके वाप से भी नहीं पढ़े जा सकते हैं। मारवाड़ी लिपि में शब्दों के बीच में अन्तर छोड़ना तो जानते ही नहीं हैं। अब अंग्रेजी व देवनागरी की देखा देखी अन्तर छोड़ा जाने लगा है। मुस्लिम काल में फारसी लिपि का ज्यादा प्रचार हुआ। इस समय जयपुर, धौलपुर, टोक व अजमेर की न्यायिक कार्यवाही फारसी में ही होती है। शेष रियासतों में लिखावट व बोली में देवनागरी तथा हिन्दी का प्रचार होने लगा है।

## साहित्य

राजस्थान का साहित्य तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ।<sup>1</sup>—

- (१) सस्कृत एवम् प्राकृतक साहित्य,
- (२) राजस्थानी साहित्य, एवम्
- (३) हिन्दी साहित्य ।

राजस्थान में सस्कृत साहित्य की ज्यादातर रचनाये जैनो तथा राज दरबारो के आश्रित कवियों द्वारा की गई । प्राकृत साहित्य की रचनाये केवल जैनो द्वारा की गई ।

सस्कृत साहित्य की सबसे पहली कृति भीनमाल के महाकवि माघ का “शिशुपाल वध” है जो आठवीं शताब्दी में रचा गया । चित्तौड़ के हरिभद्र सूरि ने भी सस्कृत तथा प्राकृत में कई रचनाये की । उनको “समर-इच्छा कथा” अत्यन्त प्रसिद्ध है । हरिभद्र सूरि के एक शिष्य उद्योतन सूरि ने जालोर में “कुबलय माला कथा” की अशत प्राकृत व अशत अपभ्रंस में रचना ईस्वी सन् 779 में की । सन् 906 में सिद्धऋषि ने “उपमिती भव प्रपचा कथा” की रचना की । अजमेर के चतुर्थ विग्रहराज चौहान ने प्रसिद्ध नाटक “हरकेली” की तथा उसके दरबार के कवि सोमदेव ने “ललित विग्रहराज” नाटक की रचना की । तृतीय पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि जयानक ने “पृथ्वीराज विजय” लिखा ।

जैन आचार्यों— वल्लभसूरि, जिनदत्तसूरि, जिनचन्द्रसूरि आदि ने भी सस्कृत तथा प्राकृत साहित्य में अपूर्व योगदान दिया । मेघविजय ने सन् 1760 में सप्त साधना महाकाव्य की रचना की । महाराणा कुम्भा ने जयदेव के “गीत गोविन्द” पर विद्वता पूर्ण टीका लिखी तथा मगीत पर “सगीतराज” ग्रंथ की रचना की ।

1. राजस्थान प्राचीन काल से ही साहित्य प्रेमी रहा है । राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद के ज्यादातर भाग की रचना हुई । सम्भवतः प्रारम्भिक आह्वण व सूत्र ग्रन्थों की रचना भी यहीं हुई । प्रसिद्ध ज्योतिषिज्ञ वराहमिहिर तथा उसके ग्रन्थ का टीकाकार ब्रह्मगुप्त राजस्थानी ही थे । उसने भीनमाल में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना छठी शताब्दी में की ।

वज्रसेन सुरि ने सबसे पहले राजस्थानी काव्य "भरतेश्वर बाहुवलि गौरा" की रचना की। इसके बाद का राजस्थानी का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ "भरतबाहुवलि रास" है जिसकी इस्वी सन् 1185 में शालिभद्र सुरि ने रचना की। रास कविता नृत्य के साथ गायी जाती है। इसके बाद में कई जैन लेखकों ने रास तथा फाग रचे। फाग श्रृ गारिक काव्य होते हैं जिनमें वसन्त ऋतु का वर्णन होता है। जिनपद्म सुरि ने सन् 1330 में शालिभद्र का फाग तथा मोम सुन्दर ने सन् 1428 में नेमीनाथ नवरस फाग की रचना की।

वीर गाथा काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ चन्द वरदायी कृत पृथ्वीराज रासो है। चन्द वरदाई अन्तिम हिन्दू सम्राट् पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। इसमें पृथ्वीराज के जीवनवृत्त पर काफी प्रकाश डाला गया है। पृथ्वीराज रासो राजस्थानी का 'महाभारत' कहा जा सकता है। इसके बाद के अन्य रासो ग्रन्थ हैं— नरपति नाल्ह का वीसलदेव रासो दयालदास का राणा रासो, माधोदास दीघवाडिया का राय रासो, गिरधर आशिया का सगर्तासिंह रासो दौलतविजय का छुमारण रासो आदि। पद्मनाभ का कान्हडदेव प्रबन्ध भी इतिहास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसी प्रकार के तत्कालीन इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रन्थ हैं— ढाढी बहादुर रचित वीरमायण, श्रीधर रचित रणमल छद्म, शिवदास की अचलदास की वचनिका, आदि।

सोलहवीं शताब्दी में भक्त मीराबाई ने सरल लौकिक राजस्थानी में कई पद रचे जो भारत भर में लोकप्रिय हैं। इसी प्रकार चन्द्रसखी के पद तथा वग्तावर के पद भी भक्ति का अपूर्व भाव लिये हुए हैं। दादूदयाल, सुन्दरदास, रैदास आदि का भक्ति काव्य भी राजस्थानी की अमूल्य देन है।

राजस्थान में कृपाराम के गजिया के दाहे बहुत प्रसिद्ध हैं। राजिया के अन्ना बेरिया जेठवा, किमनिया, नागजी आदि के नीतिपूर्ण दोहे भी प्रहृत लोकप्रिय हैं। राजस्थानी के न्याय भी बहुत लोकप्रिय हैं। इन्हें भाट गाते फिरते जहातहा दिखाई दे जाते हैं। प्रसिद्ध न्याय "जीनमाता री गीत" और 'डू गरी जवाहरजी री गीत' है। इनकी रसमय कविता किसी भी साहित्य की मरस कविता से टकरा ल सकती है।

कई जैन साधुओं ने धर्म प्रचार हेतु गद्य में धर्मकथायें लिखीं। इनमें माणवचन्द्र का पृथ्वीचन्द्र चरित्र, प्रसिद्ध है। कुछ ग्रन्थों में पद्य के साथ

गद्य सम्मिलित है। ऐसो मे शिवदास खीची की अचलदास री वचनिका है। राजस्थानी गद्य का वाद मे तो इतिहास ग्रन्थो, चरित्र व प्रेमकथाग्रो मे काफी प्रयोग हुआ।

इतिहास जानने के लिये “वात और ख्यात” अत्यन्त उपयोगी है। “मुहता नैणसी री ख्यात” अत्यन्त उपयोगी व महत्वपूर्ण है। इसमे राजस्थान तथा सौराष्ट्र के राजवंशो पर काफी ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। अन्य प्रसिद्ध ख्याते है— दयालदास री ख्यात, मु दियाड री ख्यात। बातो मे बीजा सोरठ री बात, अचलदास खीची री बात, चादकु वर री बात आदि प्रसिद्ध है।

इतिहास जानने के लिये वृन्दी के सूरजमल का वंश भास्कार अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ लगभग 2000 पृष्ठो मे अशत पिंगल मे व अशत राजस्थानी गद्य मे लिखा गया है। सूरजमल की दूसरी महत्वपूर्ण कृति “वीर सतसई” है जिसमे वीररस के सात सौ दोहे है।

इतिहास लेखको मे “वीरविनोद” के रचियता श्यामलदास तथा “राजपूताने के इतिहास” और “प्राचीन लिपिमाला” के लेखक गौरीशकर हीराचन्द ओझा प्रसिद्ध है। ये दोनो ग्रन्थ हिन्दीभाषा मे लिखे गये है। अंग्रेजी भाषा मे हरविलाम शारदा के ऐतिहासिक ग्रन्थ ‘महाराणा कुम्भा’ तथा ‘महाराणा सागा’ अत्यन्त प्रसिद्ध है।

राजस्थान मे अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद राजस्थानी की वदर कम हो गई क्योंकि अंग्रेज अधिकारियो के इशारे मे यहा गैर राजस्थानी अधिकारी नियुक्ति किये गये। गैर राजस्थानी अधिकारियो ने राजस्थानी के स्थान पर अपने मूल स्थानो की भाषा के अनुसार फारसी को महत्व दिया। यहा तक कि शिक्षा का माध्यम भी राजस्थानी को नही रखा। राजस्थानियो को शिक्षा देने मे उनकी मातृ भाषा राजस्थानी को कोई स्थान नही दिया गया। इन कारणो से यहा के ज्यादातर राज्यों के न्यायालयो की भाषा फारसी या फारसी मिश्रित हिन्दि हो गयी। राजस्थानी का स्थान काफी सीमा तक हिन्दी ने ले लिया। राजस्थानी की यह दुर्गति सबको खली लेकिन सब विवश थे। राष्ट्रीय चेतना के साथ २१ भी यहा के लोगो का ध्यान गया। ऐसे लोको मे २१ गुलाबचन्द नागोरी, सूर्यकरण पारीक न ११३ अ रामकरण आसोपा ने तो राजस्थानी २५. ११५

ग्रन्थ भी लिखा और राजस्थानी शब्दकोष तैयार किया। इसी प्रकार इत्तालवी विद्वान डाक्टर टैसीटोरी ने भी पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखे। मुरारदान ने अमरकोष की शैली पर राजस्थानी शब्दकोष की रचना की। नरोत्तम स्वामी ने भी राजस्थानी भाषा और साहित्य पर काफी लिखा।

आधुनिक राजस्थानी पद्य में सबसे प्रसिद्ध वारुठ केशरीसिंह की नवजागृति की राष्ट्रीय कवितायें हैं। ऊमरदान लालम ने भी बहुत सुन्दर व्यंग्यात्मक कवितायें लिखीं। उनका 'छपना रो छन्द' बहुत ही सुन्दर ढंग से सम्बन्ध 1956 के अकाल का वर्णन करता है। मेवाड के महाराज चतुरसिंह ने वैराग्य व भक्ति पर काव्य रचा। उनकी कविता "नारी" और "भरणो जानणो" काफी लोकप्रिय हैं।

राजस्थानी विद्वानों का ध्यान लोक साहित्य की ओर भी आकर्षित होने लगा है। राजस्थानी गीतो<sup>2</sup>, कहावतो<sup>3</sup>, वातालाथो<sup>4</sup> आदि का भी संग्रह किया जाने लगा है।

इस प्रकार राजस्थान में साहित्य रचना बराबर होती आई है। यहाँ के प्राचीन साहित्य की खोज होना अभी बाकी है। आवश्यकता यह है कि राजस्थानी भाषा को यहाँ की शिक्षा का माध्यम बनाया जावे तथा न्यायालयों की भाषा भी राजस्थानी हो। इसी में राजस्थान का हित है।<sup>5</sup>

1. लेखक श्री जगदीशसिंहजी गृहलोक ने ऊमरदान के काव्य पर ऊमर काव्य का सम्पादन सन् 1930 में किया।

2. लेखक ने लोकगीतों पर सर्व प्रथम संकलन सन् 1923 में "मारवाड के पाम गीत" के नाम से प्रकाशित किया।

3. लेखक ने राजस्थान की कृषि कहावतें सन् 1918 में प्रकाशित की।

4. लेखक ने राजस्थान के वार्ताकार्य का प्रकाशन सन् 1929 में किया।

5. पिछले वर्षों में राजस्थानी साहित्य में अनुबन्धान, संकलन व सम्पादन काफी दुष्प्रा है। राजस्थानी पद्य भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। अब तो राजस्थानी का साहित्यिक मान्यता प्राप्त हो गई है। आवश्यकता है कि राजस्थान के हिन्दी लेखक राजस्थानी की अपनायें तथा राजस्थान में शिक्षा का माध्यम राजस्थानी हो। राजस्थानी के गद्य में एक रूपता होना भी आवश्यक है। अतः सर्वाधिक प्रचलित मारवाड़ी विभाषा को आधार बनाकर सरल गद्य में रचनायें की जानी चाहिए। इसमें अन्य विभाषाओं - दूँडाड़ी, मेवाड़ी व मानवी का पुट होना आवश्यक है, ताकि ये लोकप्रिय हो सके।

वाजे यहां प्रचलित थे । मध्यकाल मे गायन की शैली बदली और शृंगार रस का प्रचार हुआ । मुगल बादशाहों को गाने वजाने का बड़ा शौक रहा परन्तु औरजैव को इससे नफरत थी । मुगल बादशाहत का पतन होने पर इस कला की कदर करने वाले केवल राजस्थान के राजा रह गये । इनके आश्रय मे कई पुस्तके संगीत विद्या पर लिखी गई और कई राजा भी संगीत के शौकोन थे । महाराणा कुम्भा संगीत विद्या मे प्रवीण थे । मेवाड के राजकुमार भोजराज की पत्नि मीराबाई की मलार राग अबतक प्रसिद्ध हैं ।

संगीत मे उस्ताद अलाउद्दौल और जाकिरहूदीन खान के प्रसिद्ध घरानों ने राजस्थान मे आश्रय पाया था । इनकी गायकी भारत भर मे प्रसिद्ध हैं । इसी घराने ने ध्रुपद गायकी का एक विशेष अलाप और मोमताम शैली का आविर्भाव किया । नाथद्वारा व काकरौली के मन्दिरों मे शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरी भारत के लोगों को आकर्षित करती है । वहा कई अच्छे-अच्छे गायक वादक तथा पखावजिये हैं । जयपुर, बीकानेर, अलवर, करौली आदि राज्यों मे भी कई अच्छे गायक है जो भारत भर मे प्रसिद्ध है । राजस्थानी लोकगीत गाने मे लगे, ढोली मिरासी, भवाई, बाँमड आदि अपनी सानी नहीं रखते है । इन संगीतकारों को यहा हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है । इन्होंने लोक गायन और लोक वाद्यो मे जितनी प्रवीणता प्राप्त की है उतनी इनका कदर नहीं की जाती है । आवश्यकता है कि इन्हे प्रात्साहित किया जावे ।

### नृत्य

राजस्थान नृत्य कला मे काफी प्रसिद्ध रहा है । कथक नृत्य मे भी काफी प्रसिद्ध रहा है । कथक नृत्य मे लखनऊ के बाद जयपुर ही केन्द्र बना हुआ है । जयपुर के नृत्यकारों ने एक नवीन कलात्मक रूप देकर इसको एक नई शैली-जयपुर शैली नाम दिया है । कथक नृत्य मे नारायण प्रसाद व उनके पिता हनुमान प्रसाद काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके है ।

### नाट्य

नाट्य कला मे परवत्सर (जोधपुर राज्य) के कठपुतली नाच कराने वाले, मेवाड के भील जाति के गौरी नाच कराने वाले, बगडी (जोधपुर राज्य) के रासधारी बाते, घोमुण्डा (मेवाड) के रयालवाले प्रसिद्ध है । कठपुतलियों का कथा नृत्य देखने योग्य होता है । कठपुतली वाले काठ की पुतलियों लिये गाँव गाँव मे फिरते दिखाई देते हैं ।

## हस्त कला

राजस्थान अपनी हस्तकलाओं के लिये प्रसिद्ध है। विदेशी वस्तुओं तथा कारखानों में बनी वस्तुओं के सस्ते और प्रचुर मात्रा में बनने का कारण इनका चलन कम अवश्य हो गया है लेकिन फिर भी कला पारखी व धनी लोगों की आंखों में अभी भी ये विशिष्ट स्थान रखती है। जयपुर में सूती कपड़ों की रंगाई, छपाई का काम, सोने की जडाई मीनाकारी व सामरमर की मूर्तियाँ अच्छी बनती हैं। भरतपुर में चबुर, हाथीदात का काम व चन्दन के पखे अच्छे होते हैं। बीकानेर में ऊन के कम्बल, गलिचे और ऊँट के चमड़े के कुप्पे बहिया बनते हैं। जैसलमेर में भेड़ों के ऊन के कम्बल बकरे व ऊँट के बालों के थैले (बोरे), पत्थर के प्याले और रकावी, किशनगढ़ में छोट व कपड़े की रंगाई और खसखस के बने पखे प्रसिद्ध होते हैं। कोटा में वारीक मलमल, मसूरिया, डोरिया, चादी के बर्तन, घोड़ों और हाथियों की साजे और हाथीदात का काम अच्छा होता है। मारवाड़ में चूनडी की बन्धेज की कलापूर्ण रंगाई कपड़ों की रंगाई व बुनाई, कसीदेदार हन्के जूते तथा पीतल हाथीदात लाख और मगमरमर के खिलौने, ऊनी कम्बल, काठिये (जोन) पत्थर की चक्कियाँ, बादले, और मिठाई अच्छी होती है। मेवाड़ में तलवार, कटार, कपड़ों पर सुनदगी छपाई और लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार शाहपुरा में छपाई रंगाई व बुनाई, सिरोही में तलवार, भाले वरछी, तीर बमान और टोक में कपड़ा बुनना, गाने, बजाने के माज—सितार, सारंगी, तबला आदि और हाथीदात का काम अच्छा होता है। अब ये देशी रोजगार समाप्त होते जाते हैं। हाथ से बुना हुआ रेजा (खादी) और चीत्वाने व डोगिया, जिमस

। आज भी जयपुर की मीनाकारी व नक्काशी की वस्तुएँ रत्न आभूषण, प्रस्तर प्रतिमार्थे विट्टी व खिलौने, गलिचे, हाथीदात की वस्तुएँ, जोधपुर की कसौदा कारी की जूतियाँ, बट्टए, सहरिया मोठडे, चून्दाडियाँ बादले उदयपुर की लकड़ी के खिलौने, भरतपुर का चन्दन का काम कोटा का मसूरिया डोरिया, विंगेट की तलवारें, चाकू व छूरे नाथद्वारा की मीनाकारी, सागानेर, चित्तौड़, बगड़ व चाडमेर के छापे, बीकानेर की लोहिया जैसलमेर का जानी का काम न केवल भारतवर्ष बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। चून्दाडी व बन्धेज के साथ जोधपुरी मोजरियों के शयन कसीय स्लीपर, बाहमेरी छापों के स्कर्ट व साज सज्जा के रूप में बराबर बढ़ता जा रहा है। जयपुर तो तमस्त विषय में प्राकृतिक व कृत्रिम रत्नों के लिए प्रमुख कन्द्र है ही (मध्यम महिमा-राजस्थान की हस्तकलाएँ, पृ 136)।



कोटा के जुलाहे व कोली जीविका चलाते आये हैं, अब उनकी बढ़ नहीं रही हैं। ऊन के कम्बल और लोहियों का धन्धा जिससे भारवाड, बीकानेर, जयपुर आदि के मेघवाल, भाम्प्री बलाई, चमार, रेगर, खटीक व कोली अपना धन्धा चलाते आये हैं, विदेशी तथा कारखानों की बनी हुई वस्तुओं के मामले नहीं टिक पाते हैं। या राज्यों से भी इन्हें कोई विशेष आश्रय नहीं मिल रहा है। अब ये सब खेती पर ही निर्भर रहने लगे हैं और किसानों के गले के भार बनने जा रहे हैं। भूमि यो भी कृषि हेतु कम है। अतः खेतीहरो का यह भार अच्छा नहीं है। राज्यों को इन हस्त शिल्पकारों को संरक्षण देना चाहिये ताकि काश्त की भूमि पर कम भार बड़े।

### रीति - रिवाज

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों की जातियों के विवाह, अत्येष्टी आदि के रीति रिवाज प्रायः एक समान हैं। तथाकथित उच्च जातियों में विधवा विवाह नहीं होता है। नातरायत राजपूत, काछेला चारण जाट, माली, गूजर, मीणा, भील, दरोगा (रावणा राजपूत), गरासिया आदि जातियों में पुनर्विवाह होता है। कुछ जातियों में बड़े भाई के मरने पर उसकी स्त्री देवर से नाता कर लेती है। राजपूत, भील मीणा आदि जातियों में बहु विवाह की प्रथा है। प्रायः सब ही जातियों में बाल विवाह की प्रथा है। शादी व गमी के मौकों पर फिजूल खर्चों लोगों के दबाव के कारण ज्यादा ही हुवा करती है। यह देखकर राजस्थान के एजेंट डू गवर्नर जनरल वॉल्टर ने राजपूतों की अनर्गल मामाजिन बुराईयों का दूर करने के लिये प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कर एक सभा ई मन् 1868 की 10 मार्च को अजमेर में स्थापित की थी। दूसरे वापिन अधिवेशन पर 15 फरवरी सन् 1869 ई को उस सभा का नाम 'वाल्टर वुन राजपूत हितकारिणी सभा' रक्खा गया। राजस्थान के ए. जी. जी. उमके स्थायी सभापति होते हैं। इन सभा की शांताण प्रत्येक राज्य में तत्र में कायम है। इसका उद्देश्य राजस्थान के सरदारों में लेकर माधारण राजपूत तंत्र में शादी, गमी आदि के मौकों पर खर्च की पाबन्दी करना, वर-वधू की आयु के नियम की पाबन्दी रखना, विवाह के समय चारण, भाट और ढाली (दमामी) लोगों को त्याग (इनाम) देना व नियम बनाना व पालन करवाना है। राजपूतों में लड़कों की आयु शादी के वक्त 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष नियत की गई है। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उसे दण्ड दिया जाना है। यह भी नियम है कि कोई भी बच्चा 30 वर्ष में

अधिक आयु तक कुंवारी नहीं रखी जावे और एक स्त्री के जीते जी दूसरी शादी नहीं की जाय जब तक कोई दूसरा कारण विशेष न हो। इस सभा का अधिवेशन प्रति वर्ष अजमेर में होता है। इन नियमों के अनुसार और जातियों ने भी फिजूल खर्ची घटाने के नियम बनाये हैं।

यहाँ के हिन्दुओं के धर्म कार्य ब्राह्मण पुरोहितों के हाथों में होते हैं। इनके धार्मिक नियम मोताक्षरा स्मृति के अनुसार होते हैं और 16 मस्कारों को पुरोहित व पण्डित अपनी विद्या व बुद्धि के अनुसार जैसे जैसे निवाहते रहते हैं। हिन्दू जाति पर ब्राह्मणों का अबतक बड़ा प्रभाव है। पुत्र जन्मा तो मुहूर्त्त पुरोहितजी निकालते हैं। नामकरण मस्कार भी वही करते हैं। विवाह, मगाई आदि में भी नाई के साथ-साथ ब्राह्मण भी शरीक होते हैं। कणवेध, जनेऊ, गृहशुद्धि, प्रतिष्ठा आदि अवसरों पर होम इन्हीं के हाथ से होता है। ये चलते-फिरते सजीव पचास हैं जो मुबह स शाम तक तिथिय, नक्षत्र, ग्रह, शकुन आदि बतलाने का काम करते हैं और अपने निर्वाह के लिये प्रातः काल घर-घर फेरे देकर उच्च स्वर में 'दिन दिन ज्यात (ज्योति) सगाई' का आशीर्वाद देते फिरते हैं।

राजपूतों का हाल निराला है। इनके पास समय काटने का कोई काम नहीं है। ये शराब व अफीम के नशे में चूर रहते हैं और गावले (निवास स्थान) में बैठे ढोली, ढाढ़ी, पातरियों आदि के गीत सुनते व तमाशे देखते रहते हैं। अधिक से अधिक जोश आया तो शिकार को निकल पड़ते हैं या गाव के आम पाम दुर्गा भवानी पर वज्र या भैमा चढ़ाने को चले जाते हैं। जो साधारण स्थिति में हैं वे सेना व पुलिस में भरती होकर राज्य या जागीरदारों की नौकरी करते हैं। जाति भाज और परस्पर दावतों में राजपूत एक साथ ही थाली (थाल) में भाजन करन में बड़ा हर्ष मानते हैं। कन्या का जन्म होना ये घुरा मानते हैं, क्योंकि कन्या के विवाह पर टीका (तिलक), दहेज आदि में बहुत खर्च करना पड़ता है। इसी में पहले राजा, उमराव आदि अपनी कन्याओं को मार डालते थे। यों अब भी कुछ लोग लुके छिपे अपनी लड़कियों को मार डालते हैं। इनमें यह कहावत प्रसिद्ध है:—

पडो भलो न कोस को, बेटो भली न एक ।

देसो भलो न प्राप को, माहिव गखे टेक ॥

अर्थात्-पैदल चलना तो एक कोस का भी अच्छा नहीं और एक कन्या का होना भी ठीक नहीं। कर्जा अपने वाप का बिया भी भला नहीं है। ईश्वर इन बातों से बचा कर हमारी इज्जत रखे।

हिन्दुओं को भाँति मुसलमानों में भी जात पात का भेद भाव घुस गया है। उनमें भी मोची, महावत, भिस्ती, छोपा, धोबी, जुलाहा, कयाम-खानी, खानाजादा, सिन्नावट लखारा, रगरेज चढवा (बधारा), मीरासी, पीजारा सिन्धी कुँजडा, इत्यादि जुदा जुदा होते हैं और यदि कोई इस मर्यादा को तोड़ता है तो उसे पचायत कर जाति बाहर निकाल कर उसका हुक्का पानी बन्द कर देते हैं। वह व्यक्ति कुछ दण्ड (जुर्माना) देकर ही फिर वापिस जाति में शामिल हो सकता है।

राजस्थान में अनेको जातियाँ ऐसी हैं जिनका नौमुस्लिम कह सकते हैं। ये हिन्दू जातियाँ बादशाही जमाने में जार जगर या लोभ-लालच से मुसलमान हुईं। इनमें भेद से मलकाना और कायमखानी मुख्य हैं। इनमें कई रीति-रिवाज और धर्म की बात हिन्दुओं के समान आज तक पाई जाती हैं जैसे भरतपुर के मेव व मलकाने हिन्दुओं के देवी देवताओं को अवतक पूजते हैं। भोमियाजी व हनुमानजी का इष्ट रखते तथा अपने नाम के पीछे 'सिंह' शब्द लगाते हैं और शादिया में फेरो के समय मुसलमान काजी और ब्राह्मण पुरोहित दोनों उपस्थित होते हैं। हिन्दुओं की तरह व धोतो पहनते और स्त्रियाँ घाघरा (लहगा) पहनती हैं। इसी प्रकार अजमेर मेरवाड़ा जिला में भी ये नौमुस्लिम माताजी, भैरोजी तेजाजी व रामदेव को पूजते हैं और हिन्दुओं के होली, दीवानी व राखी त्यौहारों को मानते हैं। जयपुर व जाधपुर के नौमुस्लिमों में हिन्दुओं के रम्म पाये जाते हैं जैसे दुल्हा (वीदराजा) के शेहरा (मोर मुकट) बाधना पहरेरानी (दुल्ह के पक्ष वालों को बपड़े आदि भट करना), मेहदी लगाना माली (कलात्रा) बाधना, शीतला पूजना इत्यादि। कोटा के नौमुस्लिम लोगों में यह रिवाज है कि वे शादी के मौकों पर ज्योतिषी से नमन पुछवाते हैं गणपति (विनायक) पूजते हैं काँकण डोरा बाधते हैं और हिन्दुओं के जन्मे ही गीत गाते हैं। बीकानेर में भी यह रिवाज है। विवाह के समय काजी और ब्राह्मण दोनों रहते हैं। स्त्रियाँ हिन्दुओं के जैसे मंगल गीत गाती हैं। एक ही खाँप (चानू गीत नख) में विवाह करन की भी मनाही है जैसी हिन्दुओं में होती है। वे लोग माताजी, भैरोजी, गणेशजी, केसरिया कुँवर गोगाजी गणगौर व जवारा (जो के उगाये हुए पौधे) का पूजन करते हैं। शादी के

मीके पर कुम्हार का चाक पूजने जाती है। इनका नामकरण और जन्मपत्री-टेवा भी ब्राह्मण द्वारा होता है। दसोटन, विवाह लग्न की रस्मे भी ये करते हैं। तोरण भी बाँधते हैं। मारवाड में भी इन मुसलमानों में हिन्दुओं के जैसे रिवाज हैं। मृत्यु के दिन खाना नहीं पकाते हैं। जिसके घर मौत हुई हो उसके पड़ोसी या सम्बन्धी खाना खिलाते हैं। 10 दिन तक मातम की जाजम बिछाते हैं व जो लोग शोक-महानुभूति प्रकट करने आते हैं उनकी अफीम, तमाखु व त्रीडी से मनुहार करते हैं। मीसर (नुकता मृतक भोज) करते हैं। उठाना (शोक हटाने) की रीति भी काम में लाते हैं।

अविद्या होने में अतक लोगों में अध विश्वास, जादू, टोना भूत-प्रेत और देवी, भैरो, भोपो व पीर-क्वर की मानता चल रही है। यद्यपि बड़े बड़े कस्बों में सामाजिक सुधार के लिए कई जातियों में सभाएँ खुल रही हैं। फिर भी विवाह, होली आदि अवसरों पर अश्लील गन्दे गीत गाना और नाचने की प्रथा ज्यादा ही है।

### खानपान

राजस्थान के अलग अलग राज्या में खानपान जुदा जुदा है। पश्चिमी भागों में लोग बहुधा ज्वार बाजरी व मोठ पर निर्भर रहते हैं। दक्षिणी और पहाड़ी इलाकों में मक्की, ज्वार व गेहूँ पर लोग निर्वाह करते हैं। पूर्वी भागों में गेहूँ अधिक खाते हैं। हिन्दुओं में अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। राजपूत बहुधा मांस खाते हैं। उनको बकरे व शुभ्रर का मांस बड़ा प्रिय होता है। राजस्थान के देशी राज्यों में गाय, बकरी, कबूतर, बन्दर, मोर, उल्लू और बिल्ली को मारने की सख्त मनाई है और यह महापाप गिना जाता है।

अधिकतर लोग दिन में चार बार भोजन करते हैं। परन्तु उनका यह भोजन नाम मात्र का ही होता है—

मीरावन— सुबह का कलेवा ।

रोटी— 11 बजे दिन का भोजन ।

दोपहरी— तीन बजे दिन का भोजन ।

ब्यालु सन्ध्या का भोजन ।

सामान्य लोग गेहूँ, गुज्जी, बाजरी, ज्वार, मक्की की रोटियां रावडी के साथ या साग तरकारी के साथ खाते हैं या मिर्च व नमक की चटनी के साथ खाते हैं। अमीर लोगो को ही चावल व गेहूँ की रोटिया (फुल्के) व मिठाई नसीब होती है। किसान अधिकतर वर्ज में डूबे हुए और गरीब होने से एक वक्त की रोटी भी पेट भर कठिनता से पाते हैं। ये लोग रुखा, दलिया, खीच, मोगरा आदि खाते हैं, जैसा कि एक कहावत में स्पष्ट होता है—

कूरा करसा खाय, गेहूँ जीमे वाणिया।

अर्थात् किसान खुद कूरा अनाज (घटिया अनाज) टाकर अपने कर्ज पेटे गेहूँ बोहरों (महाजनो) को देते हैं।

तरकारी के लिए गरीब लोग बेर, कुमट, फोग, सागरी, पीलु आदि वनले पेटों की फलिया काम में लाते हैं। उनको गोभी, सलगम आदि की वस्तुएं त्यौहार पर भी नसीब नहीं होती है। उनको चावल भी त्यौहार पर ही मिलता है। उपरोक्त खाद्य पदार्थों की विशेष व्याख्या इस प्रकार है—

मोगरा— बाजरे के आटे की सेकी हुई मक्खन रोटी जो कम से कम 7-8 तोले वजन की होती है।

राव— छाल में बाजरे का आटा घोलकर मुबह या शामको उवाला जाता है और दूसरे दिन खाया जाता है।

खीच— बाजरे को ओखलो में बूटकर और उमका छिलका उतार कर चौथाई हिस्सा मोठ मिले पानी में पका कर गाढा बनाया जाता है। इसमें कभी कभी खाने समय घी या धोई तिली का तेल डालते हैं।

घाट— मक्का का मोटा दल हूआ आटा पानी में पका कर गाढा बना लिया जाता है।

दलिया— यह बाजरे के आटे की घाट ही है परन्तु यह पतला होता है। गरीब लोगो को यह पूरी तरह से नसीब नहीं होता है।

धनवान लोगो में घी व मिर्च मसालो का ज्यादा प्रयोग होता है। पश्चिमी राजस्थान का घी ताकतवर होता है। यहा की मिठाइया व नमकीन भी बहुत प्रसिद्ध हैं।

## पोशाक

यहा के पुरुषों का पहिनावा पगड़ी, कमरो अग्रखी (अग्रखला) और धोती है। देहात के ज्यादातर लोग नगे बदन रहते हैं और केवल घुटनो तक मोटे कपडे की धोती या जाधिया पहनते है और सिरपर छोटा सा पोतिया (साफा) रखते हैं। जाट, सीरवी माली गुजर, अहीर आदि अपने पास रेजे (खादी) का एक पछवडा (अगोछा) रखते है। किसानो के मिर्फ तीन कपडे होते हैं (जो मोटे रेजे के होते है) — 5 7 हाथ का लम्बा पोतिया (साफा), एक अग्रखी और घुटनो तक रेजे की धोती। अब शहर के लोग बण्डी या अग्रखे के बदले बिना कफो का कुर्ता पहनने लगे है। महाजन (वैश्य) लोग पैचा, पाग या पगड़ी जो 18 गज लम्बी और 9 इन्च चौडी धारीक सूत के कपडे की होती है और जिसके किनारे पर जरी का काम किया हुआ होता है बाधते है। इनको भिन्न भिन्न उपजातिया भिन्न-भिन्न तरह से अपने सिर पर बाधती है। सिर पर बाधने की पोशाक मे चोचदार पाग राजस्थान भर मे प्रसिद्ध है। जिसकी विशेषता यह है कि इसके चार तरफ एक पृथक् पीता बान्धा जाता है जिसको सादा होने पर “उपकणी और सोना चादी के काम से खचित अर्थात् जरीदार होने पर “वालाबन्दी” कहते है। इस समय लोग सिर पर गाढे के पोतिया के बदले साफा (फैटा) बाधने लग गये है जा माधारणत मलमल का होता है। पुरुषो मे शहर के पढे लिखे अपने गने मे रुमाल बाधते है। कोई-कोई टोपी भी लगाने लगे हैं और कई अग्रजी ढग से कोट पतलून या ब्रीचेस तथा अग्रजी हैट (टोप) भी धारण करने लगे है।

स्त्रियो का पहनावा घाघरा (लहगा, फाचली (जा केवल छाती को ढकती है और पोठ की और तनिया से बंधी रहती है) या अग्रखी और ओढनी है। यह ओढनी (लुगडा-दुपट्टा) 2॥ गज लम्बी और १॥ गज चौडी होती है, जो मस्तिष्क और शरीर को ढकती है। अब शहर मे रहने वाली स्त्रियो मे साडी का प्रचार बढ़ता जा रहा है। कोई नये ढग के बमीज और ब्लाउज भी पहन लग गई है।

मुसलमान अधिकतर पायजामा पहनते है। उनको स्त्रिया आधी बाहो का लम्बा कुर्ता या ढोला चोगा जिसे 'तिलक' कहते है पहनती है और कई बुर्का पहिन कर परदानशोन रहती है, परन्तु देहात के मुसलमाना का पहिनावा करीब करीब हिन्दुआ जैसा ही है। उनका पहन सहन व रीति रिवाज हिन्दुओ से मिलता है और वे अग्निवाश मे है भी नव-मस्तिम।

शहर के मुसलमान अचकन भी पहनते हैं। ईद आदि त्योहारों पर इनके कपड़े बहुरंगी और भडकीने होते हैं।

राजस्थान में कुछ राजपूतों व वैश्यों को छोड़कर पर्दे का रिवाज नहीं है। राजपूत जागौरदार, जिनके यहाँ बादिया (डावडिया दरोगने) काम करती है उनके यहाँ पर्दा हाता है किन्तु गरीब और हलखड कृषक राजपूतों की स्त्रियाँ कुएँ या तालाबों में पानी भर कर लाती हैं और अपने पुरखों को रोटी देन खेता में भो जाती है। पर्दे का रिवाज मुस्लिम राज्य के समय से प्रचलित हुआ है। इमने पहन राजाया की रानिया भी पर्दा नहीं करती थी। वे लडाईं शिफार और दरवार में जुने नुँह रहती थी और पुरुषों की भाँति अस्त्र-शस्त्र चलाती था। इमों में कई प्राचीन शिलालेखों में रानिया का युद्ध में पकड़ा जाना वर्णित हैं। यही नहीं, मेवाड राजवंश में महाराणा मधामसिंह द्वितीय के समय मन्वत् 1668) तक महाराणा अपनी पटरानी के साथ राजसिंहासन पर बैठते थे और पर्दा नहीं रखा जाता था।

आजकल लागा में धन के साथ साथ पर्दे की प्रथा भी बढ़ती जाती है। देखने में आया है कि ज्या ही एक आदमी न चार पैसे कमाये या अच्छा ओहदा पाया कि तुरन्त पर्दे का रंग उमकी जान पर मवार हुआ। उसमें भी मुख्य कर मुसलमान और मुत्सद्दी (राज कर्मचारी) इसमें शीघ्र और अधिकता में फसते हैं।

राजस्थान में पाव में सोने का कडा या लार' पहनना प्रतिष्ठा का सबसे बडा चिन्ह है। यह प्रतिष्ठा शासक नरेश से प्रदान होती है। पैर में सोना पहनने की इजाजत देने के राजस्थान में 'सोना बरसना' कहते हैं। बिना आज्ञा के लोगो का पैर में सोना पहनना राजविद्रोह समझा जाता है।

### नामकरण संस्कार

पुरुषों के नाम किसी देवी - देवता, तिथि, चार, नक्षत्र, नदी, पशु, पक्षी या बहुमूल्य पदार्थ के नाम पर रखे जाते हैं। इनके नाम जन्म के समय घर का पुरोहित या ज्यातिपी रखता है। इन नामों के साथ अपने चालू गौत का नाम भी शामिल रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्रों के नाम के साथ शर्मा, वर्मा, गुप्ता व दास लगाने की रीति है। राजपूत अपने नाम के अन्त में "सिंह" शब्द लगाते

हैं।' ब्राह्मण के नाम के साथ प्रायः देव, शंकर व राम जुड़ा रहता है। वैश्यो के नाम के साथ अक्सर चन्द, मल, दास, लाल जोड़े जाते हैं। शुद्रों का पूरा नाम उच्चारण नहीं किया जाता है, जैसे भैरूलाल का भैरिया, चतुर्भुज का चतुरिया, उदयराम का ऊदा या उदिया पुकारते हैं।

स्त्रियों के नाम भी मनचाहे रखे जाते हैं, जैसे इमरती जलेबी, पुगी बरफी गदुरी, काली, तोता, गौरी, मैना मूनी, चमेनी इत्यादि। राजपूतों में सौहागन स्त्रियाँ समुराल में "ठकुराणीजी" तथा 'लाडीजी' और कवर की स्त्री "कवरानीजी" तथा भवर की 'भररानीजी' कहलाती है। विधवा स्त्री "माजी" (माता) कहलाती है। शासक नरेश की धर्मपत्नी ही केवल राणी या महारानी कहलाती है और उसके पुत्र राजकुमार या महाराज कुमार कहलाते हैं। उदयपुर, जोधपुर वीकानेर और जयपुर में शासक नरेश के नजदीकी छुटभैया महाराज कहलाते और जोधपुर में तीन पीढ़ी के बाद उनको 'ठागुर' कहते हैं। जोधपुर, वीकानेर, बासवाडा और अलवर में शासक नरेश की उपत्नी (पामवान) के पुत्र तीन पीढ़ी तक 'गवराजा' कहे जाते हैं और फिर 'भावा'। जयपुर व वृन्दी में ये 'खागवान' और 'लालजी' कहलाते हैं।

स्थानों के नाम के साथ पुरा गढ़ खेडा मर वाड, नगर नर मेर आदि शब्द रहते हैं। जैसे जयपुर, जसवनपुरा, किशनगढ़, नवाखेडा, सेजुसर, मारवाड, गगानगर, वीकानेर, अजमेर इत्यादि।

1 'सिंह' शब्द का उल्लेख विक्रम की तीसरी शताब्दी में मिलता है जब ईरान के राजा हिन्दू सभ्यता को ध्वस्त कर अपने नाम के साथ 'सिंह' शब्द वीरता का सूचक जोड़ने लगे थे। पहले पहल गुजरात राजस्थान मालवा काठियावाड, दक्षिण आदि प्रांतों पर राज करने वाले शक जाति के ईरानी क्षत्रपवशो प्रतापी राजा रुद्रवामा के द्वितीय पुत्र महाक्षत्रप 'राजा रुद्रसिंह' के समय के शक अवत् 103 से 118 (वि० स० 238 से 253 = ई० सन 181 से सन 196) तक के मिले सिक्कों तथा शक स० 103 (वि० स० 238 = ई० सन 181) बंसाख मुदि 5 क उसक शिलालेख में उसके नाम के साथ 'सिंह' शब्द लिखा मिलता है। (भाव-नगर इन्सक्रिप्ट-स पृ० 22)। मालवे के परमार क्षत्रिय राजाओं के नाम के अन्त में 'सिंह' लगान का शिलालेख विक्रम स० दशवीं शताब्दी में मेवाड व गहनोत घग्घियों में 12 वीं शताब्दी में, कछवाही 12 वीं शताब्दी के अन्त में चौहानों में 13 वीं सदी में और मारवाड के राठोड़ों में 17 वीं शताब्दी में जारी होना पाया जाता है। राजपूतों को देखा देखा ही सिक्कों के दसव गुरु गावि-दसिंह (वि० स० 1722-65) में भी 18 वीं शताब्दी में अपने सिक्कों में सिंह शब्द का प्रचार किया। पंजाब व सीमाप्रांत के मुसलमान जहां अपने को बड़ा बताने को अपने नाम के साथ 'खान' या 'खा' शब्द जोड़ते हैं तो सिक्कों में भी उनकी समानता करते अपने को "सिंह" (सिंह के समान) कहलाना आरम्भ किया। यही रिवाज आज तक सिक्ख सभ्यता में चला आता है और वे साथ साथे ब्राह्मण-श्री या हरिजन (अछूत) तब भी 'सरदार' कहलाते हैं और नाम के अन्त में 'सिंह' शब्द जोड़ते हैं।



## मेले

राजस्थान में अधिकतर मेले तीर्थ स्थानों पर कुछ विशेष धार्मिक पर्वों पर भरते हैं। कुछ मेले पशु मेले ही होते हैं। जहाँ हजारों पशु-गाय, बैल, ऊट, भैंस, घोड़े, गधे आदि बिक्री के लिये इकट्ठे होते हैं। उनमें उत्तरी भारत से प्रांतों के लोग पशु खरीदने आते हैं जिससे राज्यों को काफी आय होती है। पुष्कर, तिलवाड़ा, परबतसर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गोगामेड़ी (बीकानेर राज्य), के मेले प्रसिद्ध हैं। पुष्कर का मेला कार्तिक में, तिलवाड़ा का मेला चैत्र में, परबतसर का मेला भादवा में, केशरीयानाथ (धुलैव, मेवाड़) का चैत्र में, चारभुजा (मेवाड़) का भादवा में, माता कुण्डलिनी (रासमी, मेवाड़) व कोलायत, (बीकानेर राज्य) का कार्तिक में, रामदेवरा (पोकरण - जोधपुर) का भादवा में, महावीरजी (जयपुर राज्य) का चैत्र में, राणीसती मेला भुँनभुँनु का भादवा में, सीतला माता मेला, सिल डूंगरी (चाकमु, जयपुर राज्य) चैत्र में, वाणेश्वर (डूंगरपुर) माघ में, वाणगगा (वराट - जयपुर राज्य) वैशाख में, गोगामडी (बीकानेर राज्य) भादवा में, भाम्बेश्वर मेला मुकाम (नोखा-बीकानेर राज्य) फागुन में व आसोज में, करनी माता का देशनोक (बीकानेर राज्य) चैत्र में, व आसोज में, सीतावारी मेला, केलवाड़ा (कोटा राज्य) में वैशाख में भरता है। अजमेर में उर्म का मेला तथा गलियाकोट (डूंगरपुर) में, उर्म के मेले में भारत भर के मुसलमान इकट्ठे होते हैं। मण्डोर (जोधपुर राज्य) में वीरपुरी का मेला श्रावण में भरता है। इस दिन वीरों की पूजा होती है। मण्डोर में वीरों को साल बनी हुई है जिसमें मारवाड़ के प्रसिद्ध वीरों (मल्लिनाथ पावूजी, हडभू गंगा, रामदेव) व हिन्दू देवी-देवताओं (राम, कृष्ण, गणेश, भैरव, चामुण्डा, ककाली), की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इन मेलों पर विभिन्न स्थानों व राज्यों के आदमों इकट्ठे होते हैं।

## त्यौहार

राजस्थान का मुख्य त्यौहार गणगौर है। राजा और रज बालक और बालिकाओं तथा स्त्री और पुरुषों द्वारा बड़े उत्सवों के साथ मनाया जाता है। गणगौर का अर्थ है— गण (शिव) और गौर (पार्वती)। इस त्यौहार का आरम्भ चैत्र माह के पहले दिन से चैत्र सुदि 4 तक चलता है। कुवारी कन्याएँ अञ्छा वर पाने के लिये तथा विवाहित स्त्रियाँ अखण्ड सौभाग्य के लिये गणगौर की पूजा करती हैं। पूजा के अठारह दिनों तक

कई घालिकायें उपवास करती हैं और उनके ये उपवास वर्षों तक चलते रहते हैं जबतक कि वे उजला (घृत की ममाति पर दावत) नहीं कर लेती हैं। चंद्र कृष्ण प्रतिपदा को ही स्त्रियां होली को गल म गहू या ज्वार उगाती हैं और उम प्रतिदिन पानी पिलाती हैं। कई स्थानों पर धनी परिवारों द्वारा ईमर (शिव) व गौरी (पावती) की लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाकर पूजी जाती हैं।

होली के बाद मानव दिन बुधवार को बन्ध्या कुम्हार व घर जाकर एक मिट्टी का घड़ा बनाती हैं। इस घड़े में कई छेद हात हैं। इस घड़े में दीपक रख कर लड़कियां घुड़ल का गीत गाती फिरती हैं और पन मिठाई घो, तल आदि इकट्ठा करती हैं। यह कार्यक्रम दस दिन तक चलता है और गणगौर की ममाति के दिन इस घड़े को फोड़कर कुएँ या तालाब में डाल देती हैं। इकट्टी की गई मिठाई या इकट्टे किये गये पैसा स मिठाई वाकर मंत्र मिल कर प्यारी है।

सभी रियासतों में विशेषकर जयपुर जोधपुर बीकानेर काटा झालावाड़ और उदयपुर आदि में गणगौर का त्यौहार बड़े धूमधाम में मनाया जाता है। गणगौर राजकीय भूजम के साथ निकलता है। बूंदी में गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता है क्योंकि बूंदी के महाराजा बुद्धसिंह के भाई जोधसिंह सन् 1706 की मर्च 6 को गणगौर का नाच में जाते समय डूब गये थे। तब से राजस्थान में यह प्रसिद्ध हो गया है कि हाडा ल डूवो गणगौर।

श्रावण की बीज का त्यौहार राजस्थान में बड़े उत्सव में मनाया जाता है। श्रावण मास में वर्षा हो जाना पर चारा और हरियाला छा जाती है। हर रंग में आच्छादित भूमि नव दूल्हन में लगती है। आकाश

1 घुड़ल के लिये कहा जाता है कि चंद्र मुनि 3 विक्रम सम्बत् 1549 (1 मर्च 1492) को अजमेर के सूबेदार मल्लूणा ने पावाडनगर को 140 लड़कियों का अपहरण कर लिया था जबकि ये गण गौर का पूना के लिये गांव के बाहर तालाब पर गयी हुई थी उस समय में लूणा के साथ निग्रह का घुड़ेनला था। जब मारवाड़ के राव सातल को यह ज्ञात हुआ तो उसने उनका पीछा कर घुड़ेनला को पोवाड़ के पास कौसाणा में मारवाला। राव सातल भी तभी मारा गया लेकिन लड़कियों का बचा लिया गया। मल्लूणा अजमेर चला गया। इस घटना को याद में अथ छेदवाला घड़ा घुड़ेनला का प्रतीक होता है और दोनक मानव का विजय दर्शाता है।

से भरती मोती सी बून्दें और पूर्वाई का मतवाला पवन सभी को मदमस्त कर देता है। प्रत्येक घर में और प्रत्येक बाग में भूले बाध दिये जाते हैं जिन पर स्त्री, पुरुष व बच्चे भूचते हैं। स्त्रियां मौनह शृ गार कर इधर-उधर बागों व खेतों में घूमती फिरती बड़ी मुन्दर लगती है। तीज के दिन सभी स्त्री-पुरुष व बालक-बालिकाये, नगर या ग्राम के बाहर तालाबों या बागों में इकट्ठे होते हैं। वहां भूलों पर भूचने की होड़ लग जाती है। लोक गीतों के गाने की भी उम दिन बहार रहती है।

चैत्र मास में ऋतु परिवर्तन-मर्दी समाप्त होकर शीत ऋतु आरम्भ होने पर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन होने से मनुष्य के शरीर में रक्त बदल जाता है और इसमें चेचक की विमारी फैलने की आशंका हो जाती है। ऐसे समय पर ठण्डा भोजन खाना आवश्यक हो जाता है। इस कारण शीतल मत्स्यी को मीतला माता का पूजन किया जाता है। यह त्यौहार चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग एक दिन पहले पकाया हुआ ठण्डा खाना खाते हैं। मीतला माता की मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। मूर्ति को धो, दूध व दही में नहलाया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि मीतला के प्रकोप से बच्चों आदि को दूर रखे।

बैशाख शुक्ल तृतीया को आखातीज (अक्षय तृतीया) का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नई फसल का स्वागत किया जाता है क्योंकि तब तक फसल का नया धान आ जाता है। सभी लोग बड़े उत्साह से यह त्यौहार मनाते हैं। गांव गांव में मैले लगते हैं और मिठाईया बटती हैं। घरों में नये धान का खीर, गुड आदि के माथ खाते हैं। इस दिन गुड, अफीम आदि से मनुहार की जाती है। काष्ठकारों के घरों में ज्यादातर विवाह भी इसी दिन होने है। इसी दिन अगले वर्ष के लिये सकुन भी लिये जाते हैं।

रक्षा बन्धन, विजया दशमी व दीपावली के त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाये जाते हैं। विजया दशमी पर रावण व उसके परिवार के पूतले सरकार की ओर से बगवाये जाते हैं। महाराजा की तब सवारी निकलती है और शाम के समय रावण और उसके परिवार के पुतलों को आतिश-बाजी के साथ जला दिया जाता है।

मुसलमानों के मुख्य त्यौहार ईद, शब्वेरात, मुहर्रम है। मुहर्रम पर कागज व बास का ताबूत बनाकर टोल-टुमाकों के साथ शहरों में निकालते हैं और बाद में इन ताबूतों को कब्रला में दफना देते हैं।

### स्त्रियों की दशा

राजस्थान में बालिकाओं का जन्म अच्छा, शुभ व सुखद नहीं समझा जाता है। कहा भी है—

पैडो भनों न कोस को, बेट्टी भनी न एक ।  
देगो भलो न वाप को, माहिव गम्बे टेक ॥

अर्थात्— पैदल चलना तो एक काम का भी अच्छा नहीं है और एक कन्या का होना भी ठीक नहीं है। कर्जा अपने वाप का किया भी बना नहीं है। ईश्वर इन बातों से बचा कर हमारी इज्जत रखे।

इसी कारण हिन्दुओं और विशेषकर निर्धन राजपूतों में बाल हत्या का ज्यादा ही प्रचार रहा है। अब तो कानून में बाल हत्या बन्द कर दी गई है फिर भी लुके छिपे बालिकाओं की हत्या गला घोटकर या अफीम पिलाकर कर दी जाती है। यदि लडका पैदा होता है तो घर में प्रसन्नता की लहर फैल जाती है और जोर जोर से थाली या ढोल बजाया जाता है और मन्देशवाहक को पुरस्कार दिया जाता है।

सामान्यतः गर्भवती स्त्री को कई प्रकार के क्रियाक्रम करने पड़ते हैं। इन क्रियाक्रमों को करने के लिये किसी ब्राह्मण व पण्डित की आवश्यकता नहीं रहती है। परिवार की स्त्रियाँ ही यह सम्कार करा देती हैं। पहला जापा सामान्यतः स्त्री के पीहर में होता है। जापा दाई करती है जो ज्यादातर अनपढ़ तथा अप्रशिक्षित होती है। इस कारण काफी मर्यादा में गर्भवती स्त्रियाँ अनायास ही काल के मुख में चली जाती हैं।

जच्चा को कम से कम सात दिन तक अलग कमरे में रखा जाता है तथा उसे वही खाना दिया जाता है। उसके कपड़े भी अलग रखे जाते हैं। जच्चा के कमरे में भूत-प्रेत न आ सके इसके लिये वहाँ पानी व लोहे की वस्तु रखी जाती है। जच्चा को घर की कोई वस्तु छूने नहीं दी जाती है क्योंकि वह तब तक अस्वच्छ मानी जाती है। बाईस दिन बाद जच्चा को स्नान कराया जाता है और सूर्य का पूजन किया जाता है। तब से वह स्वच्छ मानली

जाती है, और इसके बाद वह घर के कामकाज कर सकती है तथा घर में घूम फिर सकती है। जब बच्चा लगभग सात माह का हो जाता है तब उसे अन्न खिलाया जाता है।

लड़कियों का विवाह बहुत कम उमर में, यहाँ तक कि पैदा होते ही कर दिया जाता है। बालक बालिकाओं को याद ही नहीं रहता है कि उनका विवाह कब कैसे व किसके साथ हुआ है। उनके लिये अपनी मर्जी का पति या पत्नि चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस कारण सामान्यतः लोगों के वैवाहिक सम्बन्ध मधुर नहीं रहते हैं। छोटी उमर में ही विवाह हो जाने के कारण लड़कियाँ जल्दी ही गभवती हो जाती हैं और इस कारण अपना स्वास्थ्य खो बैठती हैं। कुछ जातियाँ म. बहु-विवाह का ज्यादा ही प्रचार हैं। राजा महाराजाओं में व सामन्तों में वैवाहिक स्त्रियों के अलावा उप-पत्नियों, पासवानों आदि को रखन का शौक ज्यादा है। यह उपत्नियाँ व पासवानें विभिन्न जातियों की होती हैं। दरागना, गालियों आदि को जो उनके विवाह पर दहेज में आती हैं, अपना कामचलाना शान्त करने को उपभोग करना तो उनके लिये मामूली बात है। पिछड़ी जातियों में पुनर्विवाह होता है लेकिन तथाकथित उच्च जातियों में पुनर्विवाह को प्रथा न होने के कारण उनमें विधवाओं की संख्या ज्यादा ही है। उच्च जातियों में तलाक़ को प्रथा भी नहीं है। मुसलमानों में तलाक़ को प्रथा है लेकिन स्त्रियों को इसकी सुविधा नहीं है।

स्त्रियों में पर्दा प्रथा का ज्यादा प्रचलन है। हिन्दू स्त्रियों से ज्यादा मुस्लिम स्त्रियों में पर्दा सख्ती से रखा जाता है। वे बुरखा पहनकर ही बाहर निकल सकती हैं। हिन्दुओं में उच्च वर्गों के लोग म. पर्दा ज्यादा हैं। ये पर्दों के बिना बाहर निकलने ही नहीं हैं। जा. भा. व्यक्ति कुछ अच्छे आहूदों पर हो जाता है या कुछ धनवान हो जाता है तो अपनी इज्जत बतलाने को अपनी स्त्रियों का पर्दा मन्स कर लेता है। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा के कारण कम ही स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। जो कुछ शिक्षा प्राप्त करती हैं, वे ज्यादातर धनी व स.कारी कर्मचारियों की पुत्रियाँ ही होती हैं व प्राथमिक पाठशालाओं व चटशालाओं या मकतबों में ही लड़कों के साथ पढ़कर ही प्राप्त करती हैं। ज्यादा उमर होते ही उन्हें घर के कामकाज में लगा दिया जाता है। इस प्रकार जल्दी उमर में ही पर्दों में रहने के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। शहर के गरीब वर्ग तथा गावों में किसान व गरीब महिलाओं में पर्दा नाम मात्र का होता है। ये मजदूरी व खेतों में काम बिना पर्दा के करती रहती हैं।

स्त्रियो को अच्छे कपडे व गहने पहनने का ज्यादा ही शौक है। पहनावा उनकी आयु, सामाजिक स्थिति, तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊँचे वर्गों की स्त्रियां महंगे व अच्छे कपडे पहनती हैं लेकिन गरीब वर्ग की स्त्रियां सादे कपडे ही पहनती हैं। औरतो का मुख्य पहनावा— लहंगा या घाघरा, चोली, दुपट्टा या ओढनी होता है। मुस्लिम स्त्रियो का भी लगभग यही पहनावा है लेकिन वे दुरका पहन कर बाहर निकलती हैं। हिन्दू स्त्रियां घू घट निकाल कर बाहर निकलती हैं। सौन्दर्य प्रसाधनों का भी काफी प्रचलन है। हाथो व पैरो में मेहदी लगाने व दाता को मिस्सी से रंगने का स्त्रियो को विशेष शौक होता है। हिन्दू स्त्रियां सिर के बालो के बीच माग में सिन्दुर भरती हैं लेकिन मुस्लिम स्त्रियां ऐसा नहीं करती हैं। हिन्दू स्त्रियां मस्तिष्क पर बिन्दी भी लगाती हैं। सिर में पैर तक विभिन्न प्रकार के गहने पहनने का सभी वर्गों की स्त्रियो को शौक है। ये गहने मोने, चान्दी व पीतल के होते हैं। हिन्दू स्त्रियो में बाह्य में चूडा पहनने का विशेष ग्वाज है।

हिन्दू विधवाओं की हालत बड़ी खराब होती है। उनका समाज में कोई आदर नहीं करता है। तथाकथित उच्च वर्गों के हिन्दुओं में विधवा के पुनर्विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यह प्रथा मध्यकाल में प्रारम्भ हुई। अन्यथा प्राचीनकाल में विधवा का पुनर्विवाह होता था। मनु स्मृति द्वारा ही विधवा विवाह पर रोक लगायी गई लेकिन उमम भी यह लिखा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। मध्यकाल में लोग रूढ़ीवादी हो गये और विधवा विवाह को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। परिवार के लिये यह अपमानजनक था कि विधवा पुनर्विवाह करे। इनके विपरित यदि विधवा मृतक पति के माय मती हो जाती थी तो इसमें अपना बड़ी इज्जत समझते थे। इस कारण मध्यकाल में जबरदस्ती विधवाओं को पति के शव के साथ जलाया जाने लगा। पिछली शताब्दी में ही कानून द्वारा मती की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। जो विधवा को घर में बड़ा अपमानजनक परिस्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है। घर में किसी भी जन्म, विवाह आदि शुभ कार्यों पर उसकी उपस्थिति अच्छी नहीं समझी जाती है। इस कारण वह उनमें भाग नहीं ले सकती है। उसको गहने पहने या श्रृंगार करने की मनाही होती है। उसे बाने या सफेद कपडे पहनने पड़ते हैं व तेल तक नहीं लगा सकती है और वह खाट पर सोती नहीं सकती है। इन कारणों से

विधवायें या तो शीघ्र अस्वस्थ होकर ससार छोड़ देती हैं या घर से भाग जाती हैं। मुस्लिम विधवा की इतनी खराब दशा नहीं होती है। वह पुनर्विवाह कर सकती है लेकिन पति की मृत्यु से कम से कम सवा चार महिना बाद।

इस प्रकार राजस्थान में स्त्रियों की स्थिति, भारत की अन्य प्रांतों की भांति अच्छी नहीं है। उनकी हालत को सुधारने की काफी आवश्यकता है।

### अन्धविश्वास एवम् जादू टोने

प्रकृति के प्रकोपों व देवी घटनाओं का देखकर लोग का विश्वास होने लगा कि किसी अद्भूत शक्ति का इनके पीछे हाथ है। इस कारण उमस बचने के लिये वे ऐसी दुर्घटनायें न होने दें के लिये उन दैविक शक्तियों का प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे और इस प्रकार लोग का धर्म-धर्म में ध्यान जाने लगा। सामान्यतः चमत्कार व धर्म एक दूसरे में मिले हुए हैं। लोगो का दोनों में विश्वास प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ऋग्वेद व अथर्ववेद में कई मंत्र इनके विषय में मिलते हैं। शिव, भैरव, भवानी, ककाली, हनुमान, पाव, तेजा, गोगा, गणदेव आदि जादू टोने के लिये माने हुए देवता हैं। इनकी पूजा के विशेष दिन हैं। यथा शनिवार रविवार, अमावस्या, सप्तमी आदि। गावों में जादू टोना करने वाली जातियां, भीत मीणा, कराड़, गूजर आदि हैं। इनको भोपा कहा जाता है। ये लोग इन देवी-देवताओं व लोक देवताओं व पुजारी हात हैं और मन्त्राच्चारण व देवी देवताओं आदि का प्रसन्न करने हैं। इन देवी-देवताओं व भाग्य का भूत प्रेतों, चूड़ेना आदि को नियंत्रण में रखने व जादू टोना करने में प्रवीण माना जाता है। देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिये भोपे आग लगाकर व दीपक जलाकर ज्योत करते हैं। लोग कुछ धान देवी देवताओं के सामने रखते हैं और उनकी यश-नाथाय गाते हैं व ढोल, भांभा आदि बजाते हैं। तब ही सम्बन्धित व्यक्ति का सक्कट दूर करने की प्रार्थना की जाती है। भोपा के अलावा नाथ भी जादू टोना करते हैं। ये लोग उपवास कर तथा नवरात्रों में पूजा पाठ कर यह विद्या ग्रहण करते हैं। कुछ शमसान भूमि में जाकर शमसिद्धी प्राप्त करते हैं। नाथ अपने ईष्ट देवता को प्रसन्न कर सिद्धी प्राप्त करते हैं। भोपे विमारियों व सक्कट के दूर करते हैं लेकिन नाथ मरण व उच्चटन मंत्रों में प्रवीण होते हैं। जोगनिया भी भूत-प्रेतों को दूर करती है। वे भवानी के लाल कपड़े पहन गाव में फिरती रहती है।

जादू टोने दो प्रकार के होते हैं — (1) रक्षात्मक व (2) आक्रमक रक्षात्मक जादू में लोगों की विमारिया, (हिस्टीरिया, मलेरिया, सिरदर आदि) दूर की जाती है। साँप, बिच्छु आदि के काटे व्यक्ति को ठीक किया जाता है। किसी के सकट व कष्ट को दूर किया जाता है आदि आदि आक्रमक जादू में शत्रु का नाश, बीमारो, आफत, अकाल लाकर या अप्राकृतिक मृत्यु लाकर किया जाता है।

रक्षात्मक जादू-टोने— बीमारियों को दूर करने के लिये भोपा नीम की डाली या मोर पत्र लेकर बीमार के सिरपर घूमाकर भूतप्रेत को भगाने हेतु मंत्र बोलता है व आग में मिरचे आदि भी डालता है और उस व्यक्ति के सामने फेंकता है। कोई कोई देवी-देवता का डोरा भी बीमार के हाथ पर बांधते हैं, ताकि बीमारी दूर हो जावे। मंत्र हुआ पानी पिला कर या पान आदि खिला कर भी बीमारी दूर की जाती है।

व्यापारी लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिये दीपावली, होली आदि पर पूजा पाठ करते हैं और दवात-कलम व बहियों की पूजा कर उनपर स्वस्तिक का चिन्ह लगाते हैं और बहियों पर 'शुभ-लाभ' लिखते हैं। वे लोग प्रतिदिन दूकान पर जाने के पहले शकुन लेते हैं। जब तक शकुन अच्छे नहीं होने हैं वे घर से रवाना नहीं होते हैं। इसी प्रकार यात्रा आदि पर जाने के पहले भी शकुन लेते हैं। कुछ विशेष दिनों पर ही यात्रा व व्यवहार किये जाते हैं।

वाण्टवार अच्छी फसल लेने के लिये शकुन लेते हैं। इसके लिये ज्वार आदि को हल्दी से रंग कर मकान के बाहर लगाया जाता है। आगामी वर्ष में भी अच्छी फसल हो इसके लिये मातर-माता की पूजा की जाती है। टिड्डी दल को भगाने के लिये नाथ लोग भैरव या हनुमान की पूजा कर मंत्र बोलते हैं।

नजर लगाना भी राजस्थान में बहुत माना जाता है। इस कारण मुन्दर पत्तों के काली टिप्पों, गाल या मस्तिष्क पर लगायी जाती है। दूल्हा व दुल्हन को जल्दी ही नजर लगाने का भ्रम लोगों को रहता है। इस कारण दुल्हन के दृष्टि में निम्बु और दूल्हे के कमर में तलवार या बटार बांधी जाती है। इसी प्रकार दूल्हे व दुल्हन को कलाई में कारग-डोरा बांधा जाता है। नया मकान बनाने या नया गहना पहनने पर भी कोई न कोई काली वस्तु या डोरा लगाया जाता है। ताकि किसी की नजर न लगे।



आक्रमक जादू टोने— कुछ व्यक्ति अपने शत्रु से बदला लेने के लिये उस पर आक्रमक जादू टोने कराते हैं। इसके लिये भोपे मारण मन्त्र का प्रयोग करते हैं। शत्रु के किसी कपड़े या उसके द्वाग प्रयोग की जाने वाली वस्तु पर मन्त्र बोल कर उस द दो जाती है। ताकि शत्रु ना अनिष्ट हो जावे। इसी प्रकार शत्रु पर मूठ भी फनन के लिये चना का प्रयोग किया जाता है। मात या इक्कोम चना पर मन्त्र बोल कर शत्रु की ओर फके जाते हैं और इससे शत्रु समाप्त हो जाने तक की आशा की जाती है। इसी प्रकार शत्रु का आटे या मिट्टी का पुतला बनाकर व उस पर मारण मन्त्र बोलकर पुतल के अंग को तोड़ा मरोड़ा जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऐसा करने से शत्रु को काफी बुरा होता है और वह मर सकता है। इस कायवाही से यह भी अनुमान किया जाता है कि यदि पुतलो पर मन्त्र करने वाला व्यक्ति कोई गलती कर देता है तो उस व्यक्ति पर उल्टा असर भी हो सकता है।

कई व्यापारी धान महगा करने के लिये अकाल की स्थिति पैदा कर देने का प्रयत्न करते हैं। इस कारण वर्षा नही होना देने के लिये घडा का पानी से भरकर जमीन में गाड़ देते हैं। यह घड़े लाल कण्डे में ढके रहते हैं। घडा पर प्रतिदिन मन्त्र पढ़े जाते हैं। यह अनुमान किया जाता है कि इससे वर्षा रुक जावगी और धान महगा बिकवा।

कई पुरुष और स्त्रिया किसी अन्य स्त्री या पुरुष को बश में करने के लिये बशीकरण मन्त्र का प्रयोग करते हैं। बशीकरण मन्त्र पान आदि पर पढ़कर बश में किये जानेवाले व्यक्ति को बिन दिया जाता है। इसमें पान खानेवाला पुरुष या स्त्री उस पुरुष या स्त्री का अंग आर्पित हो जाती है। इसी प्रकार दो प्रमिया या मित्रा के बीच भेद लाने को मन्त्र पढ़े जाते हैं।

भोपे भाव में आकर भी लोग क सक्रम दूर करते हैं। भाव में आने के लिये भोपे देवता को सम्मुख दीपक जला कर ज्योत करते हैं। देवता की मूर्ति पर सिंहा दुर लगाया जाता है और ज्योत को तज किया जाता है। डोल व झुंझा जोर जोर से बजाया जाता है। भावा मूर्ति के सामने नाचता है व अपना शरीर हिलाने लगता है। तत्र लोग उससे अपने सबकुछ का दूर करने के उपाय पूछते हैं और वह भाव में ही उत्तर देता रहता है। भाव में पूछने पर वह भविष्य में होने वाली वर्षा फसल बिमारियो आदि के बारे में भी बतलाता है। यह भाव लगभग एक घण्टे तक रहता है। बाद में वह सामान्य स्थिति में आ जाता है।

कुछ लोग साँप व बिच्छु के विष को दूर करते हैं। इन लोगो को तेजा का इष्ट होता है। तेजा के थान प्रत्येक ग्राम मे मिलते हैं जहा भादवा शुक्ला पचमी को पूजा की जाती है। जब कभी किसी को विषघर काट लेता है तो तेजा के नाम का डोरा बान्धा जाता है और ज्योत जलाई जाती है। ढोल बजाकर लोगो को उत्तेजित किया जाता है और सब नाचने लगते हैं। साँप के जहर को चूसा भी जाता है। इससे बीमार अच्छा हो जाता है।

गाव मे डाकनियो से भी बहुत डरा जाता है। किसी भी बद्सूरत बूढी औरत को डाकन समझ लिया जाता है। लोगो का अनुमान है कि डाकनिया बच्चो को खा जाती है और कमजोर स्त्रियो के बीमारी लगा देती है। यह भी माना जाता है कि वे श्मसान भूमि मे रहती हैं और वहा छोटे बच्चो को लाशो को भूमि से निकाल कर उन्हे खा जाती है। रात को श्मसान भूमि मे ये डाकनिया नाचती, गाती फिरती है। पिछली शताब्दी तक इन तथाकथित डाकनियो को मारडाला जाता था या जला दिया जाता था। अब कानून से उन्हे मारना या जलाना बन्द कर दिया गया है फिर भी लोग डाकनियो मे विश्वास करते हैं और बतलाते हैं कि वे लोगो का अनिष्ट करती फिरती हैं।

भूत, भूतनियो, जिनो आदि मे लोग भी विश्वास करते हैं। उनके लिये कहा जाता है कि वे एकान्त स्थानो खण्डहरो, पुरानी खेजडियो आदि पर रहती हैं और जब कभी किसी व्यक्ति को, विशेष कर बच्चो औरतो व कमजोर पुरुषो के लग जाते हैं तो उसे नाना प्रकार से कष्ट देते हैं और यहा तक कि पागल कर देते हैं। इनको भी भगाने हेतु भोपे भाडे भपटे करते हैं।

इस प्रकार राजस्थान की अशिक्षित जनता बिना किसी तर्क के जादू टोनी मे विश्वास करती है और भोपो, नाथो, जोगनियो आदि के चक्कर मे फसी रहती है। ज्यादातर मामलो मे मकट या विमारा टलती नहीं है लेकिन इसके लिये ये चमत्कारी लोग अनेक कारण बतला देते हैं। इस प्रकार अन्धविश्वास चलता रहता है और जादू टोना करने वाले उनके कारण गुलछरें उडाते रहते हैं।

## पेशे

राजस्थान में सन् 1931 की जनसंख्या के अनुसार 38,54,111 पुरुष तथा 20,81,152 स्त्रिये काम करने वाली तथा काम पर निर्भर है। इनका व्यौरा इस प्रकार है—

धन्धा	काम करने वालों की संख्या
1. कृषि एवं पशु पालन	42,57,801
2. खनिज कार्य	7,980
3. उद्योग	6,81,198
4. परिवहन	51,104
5. व्यापार	2,97,785
6. जनवल	56,045
7. प्रशासन	65,167
8. जन-उपयोगी धन्धे	1,54,609
9. अपनी आमदनी पर निर्भर	5,771
10. घरेलू कार्य	86,786
11. अवरिणत	1,84,638
12. अनुत्पादित	76,379

खनिजकार्य में सबसे ज्यादा लोग धोलपुर, कोटा व मारवाड के हैं। इन राज्यों में मुख्य काम पत्थरों की खान का है। मारवाड में नमक उद्योग में भी काफी लोग काम करते हैं।

कपड़ा उद्योग पर 1,63,443 चमड़ा उद्योगों पर 31,418 लवड़ी, मिट्टी के वर्तन बनाने, कपड़े व प्रसाधन उद्योग व भवन निर्माण सम्बन्धी उद्योगों पर क्रमशः 39,418 व 58,448 व 65,793 व 1,59,267, 53,190 लोग काम करते हैं।

परिवहन के कार्य में कुल 51,104 व्यक्ति लगे हुए हैं। जिनमें से रेलवे सेवा में 27,218 है। सड़क परिवहन में 27,218 व्यक्ति काम करते हैं।

व्यापार में 2,97,785 व्यक्ति लगे हुए हैं। जो व्यापार व उद्योग एक दूसरे के आश्रित हैं। यदि एक व्यक्ति चमड़े के उद्योग में लगा हुआ है तो वह उसको बेचता भी है। इस प्रकार वही व्यक्ति व्यापार भी करता है। जो

लेन देन का काम 35,329 कपडे का व्यापार, 16,325 चमडे का व्यापार, 3,154 तथा लकडी का व्यापार 1604 व्यक्ति करते है। धान के व्यापार में 1,46,893 व्यक्ति लगे हुए है। ईंधन का व्यापार 23,910 व्यक्ति करते है।

मार्बजनिक प्रशासन-मे कुल 6,65 167 व्यक्ति लगे है। सेना मे 28,440 व पुलिस दल मे 27 605 व्यक्ति है। जन उपयोगी धन्धों मे से धार्मिक कार्यों मे 1,06,297, वकालत मे 2 140 स्वास्थ्य सेवाओं मे 8,333 तथा शिक्षा मे 6,318 व्यक्ति लगे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं मे दाईयों की संख्या 4,677 भी सम्मिलित है। घरेलू सेवाओं मे 86,786 व्यक्ति लगे हुए है।

सन् 1931 मे राजस्थान मे पढे लिखो (मेट्रिक पास) मे केवल 128 बेकार थे लेकिन यह संख्या बराबर बढ़ती ही जा रही है। इस कारण पढे-लिखो मे अमनोप फैलना जा रहा है।

## उद्योग

राजस्थान उद्योग के क्षेत्र मे काफी पिछडा हुआ है। पानी बिजली, यातायात आदि की कमी के कारण यहाँ उद्योग कम ही खुल पाये है। आर्थिक साधनों की कमी तथा शासकीय की उद्योगो मे रुचि की कमी भी यहाँ उद्योगिको को आकर्षित नहीं कर सकी है। राजस्थान मे केवल व्यावर मे ही सूती मिले है।<sup>1</sup> सिमेन्ट के लिये यहाँ केवल एक कारखाना लाखेरी (बुन्दी) मे है।<sup>2</sup> नमक साभर, डीडवाना व पंचपदरा मे बनता है। केवल राजस्थान की ही भौलो मे नमक बनता है।<sup>3</sup> जयपुर मे बिडला बन्धुओं ने वालवेरिंग का कारखाना लगाया है। राजस्थान मे अभी उद्योगो की काफी कमी है। यहाँ के कृषि पदार्थो, खनिज पदार्थो आदि मे कई

1. राजस्थान मे अब ब्यावर के अलावा पाली भोलवाडा, किशनगड विजय नगर (अजमेर), जयपुर, गगानगर, भवानोमडी कोटा व उदयपुर मे सूती मिलें हैं। सबसे बडी मिल पाली की उम्मेद मिल हैं। सभी मिलों मे लगभग सात करोड मोटर कपडा तैयार होता है।

2. अभी सिमेन्ट के कारखाने लाखेरी के अलावा सवाई माधोपुर, चित्तौड व उदयपुर मे हैं। इनमे लगभग 14 लाख टन सिमेन्ट प्रति वर्ष तैयार होती है।

3 भारत के कुल नमक उत्पादन का 10 प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है। यहाँ लगभग 5 लाख टन नमक का उत्पादन होता है।

उद्योग चालू हो सकते हैं। इनके लिये न केवल धन, तकनीकी शिक्षा वल्कि नरेशों द्वारा सहायता दी जानी आवश्यक है।'

राजस्थान में कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, रसायनो, खाद्यान्नो, भवन निर्माण सामग्रो आदि पर आधारित उद्योगो के पनपने की काफी गुंजाईश है। अभी जो भी उद्योग यहाँ हैं वे धरेलू उद्योग या लघु उद्योग कहे जा सकते हैं। ये उद्योग ज्यादातर जातिवार हैं यथा, बनाई व कोली आदि कपड़ा उद्योग में, गडरिया, जोमी, खटोक, जटिया आदि धकरी या ऊँट के वालो के थैले, रस्सिये आदि के उद्योग में, डवगर ऊँट के चमड़े के कूपे बनाने के उद्योग में। पिछले कुछ वर्षों से स्वदेशी कपड़े बनाने की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। इसका कारण किमी सीमा तक अंग्रेजी प्रान्तों में स्वदेशी आन्दोलन का चलना है। खादी केन्द्र बड़े बड़े नगरो एवम् कस्बो में खुलने लगे हैं। यो जोधपुर के प्रधान मन्त्रो सर प्रतापसिंह तथा बीकानेर नरेश महाराजा भगवत्सिंह ने भी स्वदेशी कपड़ो की काफी प्रोत्साहन दिया है। फिर भी मिलो का कपड़ा मस्ता व टिक ऊ होने के कारण ज्यादा पहना जाता है। जब तक करघो की मुधारा नही जावेगा, खादी के कपड़ो का लोकप्रिय होना कठिन है।

### व्यापार

भारत के बड़े बड़े व्यापारिक केन्द्रो— बम्बई, बलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद आदि पर राजस्थानी व्यापारी बहुतायत से मिलते हैं। ये व्यापारी राजस्थान में ही बाहर गये हैं। उनके यहाँ से जाने का मुख्य कारण यहाँ व्यापार की कमी तथा आवश्यक सुविधाये नही मिलना है। यहाँ प्रत्येक नगर, कस्बे व गाव में लोगो की आवश्यकतानुसार वस्तुएं मिल जाती है। प्रत्येक नगर व कस्बे में व्यापारियो के लिये अलग अलग बाजार है। जो वहाँ की जनसंख्या के अनुसार छोटा व बड़ा होता है। कई गावो (लगभग 200) में निश्चित दिनों पर हाट लगते हैं जिनमें प्रति हाट

1 राजस्थान में चीनी के तीन कारखाने भोपाल सागर (बित्तोडगढ जिला), गगानगर व केशोरामपाटन (झूँदी) में हैं। इनसे प्रतिवर्ष 18 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। इनके अलावा तावे व एल्यूमिनियम के तार, बिजली के मीटर बनाने, धनस्वति घी तैयार करने, ऊनी कपड़ा तैयार करने हड्डो घोलने, रेल के घेपन बनाने, जिक, सीता व ताँबा तैयार करने, पिसाई के यंत्र बनाने, तेल निकालने के कारखाने भी खुल गये हैं। कोटा में तो पचासों कारखाने खुल गये हैं और वह अब "राजस्थान का कानपुर" बन गया है।

श्रीसतन 60 दुकाने लगती है। उस दिन उस गाव या आस पास के गावों के लोग अपनी अपनी आवश्यकता का सामान खरीद ले जाते हैं। उस हाट में कपड़ा, खाद्य पदार्थ, साग व सब्जी, बर्तन, चुड़िया आदि वस्तुएँ मिलती हैं। इन हाटों को लगाने वाले राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त ठेकेदार होते हैं जो राज्य का निर्धारित रकम देकर मनमाने ढंग से किराया हाट में आने वाले व्यापारियों में वसूल करते हैं।

राजस्थान में कई पशु मेले भरते हैं जिसमें हजारों पशु विकते हैं। इस कारण पशु पालन पर लोग बहुत ध्यान देते हैं। पशु खरीदने के लिये व्यापारी काफी माना में आस पास के राज्यों व प्रान्तों से आते हैं।

1 राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का 75 प्रतिशत भाग पाया जाता है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में ही पशुधन ज्यादा है। भेड़ों व बकरियों का प्रतिशत क्रमशः 21 व 16 है।

राजस्थान की निम्न पशुधनों की नस्ले भारत भर में प्रसिद्ध हैं—

- (1) गावें - मालानी साघौर व मालवी
- (2) भैंस - मुरा
- (3) बैल - नागीरी
- (4) ऊट - जसलमेरी
- (5) घोड़ा - मालानी
- (6) बकरी - बाडमेरी
- (7) भैंड - नाली, मगरा चौकला ( शंखावटी ) मारवाड़ी, जसलमेरी मालपुरा सोनाडी, पूगल व बागडी

ऊटों के लिये राजस्थान का एक धिन्धार है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पशु ऊट है जो सवारी, समान ढोना, पानी खींचना खेत ज़ातन आदि के काम आता है। ऊट के बालों के नमदों व रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ऊट एक घण्टे में 8 मील तक जा सकता है। ऊट सेना में भी काम आते हैं। बीकानेर का गंगा रसाला भारत भर में प्रसिद्ध है।

भेड़ों की ऊन भारत भर में प्रसिद्ध है। वनमग तीन करोड़ पीण्ड ऊन प्रति वर्ष बेची जाती है। ऊन की प्रमुख मंडियाँ दयावर पाली, बीकानेर व कंकडी हैं। राजस्थान में लगभग दो करोड़ पीण्ड ऊन निर्यात की जाती है। लगभग 15 लाख भेड़ें मास के लिये भी निर्यात की जाती हैं। भेड़ों व ऊन से राजस्थान लगभग 7 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं।

व्यापारियों को यहाँ सबसे ज्यादा असुविधा निर्यात या आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाली जकात है । प्रत्येक राज्य द्वारा अलग अलग दरों से यह वसूल की जाती है । यहाँ के लोगों का राजस्थान से बाहर जाकर उद्योग लगाने व व्यापार करने का यही मुख्य कारण है ।

राजस्थान के आर्थिक दृष्टी से सम्पन्न लोग महाराजा, सामन्त व कुछ व्यापारी हैं । ये व्यापारियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं लेकिन इनका ज्यादा धन अंग्रेजी प्रान्तों के नगरों में विलास को वस्तुएँ खरीदने में ही लग जाता है । उद्योग में भी ये लोग धन लगाते हैं तो वह भी अंग्रेजी प्रान्तों में ही । अतः यहाँ के उद्योग व व्यापार पनप नहीं रहे हैं । पढ़े लिखे में भी इसी कारण बेकारी फैलती जा रही है । इनका असतोष कहा ले जावेगा, यह विचारणीय है ।

### परिवहन

प्रत्येक राज्य की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ आवागमन के साधन अच्छे हों । इससे वहाँ के लोगों का सामाजिक व आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है लेकिन राजस्थान में आवागमन के साधनों की बड़ी कमी है । आवागमन के मुख्य साधन हैं - रेल व मड़क ।

राजस्थान में दो प्रकार की— बड़ी और छोटी रेल की पटरियाँ हैं । बड़े नाम की लाईनों में वी० वी० एण्ड मी० आई० और जी० आई० पी० रेलवे हैं जो अंग्रेज सरकार की छत्रछाया में गोरे व्यापारियों द्वारा बनाई जाती हैं । बाँम्बे, बड़ोदा एण्ड सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे की बड़ी लाइन रतनाम में होकर दिल्ली को गई है । ग्रैंट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे की एक शाखा भ्वालियर से धौलपुर जाती हुई आगरा को गई है । जैमलमेर, बाँमवाडा व डूंगरपुर में कोई रेल मार्ग नहीं है ।

वी० वी० एण्ड मी० आई० रेलवे की एक छोटी लाइन आबू के पास राजस्थान में प्रवेश कर अजमेर, जयपुर, बाँदीकुई, अलवर होती हुई दिल्ली गई है । ऐसे ही अजमेर में एक शाखा चित्तौडगढ़ होती हुई रतनाम (मालवा) की ओर गई है । इसी प्रकार कई छोटी लाईनें राज्यों ने अपने यहाँ खोल रखी हैं जिनमें जोधपुर रेलवे, बीकानेर रेलवे, जयपुर रेलवे, उदयपुर रेलवे और धौलपुर रेलवे हैं । राजस्थान में रेलवे की कुल लम्बाई 2 995 मील है । जोधपुर रेलवे का एक तिहाई भाग सिंध में है ।

इन रेलों का यह प्रभाव पड़ा है कि पुराने जमाने में अकाल पड़ते थे, उनका भयकर स्वरूप अब देखने में नहीं आता है। अब अकाल होने पर भी दस्तुओं की कीमत बराबर रहती है और एक स्थान का माल दूसरे स्थान पर पहुँचाने में किसानों को लाभ होता है। व्यापार भी इनके कारण काफी ज्यादा होने लगा है लेकिन राजस्थान प्रांत का क्षेत्रफल देखते रेल लाईनें बहुत ही कम हैं।'

राजस्थान में सड़कों की भी बड़ी कमी है। ज्यादातर सड़कें रेल्वे के समानान्तर बनी हैं। सड़कों में मुख्य ग्रांड ट्रंक रोड है जो दिल्ली से चलकर अलवर, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, जोधपुर, सिरोही होती हुई अहमदाबाद तक गई है। दूसरी सड़क अजमेर से नीमच छावनी गई है। इसी प्रकार मसीराबाद से देवली को पक्की सड़क गई है। आबूरोड (खराडी) से आबू (माउण्ट आबू) को भी पक्की सड़क बनी है। पक्की सड़कें जयपुर में 485, भरतपुर में 112, कोटा में 260, उदयपुर में 135, अलवर में 170 और जोधपुर में 300 मील हैं। इनके सिवाय प्रत्येक रियासत में कच्ची सड़कें भी हैं। सामान्यतः सड़कें रियासतों की राजधानियों के ग्राम

1 राजस्थान के निर्माण के बाद सभी रेल मार्ग भारत सरकार के नियंत्रण में चले गये हैं और इस कारण रेल मार्गों का नाम भी बदल गया है। अब जोधपुर व बीकानेर राज्यों के रेल मार्ग उत्तर रेल्वे, जयपुर व उदयपुर के रेल मार्ग पश्चिमी रेल्वे में बिलीन हो गये हैं। उत्तर रेल्वे की कुल लम्बाई 328.5 किलो मीटर है जो मूलपूर्व जोधपुर व बीकानेर राज्यों के जिलों में होकर जाती है। पश्चिमी रेल्वे की लम्बाई 2523.5 किलो मीटर हैं जो जयपुर अलवर सवाई माधोपुर अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही व भरतपुर जिलों में होकर जाती है। पश्चिमी रेल्वे का 272 किलो मीटर ब्रॉडगेज रेल मार्ग भरतपुर, सवाई माधोपुर व कोटा जिलों में होकर निकलता है। मध्य रेल्वे की ब्रॉडगेज रेल पटरी धौलपुर व भरतपुर होकर निकलती है। इनकी लम्बाई 133.5 किलो मीटर हैं। गगानगर से हिन्दू मल कोट (पंजाब) तक 27.6 किलो मीटर लम्बा रेल मार्ग जनवरी 1971 से आरम्भ हुआ गया है। उदयपुर से अहमदाबाद डूंगरपुर होकर 185 किलो मीटर रेल मार्ग नवम्बर 1965 से आरम्भ हो गया है। पोकरण से जसलमेर रेल मार्ग 1967 से चला गया है।



पास बनी हुई हैं।<sup>1</sup> यहा तक की एक रियासत के प्रमुख नगर भी सड़कों से सम्बन्धित नहीं हैं।<sup>2</sup>

राजस्थान में डाकखाने और तारघर अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण कस्बे व शहर में खोले गये हैं। जयपुर राज्य में डाकखानों का प्रबन्ध राज्य की ओर से है। अंग्रेजी सरकार के डाकखाने राजस्थान में कुल 586 हैं।

### भूमि और पैदावार

राजस्थान का ज्यादातर भाग रेतीला है। केवल पूर्वी व दक्षिणी भाग में काली तथा उपजाऊ भूमि है। आडावला पहाड़ के पश्चिमी भागों में, सिवाय कुछ विशेष स्थानों के, एक फसल खरीफ (सियालू) की होती है। रबी (उनालू) फसल कुएँ, तालाब या नहरों की सिंचाई से होती है। इस भाग में कम से कम पानी 75 फुट गहरा खोदने पर मिलता है। इसलिये कृषि हेतु इसकी सिंचाई में लाभ नहीं हो सकता है। ज्यादातर लोग खरीफ (सियालू) फसल और वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं।<sup>3</sup>

1 राजस्थान में अब सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 3300 किलोमीटर है। अब सभी जिलों से उपजिलों व तहसीलों सड़कों से जुड़ गई है तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गावों को सड़क से जोड़ दिया गया है। अभी भी सड़कों की स्थिति पूर्ण सतोपजनक नहीं है। सड़कों को मराने की काफी आवश्यकता है।

2 शीघ्र परिवहन के लिये वायु मार्गों का होना अत्यन्त आवश्यक है। इस समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा को हवाई सेवाये उपलब्ध हैं।

3. राजस्थान के कुल क्षेत्र के केवल 39 प्रतिशत भाग पर खेती होती है। कुल बोये गये क्षेत्र में से केवल बीस प्रतिशत में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं। अल्पतया शेष 80 प्रतिशत क्षेत्र केवल वर्षा पर निर्भर है। वर्षा का औसत भासावाड़ जिले में 100 सेण्टीमीटर व जसलमेर में केवल 10 सेण्टीमीटर है। कईबार तो कई गावों में एक सेण्टीमीटर भी वर्षा नहीं होती है। अच्छी खेती के लिये सामान्यतः 3 वर्षा कुछ दिनों के अन्तर से होना आवश्यक होता है। लेकिन कईबार होता यह कि 1 या 2 बार ही वर्षा होकर रह जाती है। कईबार फसले अच्छी होती हैं तो उन्हें सूखे, पक्षी या कीड़े खा जाते हैं। इस प्रकार कारतकारों को कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं होता है कि, उनकी फसल अच्छी होगी। सभी भाग का खेल होता है। वर्षा के लिये लोग कितना तरसते हैं यह निम्न दोहे से ज्ञात होता है—

सो साडिया, सो करहला, पूत निपूनी होय ।

मेहडला बूठा भला, जे दुखियारण होय ॥

अर्थात् जिस औरत के सो ऊण्ट और सो ऊण्टनिया और सभी सन्तानें भी ज्यादा वर्षा से नष्ट हो जावे तब भी वह सब प्रकार के कष्ट उठाते हुए भी वर्षा का स्वागत ही करती है।

राजस्थान का पूर्वी भाग उपजाऊ है और पानी की बहुतायत होने से वहा काफी क्षेत्रो मे दो फसलें होती है । इस भाग मे पानी गहरा नही है । इस क्षेत्र मे नदी, नाले, तालाब व वान्ध अधिक है । दक्षिणी राजस्थान मे भीलो मे खेती करने का एक रिवाज है जिसे बालर या बल्ला कहते है । ये लोग खेती के लिये जंगल के वृक्ष व झाडियो को काटकर मैदान साफ करते है और उसकी राख का खाद बनाकर खेती करते है । यह रिवाज हानि-कारक होने से सिरोही, डू गरपुर आदि राज्यों मे बन्द कर दिया गया है ।

राजस्थान की मुख्य पैदावार गेहूँ, जौ, मक्की, ज्वार, बाजरा, मू ग, मोठ, चना, गवार, चावल, तिल, अलमी, मरसो, कपास, जीरा, हई, तम्बाकू, अफीम, गन्ना, मिर्च, मंथी और धनिया हं । सिचाई के लिहाज से जयपुर, भरतपुर, किशनगढ, अलवर, कोटा व शाहपुरा की रियासते उन्नति पर है । पूर्वी भाग मे तथा पश्चिमी भाग मे सिरोही व जोधपुर राज्य के कुछ परगनो (सिवाना, जालोर, बाली, जसवतपुरा) मे कुए बहुत है । पानी अरहट और डेकली (चोच) से सींचा जाता है ।

### सिचाई

छपने के अकाल (सन् 1899-1900) के समय यह महसूस किया गया कि सिचाई की सुविधाये होना अत्यन्त आवश्यक है । अत विभिन्न रियासतो मे आर्थिक स्थिति के अनुसार सिचाई कार्य हाथ मे लिये गये । कई राज्यों मे सिचाई के वान्ध बनाये गये व नहरें निकाली गयी । इनमे सबसे महत्वपूर्ण कार्य बीकानेर नरेश महाराजा गंगासिंह ने किया । उनके द्वारा लाई गई नहर गगानहर कहलाई । इस नहर से पूरे साल भर सिचाई होती है । जोधपुर राज्य मे सरदार समद, एडवर्ड समन्द, चौपडा बाध, सादही बाध, मेली बाध आदि तैयार किये गये । कोटा राज्य मे अटल से मागरोल तक चम्बल, बालीसिंध व पार्वती नदियो मे नहरें निगाल कर सिचाई की जाती है । अन्य राज्यों मे काफी मात्रा मे सिचाई के कुए खुद-बाये गये हैं । ऐसे राज्य है— अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बून्दी व सिरोही । ज्यादातर राज्यों ने वाश्तकारों को कुए बनाने

1. राजस्थान की 662 साल एकड कृषि योग्य भूमि मे से लगभग 375 साल एकड भूमि मे खेती होती है । अर्थात् पिछले 25 वर्षों मे 50 प्रतिशत भूमि पर कारत बढा है । लगभग 33 प्रतिशत कृषि क्षेत्र मे विभिन्न स्त्रों से सिंच ई होती है । इससे अब खाद्यान्न उत्पादन 70 साल टन हो गया है ।

हेतु ऋण दिये गये लेकिन काश्तकारो ने इन ऋणों का कम ही लाभ उठाया है। सन् 1921 ई० तक केवल 8,31,261 बीघा में ही सिंचाई होने लगी है। जागीरी क्षेत्रों में तो नाम मात्र की सिंचाई होती है। जागीरदार कुए खोदने के लिये काश्तकारो को प्रोत्साहित ही नहीं करते हैं। काश्तकारो को भी जागीरदारो पर कम विश्वास रहता है क्योंकि पता नहीं कब वे उनसे कुए छुडवा लें। आवश्यकता इस बात की है कि नदियों पर छोटे छोटे बाध बनाये जाव ताकि उनसे सिंचाई हो सके।

### मालगुजारी व भूमि के अधिकार

राजस्थान में भूमि की श्रेणियाँ— खालसा, जागीर, जूना जागीर, ईनाम, भोम, भोमीचारा, पसायता, माफी, सामण (धर्मादा) आदि हैं।<sup>1</sup> खालसा के अलावा सभी प्रकार की भूमियाँ जागीरदारों तथा के अन्तर्गत मानी जा सकती हैं। अतः मोटे रूप से भूमि को दो वर्गों में खालसा व जागीर के नाम से बाँट सकते हैं। राज्य के अधिकांश भूमि खालसा कहलाती है और जागीर की भूमि दरवार से दी हुई उन लोगों के अधिकार में होती है जिसके लिये वे मालगुजारी व लगान राज्यों को देते हैं। खालसा व जागीर की सब किस्म की जमीन पर स्वामित्व नरेश का होना है। केवल कब्जा और उसकी पैदावार को लेने का अधिकार जागीरदार को होता है। जागीर वंश परम्परा के लिये होती है और जब उस जागीर का प्राप्त करने वाले के वंश में कोई होता है तब तक जब्त नहीं होती है। किसी सगान अपराध या राजविद्रोह के अपराध में जागीरदार की जागीर जब्त की जा

1 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब नवीन राजस्थान प्रान्त का निर्माण हुआ तब राजस्थान में कुल 16,573 गाव खालसा के तथा 18,075 गाव जागीरों के थे जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 44,458 व 87,485 वर्ग बीघा था। जागीरों के कुछ गाव पूर्णतया जागीरदारों के ही कब्जे में थे लेकिन कुछ गावों का भाग ही खालसा व जागीर में था। जागीरों में विभिन्न तरहों की निम्न प्रकार की भूमियाँ भी आती थी— जागीर के अलावा इस्तमरार, चाकोटी, तनखा, सूना, मामला ईनाम लालजी खानगी, अलूना, ठोकाना, (घाघपुर में) खानवान, खिदमत जायदाद सीमा मुआकी टाकेदार, भोम, सलामी चाकराना पितरोटी राजवी, ताजीभी, भोगता, हजूरौ, सांसण, मुत्सही, हवास पातवान, रिसाला मर्जोदान पट्टा, गुजारा उदक, जूना-जागीर, भोमीचारा, पसायता बाढ़ दुम्बा, डोली, मिल्क पुग्घार्थ, धर्मादा ईजारा, इस्तमरार, बापोती व बलमोस।

सकती है। जागीरदार के मरने पर नये जागीरदार को नजराना या उत्तराधिकारी फीस (हुक्मनामा) देकर नया पट्टा कराना होता है। जागीर की मालगुजारी जागीरदार ही लेता है। वह राज्य का केवल नियत खिराज देना है।'

इनाम, माफी और सासण भूमि के धारण करने वालों को कोई कर, आदि नहीं देना पड़ता है। उनको कोई लगान भी नहीं देना होता है। पसायतादार को भूमि भोगने के एवज में राज्य या गाव की जनसेवा करनी पड़ती है।

ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पूर्व रियासतों में जागीरदारों की ज्यादा ही चलती थी। नरेश उन्हें अपनी सत्ता के स्तम्भ मानते थे और राज-काज बहुत कुछ उनके आधीन रहता था। प्रायः युद्ध के समय जागीर-

1 जागीरों में जागीरदारों के मालिकाना अधिकार नहीं होते थे। जागीरदार राज्य व काश्तकार के बीच एक मध्यस्थ होता था जो काश्तकारों से लगान वसूल करता था। राज्य जागीरदार को कुछ निश्चित रकम के एवजाने में जागीर दे देता था लेकिन वह रकम वर्षों तक बदलती नहीं थी। इसके विपरीत जागीरदार काश्तकार से मनमाना लगान वसूल करता था तथा अपने निजी काम में लेता रहता था। राज्य को दिये जाने वाले खिराज (रकम) से उस वसूलो का कोई सम्बन्ध नहीं था। जागीरदार काश्तकारों से उपज का हिस्सा लेते थे जो आधे से आठवां हिस्से तक होता था। लेकिन ज्यादातर जागीरदार आधा हिस्सा ही लेते थे। खालसा गावों में ऐसी बात नहीं थी। यहाँ सामान्यतः उपज के पाँचवें से आठवें हिस्से तक लगान लिया जाता था। काश्तकारों से इस लगान के अलावा लागवाग भी ली जाती थी। ये लागवागें इतनी थी कि काश्तकार देते देते तग आ जाया करता था। ये लागवागें न केवल जागीर के गावों में बल्कि खालसा के गावों में भी ली जाती थी। जो लोग लगान आदि नहीं देते थे उन्हें काठ में डाल दिया जाता था या और क्रूर तरीकों से परेशान किया जाता था। एक प्रकार से काश्तकारों से लाटे नहीं लिये जाकर उन्हें लूटा जाता था। काश्तकारों को जब चाह तब उनके खेतों या कुओं से बेदखल कर दिया जाता था। कई बार तो काश्तकारों को जो जागीरदार से बना कर नहीं रखते थे गाव तक छोड़ना पड़ता था।

इन अत्याचारों को देखकर ही नवीन राजस्थान प्रांत का निर्माण हो जाने पर जागीरों का पुनर्ग्रहण किया गया। लगभग 2,36,623 जागीरों का पुनर्ग्रहण कर दिया गया है। इनके अलावा जमीदारियों और बीस्वेदारियों के 4,870 गाव भी पुनर्ग्रहित किये गये। जमीदारियों एवं बीस्वेदारियों के ज्यादातर गाव (3,543) अलवर व भरतपुर जिलों में और 1,146 गाव गगानगर जिलों में थे।

दार ही उच्च सैनिक अधिकारी बनाये जाते थे। इस कारण जागीरदार बहुत ही शक्तिशाली बन गये। उन्होंने अपने प्रभाव से राजाओं को अपने हाथ की कठपुतली बना दिया। राजाओं का अंग्रेजों से मधि करने का यह भी एक कारण था। सन् 1818 ई० के बाद से जागीरदारों की महत्ता क्षीण होने लगी। सधियों के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने रियासतों की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और भीतरी उपद्रवों को शान्त करने भी सहायता देने का वचन दिया। नरेश का नि सन्तान स्वर्गवास होने पर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बौन हो, इसका निर्णय भी अंग्रेज सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। ऐसी दशा में जागीरदार का महत्व काफी कम हो गया। अस्तु इस समय जागीरदार रियासत की शोभा मात्र रह गये परन्तु व अन्न भी गाँवों में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं।'

खालसा या जागीरी भूमि में किसानों का वापी पट्ट दिये जाते हैं जिससे वे लोग जमीन पर वश परम्परागत काबिज रह सकते हैं और एक बन्दोबस्त से दूसरे बन्दोबस्त तक यानि 20 वर्ष तक बिना किसी खास कारण स्तीफा नहीं दे सकने हैं। जोधपुर राज्य में अकाल या किसी और कारण से वापीदार अपनी जमीन छोड़कर बाहर चला जाता है तो उसका अधिकार उसपर पांच वर्ष तक बना रहता है। बाद में उसके अधिकार छीन जाते हैं और जमीन राज्य की हो जाती है। यदि वापीदार पांच वर्ष के भीतर वापस आ जाता है तो उससे उन वर्षों का बकाया लगान नहीं लिया जाता है। वापी की भूमि परदेशियों, ब्राह्मणों, राजपूतों, ब्रह्मभट्टों

1] राजस्थान में जागीरदारों जमींदारों व इस्तमरारों के हट जाने के बाद गांव में उनका स्थान कुछ नये पूँजीपतियों व राजनतियों ने ले लिया है। इन्होंने गाँवों के अच्छे उपजाऊ भू खण्डों पर येन केन प्रकारेण कब्जा कर लिया है और मन माने ढंग से कारतकारों का शोषण करके मुनाफा कमाने लगे हैं। बड़े बड़े भू-खण्ड इनके कब्जे में आ गये हैं। भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों ने इन्हें कम ही प्रभावित किया है। भूमि की अधिकतम सीमा कानून लागू होने के पहले ही इन पूँजीपतियों व राजनतियों ने अपनी भूमि अपने ही सम्बन्धियों व नोकियों में इस प्रकार बाट दी कि यह कानून उनको प्रभावित ही नहीं कर सके। इस प्रकार साधारण कारतकार कम ही लाभान्वित हुए हैं। साधारण किसान आर्थिक स्थिति अच्छी न होने, सिंचाई की सुविधाएँ कम होने, मौसम पर ज्यादा निर्भर रहने तथा अशिक्षित होने से भी अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर सका है।

और चारणों को बेचने, गिरवी रखने या दे देने की मनाही है। वह किसानों को ही हस्तान्तरित कर सकता है।

इन किसानों से मालगुजारी बटाई (लटाई) या वीधोडी के रूप में वसूली की जाती है। बटाई का अर्थ है पैदावार को बाँटकर राज्य द्वारा हिस्सा लिया जाना और वीधोडी में अर्थ फी वीधा जमीन पर नकद लगान लेना है। यह प्रणाली सर्वत्र ममान नहीं पाई जाती है। गाव की आर्थिक दशा देखते हुए कहीं पर ग्धी (उनालू) फमल में आधा में चौथाई नक या पाचवें हिस्से तक लगान (मालगुजारी) ली जाती है और खरीफ (सियालू) फसल पर तिहाई से छठा हिस्सा तक लगान ली जाती है। अब अधिकतर रिवाज वीधोडी प्रमूल करने का चल पडा है। ज्यादातर जागीरदार लटाई ही करते हैं।

### लाग बाग

राज्य सरकारों के अलावा जागीरों की आय का मुख्य स्रोत मालगुजारी होता है। मालगुजारी मनमाने ढंग में काश्तकारों द्वारा उत्पन्न फमल के आठवें हिस्से से लगाकर आधे हिस्से तक ली जाती है। इसके अलावा लागबागों भी वसूल की जाती है। लाग बाग एक अस्थायी एवम् अनिश्चित कर होता है जो अपनी प्रजा पर कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी लगाया गया था अथवा स्वयं प्रजा ने राज्य की आवश्यकताओं को समझकर देना स्वीकार किया था। इनमें से कुछ को प्रजा ने अपने राजा या जागीरदार की इज्जत बढ़ाने या शिष्टाचार के नाते अपनी मरजी से देना आरम्भ कर दिया था लेकिन इनको राजाओं व जागीरदारों ने म्थाई रूप देकर वसूल करना चालू कर दिया। लाग बागों में भी गावों में एक ममान नहीं होती है। किसी गाव में कोई लाग होता है तो दूसरे गाव में और कोई लाग होती है। इनकी दर भी भिन्न भिन्न हाती है। ये दर भी घटती बढ़ती रहती है। ये लाग बाग प्राचीन काल में उत्पादित उम्नु के रूप में वसूल की जाती थी लेकिन अब इनकी रकम निश्चित कर दी गई है।

इन लाग बागों का लगाय जाने के अनेक तरीके थे। एक मनारजक उदाहरण है कि एक जागीरदार अपनी घोड़ी को गाव के चारों ओर दौड़ा रहा था। अक्सरमात एक चट्टान पर बने हुए चवूतरे से टक्कर खाकर घोड़ी

1. स्वतंत्रता पूर्वकाल में किसान आन्दोलनों से तग आकर विभिन्न गियासतों में लाग बागों काद कर दो। नये राष्ट्रक कानून के अ-तर्गत अब लागबाग लेना पूर्ण-तया र्धित है।

गिर पड़ी और ठाकुर साहब भी गिर गये। घोड़ी चट्टान पर गिरने के कारण वही मर गयी। इस दुर्घटना का समाचार सुनकर गाव के बहुत से निवासी एकत्रित हो गये। ठाकुर साहब के भी पीडा हो रही थी। सभलने पर भी बार-बार उनके मुँह से कहराने का शब्द निकल ही जाता था। लोगो ने समझा, घोड़ी के मरने का ठाकुर साहब को बहुत शोक हुआ है, अतः समझाना आरम्भ किया। परन्तु घोड़ी का शोक हो तब तो समझाने से शांति हो। यहाँ तो बात पीडा की थी। अन्त में धनाढ्य सेठा ने कहा कि आप एक घोड़ी का इतना शोक क्यों करते हैं, ऐसी घोड़ी जितने में मिले आज ही दूसरी खरीद लीजिए। ठाकुर ने कहा इतने रुपये कहा है? लोगो ने “राजभक्ति” के जोश में आकर कह दिया हम देंगे। उसी दिन 500/- रुपये में घोड़ी खरीदी गयी और गाव के लोगो ने इस आशा पर 500/- रुपये एकत्रित कर दिये कि जमीन का लगान लेते समय ठाकुर उनके रुपये भर देगा। परन्तु लगान के समय ठाकुर ने जवाब दिया कि तुम्हारे गाँव के चारों ओर दौड़त हुए मेरी घोड़ी मरी। ऐसी दशा में उमका मूल्य देना तुम्हारा कर्तव्य था। 1 साल भर व्यतीत होते ही ठाकुर कर्मचारिया ने “घुड पडी” लाग के 500/- रुपये माग। लाग शिमायत लाने ठाकुर के पास पहुँचे। जागीरदार ने कहा वह घोड़ी हर साल एक बच्चा 500/- रुपये का देती थी इसलिए तुम्हें ये रुपये देने ही पडगे। यदि न दाग ता तुम्हारे लिए काठ तैयार है। अन्त में यह 500/- रुपये वार्षिक की लाग लग ही गयी और वह आज तक बमूल होती है।

कुछ अन्य लाग बाग इस प्रकार है— अखराई — राजकीय कोष में रकम जमा कराने पर रसीद दी जाती है। उस रकम पर एक रुपया पीछे एक पैसा लिया जाता है।

कासा— शादी या गमी पर ठिकाने का रकम दनी पडती है। जो जागीरदार के यहाँ कम में कम पच्चीस पतल खाना भेजना पडता है।

कामला री ऊन— गडरिया से कम्बल बनाने की लाग ली जाती है या कम्बल ही ली जाती है।

कुता रो नजरानो— फसल का कुता करते समय प्रति आमामी एक रुपया जागीरदार द्वारा लिया जाता है।

खरगडो— गड के लिये गधे की लाग। गड को मरम्मत आदि के लिए गधे पर ईन्ट, चूना, मिट्टी आदि लाई जाती है। पहले गधे वेगार में मगाये जाते थे लेकिन अब रकम तय कर दी गयी है।

खरडा— श्रमजीवी जातिया—भावी, मोची छोपा कुम्हार आदि पर यह लाग लगती है। इसकी वसूली राज्य के लिये चौधरी करते हैं।

खीचडी— राज्य की सेना जब किसी गाव मे पडाव डालती थी तब गाव वालो को सेना के नाशते के लिए वाजगी की खीचडी नैयार करनी पडती थी। अब खीचडी के नाम पर रकम ली जाती है।

घर गिनती— राज्य प्रत्येक घर के पीछे एक रुपया लता है।

चराई— बीड, चारागाह या पडत भूमि मे घाम कट जाने पर गाव के पशुओं को चराने की छूट दे दी जाती है। इस चराई के लिए जानवर के हिसाब से चार आने से तीन रुपया तक वसूल किया जाता है। यह लाग पूर्वछडी लाग भी कहलाती है।

घाणीपत्ता—तेली से प्रत्येक घागी पर एक पत्ता तेल लिया जाता है। कही कही इसकी भी रकम तय कर दी गयी है।

चापा रो परवानो— जंगल मे गाय, भैम आदि चराने को ले जाने वाले व्यक्ति को राज्य से परवाना लेना पडता है। इसकी रकम देनी पडती है।

चौधर लाग— काश्तकारा से त्रिघोडी या हासल वसूल करने के लिए एक चौधरी नियुक्त किया जाता है। इसके लिए काश्तकारो से उपज का चालीसवा हिस्सा लिया जाता है।

जाजम रा रुपया— भूमि के प्रत्येक विक्रय पर यह रकम वसूल की जाती है।

जावणी रो घोरत— वर्षा ऋतु मे जागोर्दान काश्तकारो से दूध देने वाली गायो और भैमो का एक दिन का दूध दूहाकर लता है।

भाल लाग— सरकारी कर्मचारियों के ऊंगो व घोडो के लिए भाल ली जाती है वह भाल लाग कहलाती है। इसकी भी रकम वसूल की जाती है।

डाग— एक राज्य मे दूसरे राज्य मे मान लाने खेजाने पर यह लाग ली जाती है।

डोगी पूजन— पटवारी प्रत्येक ग्रामामी मे वृत्ते का एक रुपया वसूल करता है। वृत्ते के निग घनायी गयी डोगी की रकम 'डोगी मर्च' अलग वसूल की जाती है।



थाणापत री लाग— किसी गाव मे थाणादार नियुक्त किया जाता है तो उसके नाम से बसूल की जाने वाली लाग ।

नजराना— होली, दशहरा, दीवाली आदि त्योहारो पर जागीरदार या महाराजा को नजर करने को रकम बसूल की जाती है ।

नया बारना रो परवानो— पट्टे में लिखे दरवाजा के अलावा दरवाजे निकालवाने पर मकान मालिक को परवाना लेना पडता है । इसकी भी रकम देनी पडती है ।

नाता रो परवानो— जिन जातियो की स्त्रिया नाता (पुनर्विवाह) करती हैं उन्ह राज्य द्वारा परवाना दिया जाता है । इसकी लाग "नाता सुकराना" के नाम से सरकार मे जमा होती है ।

न्यात चवरी— लडकी की शादी पर यह लाग लगती है ।

नू ता— जागीरदार अपने परिवार मे मृत्यु या विवाह हान पर गाव वालो को निमन्त्रण भजता है उसकी रकम नू ता के नाम से बसूल करता है ।

पाग रो नजरानो— जागीरदार क परिवार म मृत्यु हो जान पर गाव वालो से सामूहिक रूप से रकम बसूल की जाती है ताकि उस रकम से नयी पागे बध सके ।

पावगा पावरा— जागीरदार अपने मेहमाना का खचा चलाने के लिए गाव वालो से रकम लेता है ।

पीलागी लाग— सरकारी कर्मचारियो के मरानो के छपर पर घास आदि छानी पडती है । इसकी अत्र रकम ली जाती है ।

पेटिया— यदि कामदार कू ता करने जाता है तो उसकी लाग देनी पडती है जो पेटिया कहलाता है ।

बन्दोले री लाग— जागीरदार के घर मे विवाह होन पर गाव वालो से खर्चा बसूल होता है ।

बीन्द रो पगेलागनो— लडके के विवाह पर यह लाग लगती है ।

भरोती— लागो की कुल रकम खजाने मे जमा होती है तब रकम जमा कराने वाला रसीद काटता है । इस रसीद काटने वाले को भी रकम देनी पडती है जो राज्य कोष म जमा होती है । इसे भरोती लाग कहते हैं ।

मलवा— सभी प्रकार के गवाई खर्च के लिए मालगुजारी की लगभग 5 प्रतिशत रकम काश्तकारों से वसूल की जाती है। यह रकम सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों या ठिकाने के कर्मचारियों के दौरे के समय खर्च की जाती है। यों यह रकम धार्मिक कार्यों, नाडी गुदवाई आदि पर भी खर्च की जाती है।

मापा— एक गाव से दूसरे गाव में माल लाने व लेजाने पर लगता है। जागीरदार इसका कुछ हिस्सा राज्य को भी देता है। व्यापार पर ली जाने वाली कुछ रकम मापा आदत कहलाती है।

रमाल— जागीरदार काश्तकारों से गुड, काकड़ी, मिर्च गन्ना का रस, कादा आदि मगवाते हैं।

लिखाई री लाग— काश्तकारों से भूमि अधिकार आदि लिखवाने की लाग ली जाती है।

सिंगोटी— यह मवेशी के विक्रय पर ली जाती है।

हजूर फर्माईम— महाराजा या जागीरदार आवश्यकतानुसार ऊन, मूँज, पाला चारा आदि गाव से मगा लेता है तब गाव वालों का लाग के रूप से देना पड़ता है।

हरिया रो क्यारा— इस लाग का अन्तर्गत जागीरदार खेत में खड़ी फसल से अपने खेत के लिए या अपने जानवरों के लिए गेहूँ जौ चना, रिजका आदि के पुले मगवाते हैं।

हल लाग— जो काश्तकार खेती करता है उससे प्रति घर एक हल के हिसाब से लाग वसूल की जाती है।

इस प्रकार लागवागों की इतनी अधिकता है कि काश्तकार उन्हें देने से तग आ जाता है। जागीरदार का तो गाव के भत्ते के लिये कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। यहाँ तक की कहीं कहीं काश्तकार का जागीरदार के दुर्व्यसनों के लिये भी लाग देनी पड़नी है यथा पातर लाग— वश्याआ के मर्चे के लिए भट्टी लाग— शराब की भट्टियाँ निकलवाने के लिए, आदि आदि। ऐसी परिस्थितियों में काश्तकारों की आर्थिक स्थिति स्वराय होती है लेकिन जागीरदारों का पतन होना भी अशक्य नहीं दिखता है। लाग वागों की मर्याद मँकड़ा पर पहुँच रहा है। काश्तकार इनका भुगतान करते करते तग आ गये हैं। वे बजों में डूबते जा रहे हैं। निर्धन ग्रामीण वर्गों को रवे तब इन लाग वागों का भार उठाते रहेंगे? यह राज्य मर-गारों को विचार करना चाहिये।

### अकाल

राजस्थान में अकाल ज्यादा ही पड़ते हैं। इससे यहाँ के लोगों की सामाजिक व आर्थिक दशा काफी गिरी हुई है। अकाल सामान्यतः वर्षा कम होने या निश्चित समय पर न होने के कारण पड़ते हैं। इससे धान, पशुचारा, पानी आदि की कमी आ जाती है। अकाल अपनी विशालता के अनुसार महाभयकर, भयकर, सख्त व कुर्रा कहलाता है। धान ज्यादा मटंगा हो जाने पर कुर्रा अकाल कहलाता है। ये अकाल चार प्रकार के होते हैं—अन्नकाल, जलकाल, तृणकाल और त्रिकाल। त्रिकाल में अन्न, जल व तृण (पशुचारा) तीनों की कमी रहती है। त्रिकाल भी दो प्रकार के होते हैं—भरल और गौमार काम।

राजस्थान में रामायण काल से ही अकाल पड़ते आये हैं। इसका मुख्य कारण इस प्रांत का वर्षा बरसाने वाली हवाओं के क्षेत्र में न होना है। प्राचीन शिलालेखों, ग्रंथों आदि से पता चलता है कि यहाँ सन् 1250, 1258, 1294, 1320 व 1335 में भयकर अकाल पड़े थे जिनके कारण हजारों मनुष्य व पशु मर गये। हजारों लोगों ने अपने बच्चों को बेच दिया।

पिछली चार शताब्दियों में जो अकाल पड़े हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है—

महाभयकर अकाल—सन् 1555 1595 1598, 1613, 1660, 1661, 1732, 1783, 1892, 1836, 1868 1899 1939।

भयकर अकाल—सन् 1742 1746 1747 1755, 1770 1788, 1793, 1796, 1819, 1833, 1838, 1848, 1868, 1869, 1877 1891।

सख्त अकाल—सन् 1799, 1850 1853, 1860, 1890, 1915, 1918, 1921, 1925।

कुर्रा अकाल—सन् 1792, 1804, 1888, 1895, 1898, 1901, 1905, 1911, 1928, 1936, 1938।

L. पिछले 30 वर्षों में जो अकाल पड़े उनका ब्यौरा इस प्रकार है—

महा भयकर — 1968, 1969, 1973

भयकर — 1950 1951, 1952, 1972

सख्त — 1961, 1963, 1964

कुर्रा — 1948, 1949, 1953, 1957, 1962, 1966 ?

अकालों में बहुधा लोग मवेशी लेकर मालवा, सिन्ध<sup>1</sup> व आगरा की ओर चले जाते हैं और वर्षा होने पर वापस लौट आते हैं। रेल और सड़कों के बनने से और खान-पान की वस्तुओं का भाव सब जगह एकसा रहने से अकाल की भीषणता का अब अनुभव नहीं होता है। अकाल के समय राज्यों में अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु सड़कें व बांधे बनाना, तलाव खुदवाना आदि के राहत कार्य खुल जाते हैं।<sup>2</sup> अन्नक्षेत्र या गरीब खाने भी धनी लोग अकाल पीड़ितों के लिये खोल देते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों में यह कहावत है कि हर तीसरे वर्ष एक अकाल पड़ जाता है। एक दोहा प्रचलित है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में अकाल कहा कहा अधिकतर पड़ा करता है, उसका वर्णन किया गया है—

पग पुङ्गल धड कोटडे, बाहु बायडमेर ।

जोयो लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर ॥

अर्थात् अकाल कहता है कि मेरे पंर पुङ्गल (बीकानेर) में और धड (बीच का हिस्सा) कोटडा (मारवाड) में और भुजाएँ बाडमेर (मालानी) में स्थायी रूप से है और कभी कभी तलाश करने पर जोधपुर में भी मिल जाता है परन्तु जैसलमेर में मेरा खास ठिकाना है।

1 अब तो सिन्ध पाकिस्तान का भाग बन गया है अत उधर पशुओं का जाना बन्द हो गया है।

2 राजस्थान में अकाल के नाम पर पिछले 22 वर्षों में लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। सन् 1952-53 में 102 72 लाख रुपये खर्च किये गये और सन् 1970-71 में 4211 लाख रुपये खर्च किये गये। पिछले 6 वर्षों के खर्च के आकड़े इस प्रकार हैं—

1966-67 में 1141 98 लाख रुपये

1968-69 में 1950 00 लाख रुपये

1969-70 में 1000 00 लाख रुपये

1970 71 में 4211 00 लाख रुपये

1971-72 में 893 00 लाख रुपये

सन् 1972-73 में लगभग 21 000 गांव अकाल ग्रस्त है। मार्च 1973 तक लगभग 1,000 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं तथा लगभग इतने ही रुपये घाणाओं 4 महिनों (अप्रैल से जुलाई) में खर्च किये जायेंगे।

**बेहडा**— इसकी भीजी बादाम की तरह खाई जाती है। बाहर का छिलका “त्रिफला” अर्थात् हड, बेहडा और भाँवला के नाम से सबडों दवाओं में काम आता है। फल चैत्र में लगते हैं।

**महुआ**— सूखे हुए फूलों को भून कर या तो रोटी बनाकर या मीथा खाया जाता है। फल कच्चा और पक्का दोनों तरह से खाया जाता है। इसके फूलों से शराब भी निकलती है। दवा के काम में यह विलायती शराबों की तरह पाचन शक्ति कम न करके शरीर को हानि नहीं पहुँचाती है। बीजों में 30 प्रतिशत तेल निकलता है। खली में खास तरह का विपर्यता है और इसका प्रयोग बतौर एमेटिक यानि कं लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। फल-फूल चैत्र में लगते हैं।

**बबूल**— यह सब स्थानों में मिलता है। इसके फलिया बहुत हाती हैं। उनको उबाल कर तरकारी बनाई जाती है और अकाल के समय इसके पत्ते व फलियाँ भेड बकरी और ऊंटों का चारा का काम देती हैं। बबूल के बीज गरीब लोग मामूली अकाल में भी काम में लाते हैं। उनको भून कर खाते हैं या पीस कर आटे में मिला कर रोटी बनाते हैं। बीज स्वादिष्ट होते हैं।

**नीम**— इसकी पकी हुई निम्बाली खाई जाती है। यहाँ के जंगली फलों में यह स्वादिष्ट समझी जाती है और वह खून साफ करने वाली भी है। यह वृक्ष आयुर्वेदिक दवाओं में बड़ा काम आता है। इसकी खली खाद के लिये अत्यन्त उपयोगी है और इसको वगीचों में डाला जाता है। इसका तेल भी निकाला जाता है।

**इमली**— इसकी खेती भी होती है और जंगल में भी पाई जाती है। पक्के फल खाये जाते हैं और बीजों को भून कर खाते हैं। छाल पीस कर आटे में मिला कर खाई जाती है। इससे पेट फूल जान का भय रहता है।

**फोग**— यह सब में मिलता है। फल और फूल तरकारी के काम में आते हैं। इनको पीसकर रोटी भी बनाई जाती है।

**करोंदा**— फल भादवा में पकते हैं। इनकी तरकारी बनती है।

**छोटीकाटी**— फलों को कूट कर तिनक निकाल दिये जाते हैं। पीछे पीस कर आटे में मिला कर रोटी बनाते हैं। कच्चे फल व डामियाँ उबाल कर तरकारी के काम में लाते हैं। वर्षा में इसमें बेल पैदा होती है।

**तसतुम्बा**— इसके फल भादो में पकते हैं और बड़े कड़े होते हैं। यह औषधियों में भी काम आते हैं। बीज भीठे होते हैं और भोजन के काम आते हैं विशेषकर रेगिस्तान में पीस कर रोटी बनाई जाती है। वर्षा के बाद पीछा जल जाता है और जड़ रह जाती है। इसका तेल भी निकाला जाता है।

**कैवच**— इसके बीज भूने जाते हैं और छिलका उतार कर गूदा खाया जाता है। यह पुष्टिकारक है। आडावला पर्वत की तरफ घाटिया में यह बारहों मास रहती है। वर्षा के मिवाय और वृत्त में पत्ते नहीं रहते हैं।

**मुसली सफेद**— यह जंगल में प्याज के जैसे पत्तों की पैदा होती है। जड़ को पीस कर आटे की तरह ख़ाई जाती है। दवा के काम में भी आती है।

**गवारफली**— यह बोई भी जाती है और वैसे जंगल में भी उगती है। कच्ची फलियाँ उबालने पर साग (तरकारी) के काम में आती हैं। बीज पीसे जाकर आटे में मिलाये जाते हैं। फलिय कातिक में पकती है। गवार गोद बनाने के काम में आता है।

**भूरट**— यह रेतीले क्षेत्रों की खास घास है। खरीफ की फसल के साथ अनाज की तरह इसको इकट्ठा किया जाता है। अकाल में गरीब लोगों का सहाय है, बीज मनुष्यों का भोजन है और भूसा पशुओं का। मामूली अनाज की तरह पीस कर भी यह काम में लाया जाता है।

**घीयाभाटा**— यह एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। आडावला पहाड़ और अन्य स्थानों में यह काफी मात्रा में पाया जाता है। इसे भी अकाल के समय गरीब लोग खाते हैं।

**मुत्तानी मिट्टी**— यह (मेट) रेतीले भाग का खनिज पदार्थ है। प्रायः मित्रियाँ गर्भावस्था में इस खाती हैं।

## स्वास्थ्य तथा चिकित्सा

ग्रावहवा की दृष्टि से राजस्थान भारत के स्वास्थ्यवर्धक भागों में माना जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ठण्ड की मौसम में अधिक ठण्ड और गर्मों में अधिक गर्मी पड़ती है और तब नू (गर्म हवा) भी बहुत चला करती है। इस भाग में रेतीले मैदान और कम वर्षा होने के कारण यहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पहाड़ी भागों में पानी भारी होने से यहां के लोग इतने स्वस्थ नहीं होते हैं जितने कि मैदान में बसने वाले होते हैं। इस प्रदेश के लोगों के लिये सबसे ज्यादा दुःखमयी बीमारियाँ हैं—ताव (मलेरिया) शीतला व वाला (नारू)। तार की बीमारी में हजारों लोग फसल की कटाई के समय सितम्बर व अक्टूबर माह में खाट परूड लेते हैं और कई बार तो गाव में फसल काटने वाला ही नहीं मिलता है। शीतला माता की बीमारी मार्च व अप्रैल में ज्यादा ही फैलती है। यह बीमारी बच्चों को ज्यादा होता है। इस बीमारी से शरीर पर दाने निकल आते हैं जो बच्चों को कुरूप बना देते हैं। कई बच्चों को अन्धा या पागला बना देती है। राजस्थान में शुद्ध व मीठे पानी की बड़ी कमी है।<sup>1</sup> ज्यादातर गावों में पानी खारा होता है इस कारण लोग तालाबों व नाडों का पानी पीते हैं जिसमें जानवर भी बँडते हैं और गन्दगी कर देते हैं। आदमों भी गन्दे पैर लेकर पानी में बने जाते हैं। इन कारणों से लोगों के नीचले भागों में, मुख्यकर पैरों में वाला (नारू) निकल

---

1 राजस्थान में स्वच्छ व मीठा पानी भाग्यशाली ग्रामीणों को ही मिलता है। ऐसे भाग्यशाली लोगों के गाँव कठिनाई से 10 प्रतिशत होंगे। सामान्यतः लोगों को 4 से 10 कि.मी. दूर से पानी लाना पड़ता है। पश्चिमी जिलों के ज्यादातर ग्रामीण गर्मों की मौसम में केवल पीने का पानी सरकारी चाहनों से पी लेते हैं लेकिन नहाने धोने के लिये तो उन्हें वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा ऋतु में तालाबों व कुओं में जो कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है उसको ही बाढ़ के माहनों में पीने आदि के काम में लिया जाता है। यह पानी मिट्टि मिश्रित होता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों के ग्रामीणों का जीवन अत्यन्त कष्टमय होता है।

आता है। इससे लोगों को असह्य पीडा होती है और वे उठ बैठ तक नहीं सकते हैं, काम करना तो दूर रहा। गर्मी के दिनों में रात्रि में प्रकाश न होने के कारण काफी लोगों को विच्छु डक मार देते हैं। इससे काफी लोग परेशान रहते हैं। कई मर भी जाती है। गावों में कस्बों में सफाई की व्यवस्था कम रहती है। अतः लोग गन्दगी व बदबू से तग रहते हैं। किसी भी राज्य के गाव या बड़े कस्बों में नगरपालिका की कौन कहे साधारण प्रकाश और सफाई का प्रबन्ध तथा सड़क और औपधालय की व्यवस्था तक नहीं है। यथा समय औपधि न मिलने से हजारों लोग प्रति वर्ष अकाल मृत्यु से मर जाते हैं क्योंकि अच्छे अस्पताल केवल बड़े नगरों या राजधानी में ही होते हैं और गाव वालों की नीम हकीम, लाल बुभुक्कड के वदने पर या बुखार आदि में भी कुनेन के वदले जाड़े भपट्टे (मत्र तत्र, डोरेडाडे आदि) पर विश्वास करना पडता है। मृत्यु या महामारी आने पर या तो वे अपने भाग्य की कोसते हैं अथवा उस विपत्ति को ईश्वर की भेजी हुई ममक कर सहन करते हैं। नीचे के आकडे आकडों से उभत कह लाने वाले राज्यों के सरकारी अस्पतालों की स्थिति ज्ञात होगी।

	जोधपुर	वीकानेर	अलवर
अस्पतालों की संख्या	27	14	10
कितने मनुष्य पर एक	75,000	47,000	70,000
कितने वर्ग मील पर एक	1,400	1,665	400
कितने गाँवों पर एक	81	154	107

1. जिस प्रांतों के लोगों को स्वच्छ पेय जल नहीं मिलता हो, निरन्तर अकाल पडते रहने के कारण खाने का पूरा धान नहीं मिले वहा के लोगों का स्वस्थ रहना कठिन है जहा हवा में मिट्टी बराबर उडती रहती है वहा के लोगों के पेट में कितनी मिट्टी पहुँचती होगी यह अनुमान लगाना भी आसान नहीं है। ऐसे लोगों को ईश्वर ही स्वस्थ रखता है। उदाहरणार्थ नागौर जिले के मकराना पंचायत समिति के 46 गावों में पानी इतना अशुद्ध है कि वहाँ के लोगों को पानी पीने से शरीर टेडा हा जाता है इस कारण यह 200 वर्ग मील क्षेत्र 'वाँका पट्टा' कहलाता है। कई गाँवों में पानी इतना गन्दा होता है कि लोगों को नारू (बाला) निकल जाता है और इस कारण उन्हें महिनों तक बिस्तर में रहना पडता है। राज्य सरकार ने कुछ अल्प उपलब्ध करने के लिये एक योजना 70 करोड रुपये की ब्याई है लेकिन 1974-75 तक यहा तक सफल होगी, यह संवहास्पद है। प्राणियों 10 वर्षों में भी 100 प्रतिशत पूरा हो ज वे ता जनता अपने को सौभाग्यशाली समझेंगी।



यो प्रत्येक गाव व नगर मे हकीम, वैद्य, जरेँ आदि रहते है । इनमे कुछ पढे लिखे व कुशल चिकित्सक होते है लेकिन ज्यादातर अनपढ व नीम हकीम खतरे जान होते है । स्त्रियो के जापे अनपढ व अप्रशिक्षित दाईया कराती है जिनके कारण काफी जच्चाए एव शिशु अकाल मृत्यु के ग्राम बन जाते है । महिलाओ की चिकित्सा के लिये महिला डाक्टर नाम मात्र की है । राजस्थानी की महिला डाक्टर केवल एक (जोधपुर की डा पारवती गहलोत) है जिसने सन् 1928 मे डाक्टरी परीक्षा पास की थी । स्पष्ट है कि राजस्थान मे महिलाओ की चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नही है । राज्यो को जनता के स्वास्थ्य व चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

### वेगार

इस प्रात की राजनैतिक दशा था तो कहना ही क्या है ! यहाँ की प्रजा वृटिश भारत की प्रजा से बहुत पिछडी हुई है । भीरता, दब्युपन, अपने अधिकारो के प्रति अज्ञानता और अविद्धा आदि अनेक कमिया है । फिर भी यहा बेगूँ, विजोलिया, और नीमूचाणा जैसे भीषण खून रजित काड किये जाये तो आश्चर्य ही क्या है ? जहा अंग्रेजी भारत मे बैठ वेगार जैसी प्रथा को हटा दिया गया है वहा राजस्थान मे इसका चलन अभी तक वैसा ही बना हुआ है, अर्थात् यहाँ की सीधी और तिधन प्रजा मे भाँवी, भील, सरगरा चमार आदि छोटी जातियो से पारिश्रमिक दिये बिना ही काम कराया जाता है । ऐसे वेगारियो की सख्या 18 03 626 है अर्थात् कुल जन सख्या मे 18 प्रतिशत से अधिक वेगारी है । जागीरदार लोग नाई, कुम्हार, खाती, जाट, माली, गुजर आदि जातियो के स्त्री पुरुषा मे बिना कुछ एवजाना दिये, काम करवाते हैं और वे इमको अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते है । इस कलकित्त प्रथा के अनुसार कोई भी राज-कर्मचारी या जागीरदार बिना कुछ दिये या नगण्य मजदूरी पर कुछ जातियो से हर समय और कुछ विशेष अवसरो पर मजदूरी करा सकता है ।

प्रत्येक गाव मे प्रति दिन कम से कम दो चार वेगार रहती ही हैं । पटवारी, हवलदार आदि यदि एक से दूसरे गाव जावे तो उमका बस्ता एक वेगारी ही ले जायेगा । यहाँ तक कि छोटे छोटे कामो के लिए भी वे बेचारे पकडे जाते है । इन लोगो मे किस प्रकार वेगार ली जाती है इमकी कुछ बानगी यहाँ दी जाती है—

भाँवी (बलाई-भेघवाल) जाति के स्त्री, पुरुष तथा बच्चों से दाना दलाना, घास कटवाना, चमडो के साजो की मरम्मत कराना और जनाने, मरदाने मकानो को गोबर से लीपने - पोतने का काम बिना मूल्य कराया जाता है।

सरगरा जाति के लोग कासीदी करते हैं। विवाह आदि में बाँकिये (तूरी) और थाली भी बजाते हैं और इस पर भी तुरी यह है कि यदि उपस्थित न हो सके तो उन्हे बदले में दूसरा एवजी में रखना पडता है।

नाईयो से जागीरदार लोग बिना मजदूरी दिये ही अपने घरों में रोज दिए जलवाते, भोजन तैयार कराते, कपडे धुलवाते, जूठे बर्तन मँजवाते, रात में पैर दववाते और जलसो में वेश्याओं और भाँडो की चाकरी में मशाल (चिराग) लिये खडे रखवाते है।

इसी प्रकार कुम्हारो में धडे मँगवा कर पानी भरवाया जाता है और कृपक जैसे जाट, माली, सीरवी आदि से बँलगाडी, हल, दूध, दही, घास आदि वस्तुएँ अफमरो का दौरे के समय और जागीरदार की आवश्यकता-नुसार ली जाती है। इनकी मित्रयो की भी बेगार नहीं छोडा जाता है। उनसे विवाह, गोठ, गुगरी आदि के समय मनो आटा पिमवाया जाता है। नोहारो से और नहीं तो कँदिया की वेडियाँ बनवाना, पहनाना और निकालने का काम लिया जाता है। मीणो तथा गुजरो से पहरा दिलवाया जाता है। अनपड ब्राह्मणो से अहलकारो के लिए भोजन बनवाया जाता है और शिक्षिको से पचाँग मुनवाने और शांति-पाठ कराने का काम लिया जाता है। यहा तक कि महाजन (वैश्य) लोग भी इस अमानुषिक बेगार से मुक्त नहीं है। यहा अनेक जातियाँ विशेष प्रकार के जाली उजालदान, भरोखे, टोडे आदि रख कर मकान नहीं बना सकते जिससे उसमें प्रकाश आ सके। वे विशेष प्रकार की मवारी भी नहीं रख सकते है। यदि किसी जाति में कोई सम्पत्तिशाली हो गया, और वह घोडा गाडी (बग्घी) आदि मवारी रखना चाहे तो वह नहीं रख सकता है। इनमें से बहुतेरी जातियाँ विशेष प्रकार के आभूषण और कपडे नहीं पहन सकती है। विवाह गर्मी आदि के समय विशेष प्रकार भोजन तय नहीं बना सकती हैं। विवाह के समय प्रत्येक जाति का बीद (दूल्हा) "बीद राजा" कहलाता है, परन्तु इन भाग्यहीन जानियो में जन्म लेने के कारण उस समय "राजा" कहलाये जाकर भी वे घोडे पर मवार नहीं हो सकते है। भाँगी, सरगरे तथा मेहतार आदि निम्न जातियो का बटना हा क्या, ये तो पशु योनि से भो गया जीवत

वीताते हैं। इनको चाँदी के आभूषण तक पहनने नहीं दिया जाता है पर कई राज्यों में अब जागृति होने लगी है और लोग अपने अधिकार समझ लगे हैं। अदालतों से भी इनके पक्ष में निर्णय हुए हैं, जैसे कि जोधपुर राज्य के भाँवियों को सोने की मुरकियाँ, कुण्डल कानों में और गले में पूजा (देव मूर्ति) आदि गहना पहनने का अधिकार है। इस प्रकार निर्णय चीफ़ कोर्ट जोधपुर का स० 1979 में हुआ है। लेकिन इस अधिकार का प्रयोजन विरले ही कर पाते हैं। बेगार के पक्षपातियों का यह तर्क है कि बेगार बहुत सी मुविधा हैं और उसके उठ जाने से राजकर्मचारियों को मजदूर सवारी अथवा सामान समय पर न मिल सकेगा। यह तर्क पोचा है। जब पूरी मजदूरी दी जाये तो प्रत्येक वस्तु गरीबों तक को मिल सकती है राज की तो कौन कहे ? वरना पूरा मूल्य देने में सब तरह का मुभीता रहता और गरीबों को भी बृथा तग नहो होना पडता है। कई राज्यों से बेगार उठा दी गई है और कहीं असल मजदूरी से पीनी, आधी, बही नाम मजदूरी की स्थिर कर दी गई है परन्तु यह भी प्रायः गरीब बेगारियों के पक्ष में न पकडकर स्वार्थी अहलकारों को जेब में ही चला जाता है। इससे बढ़कर दुख की क्या बात होगी। बहुधा किगया किये हुए सवारियों को उठाकर बेगारियों का बैल, ऊँट या घोड़े के सहित ले जाया जाता है। भोजन आदि दिये बिना रात-दिन उनके काम लिया जाता है और चलते समय लाल-लाल आँखें दिखा कर टरका दिया जाता है। भारत सरकार का ध्यान इस और कौन दिलावे। लाट माहव की स्पेशल ट्रेन किसी राज्य में आती है या किसी राज्य में होकर गुजरती है, तब उन्हें अपनी मुथरी सेज पर पडे हुए क्या पता चल सकता है कि पीप की अर्ध रात्रि का ठण्ड अथवा ज्येष्ठ की कडाके की धूप में रेल की पटरी के दोनों ओर तार के प्रत्येक खम्भे के पास कोई प्राणी उनकी रक्षा के लिये खडा है और उसे इस काम का कुछ भी मूल्य नहीं मिलेगा।

होली, दोवाली, वर्ष-गाँठ आदि के दिन सब महाजन पत्तों को इकट्ठा होकर मजरे के लिए राज्य या जागोर की कचहरी में जाना पडता है और पचायत की ओर में कुछ भट देनी पडता है। दूमरी कौमों को भी ऐसा करना पडता है। जागीरदार या अरुमर आने वालों को अमल की मनवा किया करते हैं।

## दास प्रथा

वेगार और लाग-वाग की तरह कलकित दाम-प्रथा भी राजस्थान में प्रचलित है। यद्यपि ससार भर से गुलामी उठ गई है, किन्तु यहा इसका अभी भी बोलवाला है। यहा बीसवीं सदी में भी मनुष्यों का एक समुदाय (1,61,735 स्त्री, पुरुष) गुलाम बना कर रखा गया है। इस समुदाय के अनेक जातिवाचक नाम हैं—दरोगा, चाकर, हजूरो, रावणा, खवास, चेला, गोला, ढीकडिया, खानजादा आदि। इनकी बहिन बेटिया आदि भी जागीरदार की ओर से दहेज में दे दी जाती है। यही नहीं वे आपस में क्रय-विक्रय भी कर दिये जाते हैं। इनका नाममात्र के लिए विवाह कर दिया जाता है, परन्तु वे पति-पत्नी की भाँति नहीं रह सकते हैं। उन्हें बहुत थोडा और साधारण अन्न-वस्त्र दिया जाता है। उनकी स्त्रियो अथवा पुरुषों का कोई आदर नहीं किया जाता है। उन्हें उच्छिष्ट भोजन करना पडता है और पाखाने के बर्तन उठाना, कपडे धोना तथा बर्तन माँजना आदि सभी कार्य करने पडते हैं। उनको अपने स्वामियों की सेवा में दिन-रात उपस्थित रहना पडता है। थोड़ी सी त्रुटि पर गाली गलौज और मार-पीट सहन करना उनके लिये साधारण सी बात है। जागीरो और रियासतो में होने वाले गुप्त पड़यन्त्रो और हत्याकाण्डो के लिये यही लोग मुलभ अस्त्र हैं। इनकी इतनी पतित अवस्था हो गयी है कि न वे इससे मुक्त होने की इच्छा ही करते हैं और नहीं हो सकते हैं क्योंकि परस्पर रियासतो में ही अपने गुलाम को मालिक बिना कानूनी दिक्कतो के ही पकडवा लेते हैं। जो लोग रियासतो में से भाग कर अंग्रेजी इलाके में चल जाते हैं वहाँ से चोरी आदि के अपराध लगाकर उन्हें पकडवा कर वापस बुलवा लिया जाता है। अंग्रेज अधिकारी वास्तविक स्थिति में ग्राँख भीच कर एक्सट्रैडिशन प्रत्यावर्तन कानून की आड में उन्हें उनके स्वामियों के हवाले कर देते हैं। वहा वापस पहुँचने पर उनके साथ जो व्यवहार होता है वह पाठक स्वयं जान ले। इन बातों का परिणाम यह हुआ कि यह समुदाय स्वाभिमान से सर्वथा ही हाथ धो बैठा है। निराश होकर ये लोग यह समझ बैठे हैं कि हम डमी हेतु उत्पन्न हुए हैं।

उधर इनके स्वामियों का ध्यान अपने स्वार्थ निकलते रहने में उनकी दीन-हीन दशा की ओर बहुत कम जाता है। क्या हुआ यदि राजपूत जागीरदारों में से कुछ नई रोगनी के जागीरदार जबानी जमा खर्च बतलाते या वृत्रथाओं पर लग्न देते हुए इस 'दास प्रथा' की बुगईयाँ बतला दें।

जैसा कि जयपुर राज्य के सुप्रसिद्ध विद्वान जागीरदार ठाकुर कल्याणसिंह शेखावत बी. ए खाररियावास ने इस कलकित दास-प्रथा का घोर विरोध करते कहा है —

“दहेज के साथ दास-दामियाँ भी दी जाय, इस प्रथा से लाभ तो केवल नौकरी या सुभिता का है, परन्तु हानियाँ बहुत हैं । दास दासियों को रखना और उन पर यहाँ तक अधिकार रखना कि उनको दायजे में दे देना एक तरह की गुलाम-प्रथा है । अब गुलाम-प्रथा लगभग समस्त ससार से उठती चली जा रही है । जो घर में दूसरो को गुलाम रखता है, उसको भी दूसरो की गुलामी करनी पडती है ।”\*

इस दरोगा जाति का भाग्य अब आशातीत प्रतीत होता है, क्योंकि नेपाल सम्राट ने जिस प्रकार दाम प्रथा का अन्त कर दिया है वैसे ही राजस्थान में भी कुछ नरेश अग्रसर हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य में दास-प्रथा हटाने के लिए कानून बनाये हैं । जोधपुर के नवयुवक महाराजा द्वारा जोधपुर स्टेट कौन्सिल के सन् 1916 ई० की 11 जुलाई के प्रस्ताव स० 11 के रूप में एक राजनियम बना दिया गया था, जिसके अनुसार ठाकुर अपने यहाँ के दरोगो (रावणो) और उनकी स्त्रियो एवं सन्तान से उनकी इच्छा के विरुद्ध न केवल काम ही ले सकते थे, वरन् जबरदस्ती दहेज तक में दे सकते थे, वह बन्धन अब किसी जागीरदार द्वारा इस समुदाय पर बलात् नहीं लगाये जा सकते हैं । अपनी इच्छा से दरोगे जागीरदार के यहाँ रह तो सकते हैं । ऐसी आज्ञा के लिए जोधपुर महाराजा धन्यवाद और कृतज्ञता के पात्र हैं । साथ ही आज्ञा की जाती है कि राजस्थान के अन्य राजा, महाराजा व उदार जागीरदार भी समय की गति को देखते हुए अपने यहाँ की इस निन्दनीय दासप्रथा को उठा कर प्रजा के एक समूह को सुखी व स्वच्छन्दतापूर्वक विकास करने का अवसर प्रदान करेंगे ।

\*देखो राजस्थान क्षत्रिय महासभा, अजमेर मुख्य पत्र, भाग 3, अंक 8, पृष्ठ 3, सन् 1926 ई०

## उपसंहार

सारांश यह है कि राजस्थान की सामाजिक स्थिति अभी परिवर्तन ले रही है। कई शक्तियाँ और कई प्रभाव भिन्न भिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार की ब्रिटिश भारत की राजनैतिक स्थिति है। राजनैतिक जागृति के लिए तो यहाँ सबाल ही नहीं उठ सकता क्योंकि यहाँ अनेक रियासतों में आज भी थाने और तहसीले नीलाम किये जाते हैं। राज्य कर्मचारियों को जवान ही यहाँ कानून है। चाहे जित्त मनुष्य को चाहे जित्त अपराध में चाहे जैसी मजा दे देना यहाँ साधारण बात है। ऐसे ही महाराजा या उनके मन्त्री कोई आज्ञा निकाल दे, किसी बात को जुर्म करार दे देवे, उनकी मजा तय कर दे और किसी की न्यायाधीश बना दे, बिना मुकदमा चलाये किसी को देश निकाला या कैद की मजा देदे — यह उनके बायें हाथ का खेल है। यहाँ न तो छापाखाना है और न समाचार-पत्र न तो इन्हे चलाने की आज्ञा आसानी में दी जाती है और न स्पष्ट बोलने व लिखने की छूट है। साधारण राजनैतिक यभाएँ करने तक को स्वतन्त्रता नहीं है। न यहाँ कोई निश्चिन्त कानून है। जहाँ है वहाँ उनको बनाने में उन लोगों का कोई हाथ नहीं है जिन पर वे लागू किये जाते हैं। यह भी नहीं कि उन कानूनों का मन्वे द्वारा समान रूप से पालन होता हो। तर्क में, न्याय से और कानून से मिद्ध वार्ते सत्ता और धन के लिहाज से झूठी करार दे दी जाती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जिन बातों पर प्रजाजन को कठोर दण्ड दिया जाता है, उन्हीं में राज्य कर्मचारियों को सार्व छोड़ दिया जाता है। उनकी सिफारीश से ही न्यायालयों के फंसले बदल दिये जाते हैं। लोग जान बूझ का अज्ञानान्धकार में डूबे हुए हैं और अपने जन्मसिद्ध अधिकारों की ओर से सर्वथा अनजान बख्ते जाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग अपने ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार आदि को समझते भी हैं वे शासकों के भय से चुप हो रहते हैं।

1. यह लेख सन् 1929 में लिखा गया था। तब लेखक श्री जगदीशसिंहजी गहलोत मारवाड़ राज्य की सेवा में थे। अतः राजस्थान और विशेषकर भारत में चलने वाले राजनैतिक आन्दोलनों के पक्ष में वह स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकें लेकिन इन पक्षियों से स्पष्ट हो जाता है कि वह इन राजनैतिक आन्दोलनों के पक्ष में थे तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं से सहानुभूति रखते थे। इसी कारण राजस्थान के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता एव स्वतन्त्रता सेनानी विजयसिंह पथिक, जयनारायण व्यास, प्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा, चांदकरण शारदा, भवरलाल सराफ आदि उनके अभिन्न मित्र थे और उनसे राजनैतिक गतिविधियों के बारे में बराबर विचार विमर्श करते रहते थे।

अब लोगो मे धीरे धीरे आत्म-बल बढ रहा है । वे अपने अधिकारो को पहचानने लगे है । वे अपने अधिकारो के लिए गिरफ्तार होना, जेल जाना, दण्ड पाना कोई नई बात नही समझने लगे है क्योकि उनके प्राचीन इतिहासो मे महान पुरुषो का भी अन्यायी द्वारा दण्डित होने के उल्लेख मिलते है । रामदूत हनुमान का राक्षस पुरी (लका) मे सीता देवी को खोज मे जाना और वहा गिरफ्तार होना तथा राक्षसो (दुष्टो) द्वारा अनेक प्रकार से दण्डित होना, यही बताता है कि अन्यायियो द्वारा धर्मात्मा पुरुषो को कष्ट दिया ही जाता है । श्री कृष्ण के पिता और माता को अन्यायी कंस द्वारा वर्षो जेल मे रखा गया और वही श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ । यदि पाप के कारण या ससार के अपकार के कारण जेल जाना हो तो वह नर्क है, किन्तु जो परोपकार के लिए और धर्म, देश व जाति के लिए जेल जाते है, उनको वह स्वर्ग के समान ही प्रतीत होता है और वे शान्त चित्त से उसको तपोभूमि मानते है, जैसा कि अग्नेज कवि ने कहा है —

“पत्थर की दीवारो से कैदखाना नहो बनता है । लोहे के सीकचो से केवल पीजरा बनता है । लेकिन दोष रहित तथा शान्ति प्रिय व्यक्ति बन्दीगृह को भी तपोभूमि मानते हैं ।”

नि सन्देह स्वदेश - प्रेम प्राणी का स्वभाविक धर्म है । यदि उसकी रक्षा के लिए शरीर को किसी प्रकार का दु ख हो तो वह दु ख नही, किन्तु सच्चा सुख है ।

सामान्यत जनसाधारण की पहुँच अपने राजाओ तक नही होती है जिससे कि वे अपनी दु ख की कहानी अपने भाग्य विधाताओ को सुना सक । इसका कारण यह है कि बहुधा नरेशो के पाम स्वार्थी व खुशामदी कर्मचारा रहते है जो प्रजा के विषय मे इन प्रकार की भावनाएँ उत्पन्न करते रहते है कि यदि जन साधारण की बुगई स्वय मुनने लगने ता शासन व्यवस्था न चल सकेगी और उनका रोव दाव प्रजा पर कम हो जायेगा । परन्तु यह धारणा व्यर्थ है, क्योकि भूतपूर्व स्वानियर महाराजा तथा वर्तमान जोधपुर, भालावाड आदि के कई नरेश अन्य बातो मे चाहे जैसे हो, किन्तु कर्मचारियो के विरुद्ध प्रजा को शिकायतो पर विशेष ध्यान देते है । ऐमा करने से उनके मार्ग मे कोई कठिनाई कभी आतो नही देखी सुना गयो । कोटा, भानावाड, प्रतापगढ और कई अन्य उत्तमि प्रिय राज्या के नरेश सर्व-साधारण से भी मिलते जुनते है, फिर भी शासन-सत्ता व मर्यादा को कोई

हानि नहीं पहुँचती है बल्कि यह देखा जाता है कि राजा व प्रजा में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता जाता है और अधिकारियों के अन्याय घटने लगते हैं ।

इस प्रकार आज बीसवीं शताब्दी में भी अनेक रियासते सोलवी सदी के समान ही पिछड़ी हुई हैं । प्रजा अन्ध-विश्वास के कारण एक लाठी से हाँकी जाती है और वह इसी में सन्तोष मानती है कि विदेशी राज्य से स्वदेशी राज्य अच्छा है परन्तु समय की गति बतला रही है कि प्रजा में जागृति जिस प्रकार आरम्भ हुई है, वह बन्द नहीं हो सकती है । मध्य भारत के एजेन्ट टू गवर्नर जनरल वेविल की यही भविष्यवाणी सत्य निकलेगी, कि—

“अब रियासते अलग नहीं रह सकती हैं बल्कि (ब्रिटिश भारत के) नवीन सुधारों का उनपर भी प्रभाव पड़ेगा । अभी तक तो रियासतों के काम पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया और वह जैसा था मान लिया गया, परन्तु अब वह समय समीप आ रहा है जब प्रत्येक शासक को अपने काम का यथोचित कारण प्रजा को बताना होगा । उसको चाहिये कि वह उनका नेता बने, उन्हें सुधार कर रास्ते पर ले चले, धीरे धीरे उनको अपना अधिक विश्वास पात्र बनाये और काम करने में उनको अपने साथ रखे ।”

अब कर्नल वेविल की भविष्यवाणी के पूरे लक्षण दिख रहे हैं । राजस्थान के कुछ नरेश प्रजा के कष्ट निवारण की ओर ध्यान देने लग गये हैं । वे यह समझ गये हैं कि राजा का कल्याण प्रजा की भलाई में ही है । प्रत्येक शासक को शासन-कार्य हाथ में लेते समय वार्डमराय लार्ड रीडिंग के ये अनमोल शब्द अपने हृदय में रख लेना चाहिये जो उन्होंने वर्तमान जोधपुर नरेश को पूर्ण राज्याधिकार सौंपते समय कहे थे —

“शासन कार्य अब जैसा कठिन और जटिल हो गया है वैसे कभी नहीं था । महायुद्ध के पश्चात् से समार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है । पुराने विचार जाते रहे हैं । पुरानी प्रथाओं की कड़ी आलोचना हो रही है । इस प्रकार की अशान्ति शुभ लक्षण ही है पर परिवर्तन का यह समय शासकों के लिए बड़ा कठिन है । जितने में लोगों के पूर्व पुरुष सन्तुष्ट थे उतने में अब लोग सन्तुष्ट नहीं होते हैं । आपके मरदार और प्रजाजन भी वर्तमान युग की उन्नति की दौड़ में पीछे रहना पसन्द नहीं करेंगे, समय की गति से न तो आप ही पीछे रह सकेंगे । उनकी उच्चकांक्षाओं पर ध्यान



देना ही उचित होगा। तरह तरह की कठिनाईयां उपस्थित होंगी अवश्य, लेकिन दूरदर्शिता, साहस और बुद्धिमत्ता से उनका सामना करने से वे अपने आप दूर हो जायेगी। यदि आप लोगों के हितों पर सदा दृष्टि रखेंगे और न्याय और सहानुभूति से राज्य करेंगे तो भविष्य में आपको जनता से कोई भय नहीं रहेगा।”

अन्त में हमारा यह अनुमान है कि एक न एक दिन राजस्थान फिर अपनी प्राचीन शान को प्राप्त होगा और इसके देशी नरेश महाराजा रामचन्द्र के सदृश होंगे, जिनके शासनकाल में प्रजा सब प्रकार में सुखी व सन्तुष्ट होगी, एवं राजा प्रजा में किसी की कोई शिकायत न रहेगी। इस अवस्था को उपस्थित करना राजा व प्रजा दोनों का ही वर्तव्य है, परन्तु इस सम्बन्ध में राजाओं का उत्तरदायित्व प्रजा की अपेक्षा अधिक है। वह दिन अब दूर नहीं है कि हम प्रजाजन उस अवसर में लाभ उठावेंगे।”

“सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे मन्तु निरामया ।  
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भा वशित् दु ख भाग्भवेत् ॥”


1. लेखक को यह आशा थी कि शीघ्र ही नरेशों की छत्रछाया में उत्तरदाई शासन स्थापित हो जावेगा और जनता सुखी व समृद्ध हो जावेगी लेकिन राजाओं ने हवा के रूल को नहीं पहचाना। अस्तु जनता व नरेशों के बीच काफी संघर्ष हुए और अन्त में, भारत के सन् 1947 में स्वतन्त्र हो जाने के बाद राजाशाही समाप्त होकर रही। अब न तो राजा है और न सामन्त। लोकतन्त्र की स्थापना हो गई है और जनता समाजवादी समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हो गई है। एक अहिंसात्मक क्रांति ने राजाओं और उनके सामन्तों को समाप्त कर दिया और अब एक और क्रांति समाजवादी समाज की स्थापना करके रहेगी।







महाराणा प्रताप



सामन्त पृथ्वीराज राठीइ — मुप्रसिद्ध कवि



मामन्त दुर्गादाम राठीड




वीकानेर नरेश — गंगासिंह, शार्दूलसिंह एवं करणीसिंह



जोधपुर नरेश उम्मेदसिंह





राजमहल — उदयपुर




लालगढ राजमहल — धोकानेर





उम्मेद भवन राजमहल — जोधपुर



इं गारपुर नरेण — लक्ष्मणसिंह



विजयसिंह पण्डित  
राजनैतिक एव नैतिकारी नला




वीर एवं धार्मिक महापुरुषों की विग्रहिका,  
मण्डोर


किसान बालाये




सिन्धी मसलमान



शशिपु






डवार्



गणेश



राजपूत सामन्त — एक गोली के सग







खाकी साधु



अलखधारी — जोगी




जैन साधु



जैन साधु

मति — जैन साधु





लोहाणा



सारपाल




विमाती



भील






महाजन



सनाढ्य ब्राह्मण



भील स्त्री



भील





बणजारा



कलाल

दामो







जाट



माली




कनकटा साधु — नाथ



भमुरवाने पत्तीर



राजपूता की मजलिस



दादुपयी साधु



राठीर राजपूत



भाट



अहीर



नाई



वीहरा — मुसलमान





कामड




महेश्वरी

सोनागर



कलवी





जोगी




सेवक




बालों से घेरकर बच्ची



शिवला का पूजा




चन्वा कानता महिन य




गतनो पर चित्रकारी करती महिनाय



मेघवाल



वासवेनिया



विषादी महिला



मेघपाल स्त्री




पानी के इन्तजार में



दो चादक






पणहारो



एक राजकीय जलूस



डोला मार



युगल मूर्ति, चौहटया



राग रागिनी — किशनगढ़ शैली

